महिला मोर्चा

प्रशिक्षण प्रारूप

पं. दीनदयाल उपाध्याय

प्रशिक्षण महाअभियान 2018

भारतीय जनता पार्टी

महिला मोर्चा
प्रशिक्षण प्रारूप

पं. दीनदयाल उपाध्याय
प्रशिक्षण महाअभियान 2018

भारतीय जनता पार्टी
6 ए, दीनदयाल उपाध्याय रोड, नई दिल्ली- 110002
फोन : 011-23500000 फैक्स : 011-23500190

महिला मोर्चा प्रशिक्षण प्रारूप

© भारतीय जनता पार्टी
6 ए, दीनदयाल उपाध्याय रोड, नई दिल्ली- 110002

2018

मुद्रकः
एक्सलप्रिंट
सी-36, फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स
झण्डेवालान, नई दिल्ली-110055

आमुख

सर्वाधिक सदस्य संख्या के विश्व रिकॉर्ड के साथ भारतीय जनता पार्टी भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी है। सिर्फ केन्द्र में ही नहीं, बल्कि देश के आधे से अधिक राज्यों में भी आज यह सत्ता में है। ऐसे विशाल जनादेश के साथ आज देश की राजनीतिक व्यवस्था में पार्टी का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है।

हमारा मानना है कि पार्टी के प्रति देशवासियों का जितना अधिक भरोसा बढ़ता है उतनी ही अधिक पार्टी और पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। इसलिए कार्यकर्ताओं की क्षमता में वृद्धि तथा नेतृत्व को भावी जिम्मेदारियाँ संभालने हेतु तैयार करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी विचार को केन्द्र में रखकर पार्टी ने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के समुचित प्रशिक्षण हेतु ठोस पहल की है। कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की बात करें तो अपने शुरूआती दिनों से ही भाजपा की यह खास पहचान रही है। इससे पूर्व जनसंघ के रूप में भी कार्यकर्ता प्रशिक्षण पर सदैव जोर रहा। सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पीछे मूल सोच यही रही है कि कैसे पार्टी में जमीनी स्तर तक लोकतंत्र को मजबूत किया जाए और किस प्रकार ऐसे प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की एक मजबूत टीम खड़ी हो जो सेवा एवं समर्पण भाव के साथ देशवासियों की आकांक्षाओं पर खरी उतरे।

भाजपा में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को वर्ष 2015 में उस समय नया आयाम मिला जब ''पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान'' की शुरूआत हुई। इस अभियान की सफलता का आंकलन महज इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का यह दुनिया का पहला एवं सबसे बड़ा अभियान है। प्रथम चरण में मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हजारों प्रशिक्षण कार्यक्रम देशभर में आयोजित किये गये।

प्रशिक्षण के द्वितीय चरण में अब पार्टी के विभिन्न मोर्चों, विभागों एवं स्तरों पर कार्यरत राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का यह नया

आयाम है। द्वितीय चरण में प्रभावी ढंग से मीडिया को संभालने तथा अलग-अलग प्रकार के मीडिया माध्यमों से व्यवहार करने हेतु कार्यकर्ताओं को विशिष्ट प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करने की भी योजना बनी है।

भा.जा.पा. ने सदा से ही महिला सशक्तिकरण में एक बड़ी भूमिका निभाई है। हमने सदैव विभिन्न महिला सशक्तिकरण आंदोलनों का समर्थन किया और हमेशा महिलाओं से जुड़े सभी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित किया। जब भी आवश्यकता हुई भा.जा.पा. ने महिलाओं के हित में संसद में भी निरंतर दबाव बनाये रखा। यह भाजपा ही थी जिसने भारतीय इतिहास में पहली बार महिला आयोग बनाने में पहल की। नौवीं लोक सभा में बीजेपी ने यह सुनिश्चित किया की महिला आयोग से सम्बंधित अध्यादेश सदन में पेश किया जाए और जल्द से जल्द महिला आयोग का गठन हो। अंततः अगस्त 1990 में, भा.जा.पा. के अथाह प्रयासों के फलस्वरूप, राष्ट्रपति द्वारा महिला आयोग को मंजूरी मिली।

इस पुस्तिका में मुख्य रूप से महिलाओं से जुड़े हमारी मूल दृष्टि, क्षमता विकास एवं आत्मावलोकन, महिला बूथ रचना और चुनाव प्रबंधन, महिलाओं के लिये राज्य एवम् केन्द्र की योजनायें और उनमें महिलाओं की भूमिका, भारतीय नारी के दृष्टि से भारत, राजनीतिक गतिविधियों हेतु सोशल मीडिया का उपयोग आदि के सम्बन्ध में जानकारी संकलित की गयी है। अनुभवी प्रशिक्षकों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् तैयार की गयी इस पुस्तिका में जो जानकारी दी गयी है वह कार्यकर्ताओं और निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उनके ज्ञानवर्धन एवं कौशल विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस प्रक्रिया में इस पुस्तिका को एक शुरूआत ही मानना चाहिए।

मुझे उम्मीद है कि पार्टी के निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में यह पुस्तिका सहायक सिद्ध होगी।

-पी. मुरलीधर राव
(राष्ट्रीय महासचिव)
प्रभारी, प. दीनदयाल उपाध्याय
प्रशिक्षण महाभियान

विषय सूची

1. भारतीय जनता पार्टी का इतिहास एवं विकास 8
पृष्ठभूमि 8
भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय 10
भाजपा का गठन 11
विचार एवं दर्शन 12
उपलब्धियाँ 13
वर्तमान स्थिति 15
भारतीय राजनीति में भाजपा का योगदान 16
लोकतंत्र: विकास एवं रक्षा 17
विचारधारा 17
सुशासन 18
2. सैद्धांतिक अधिष्ठान 19
लोकतंत्र 20
सकारात्मक पंथ-निरपेक्षता एवं सर्वपंथसमभाव 21
राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता 22
सामाजिक व आर्थिक विषयों पर गांधीवादी दृष्टिकोण: 22
मूल्य आधारित राजनीति 24
3. विचार परिवार 25
4. राष्ट्र के समक्ष चुनौतियों 28
बाहरी चुनौतियाँ 29

आंतरिक चुनौतियाँ 31
जबरन धर्मांतरण 32
आर्थिक चुनौतियाँ 32
अर्थव्यवस्था से संबंधित सामाजिक मुद्दे 33
सामाजिक मुद्दे 34
5. कार्यकर्ता विकास 36
6. हमारी कार्यपद्धति 38
व्यवहार पद्धति के मुख्य अंग निम्नानुसार है- 38
कार्यपद्धति के उपकरण 41
कार्यपद्धति के बुनियादी सूत्र 42
7. क्षमता विकास एवं आत्मावलोकन 44
भाषण कला का विकास 49
अनुशासन 51
समय प्रबंधन 52
मीडिया प्रबंधन 54
8. महिला बूथ रचना और चुनाव प्रबंधन 56
चुनाव और बूथ रचना 56
बूथ रचना 64
बूथ के वाली (अभिभावक) 65
बूथ समिति कैसी होनी चाहिये 65
बूथ समिति के कार्य 65

9. महिला केन्द्रित राज्य एवम् केन्द्र की योजनायें और महिलाओं की भूमिका 69

जनधन 71

स्वच्छ भारत मिशन 72

प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजना 73

बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ 74

प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना 74

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 75

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 75

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना 76

मातृत्व लाभ 76

महिला सुरक्षा तथा सक्षमीकरण योजना 77

प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र 77

वन स्टॉप सेंटर 77

महिलाओं के लिए हेल्पलाइन 77

नौकरीपेशा महिलाओं के लिए हॉस्टल 78

परित्यक्ता महिलाओं के लिए महिला आश्रम (स्वाधारगृह) 78

राष्ट्रीय आहार मिशन (एनएनएम) 78

मा. प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की तरफ चलायी जा रही कुछ अन्य योजनाओं की सूची.... 78

10. मेरे सपनों का भारतः भारतीय नारी के दृष्टि से 80
11. मीडिया/सोशल मीडिया संवाद 85
नियमित संपर्क में रहें 85
पत्रकारों से वार्ता में सतर्कता बरतें 86
तथ्यों पर ध्यान दें 86
डिजिटल मीडिया पर करें फोकस 87
ग्रामीण इलाकों पर ध्यान देने की जरूरत 88
शहरी क्षेत्रों को केंद्र बनाएँ 89
12. राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान 90
प्राचीन, मध्ययुगीन एवं वर्तमान में महिला का योगदान 90
राष्ट्र पुनर्निर्माण में महिला 91
कहीं भी पीछे नहीं 92
13. नारी और भारतीय दृष्टिकोण - विचार और व्यवहार 99
स्वतंत्रता के पश्चात नारी उत्थान के आयाम 100
14. हमारी सरकार की आर्थिक नीतियाँ 104
जीएसटी : एक राष्ट्र, एक कराधान 105
अंत्योदय' पर अमल 106
व्यवसाय सुगमता (ईज ऑफ डुइंग बिजनेस) 107
जीवन की सुगमता (ईज ऑफ लिविंग) 108
अनुदानों को तार्किक करना (टार्गेटेड सब्सिडीज्) 109
विमुद्रीकरण और काले धन पर प्रहार 110
डिजिटलाइजेशन और 'आधार' 111

निजीकरण और विनिवेश 112
बैंकिंग नेटवर्क का उपयोग 112
कृषि पर निरंतर जोर 113
15. महिलाओं के कानूनी अधिकार 115
घरेलू हिंसा कानून 115
बच्चों से सम्बंधित अधिकार 117
कामकाजी महिलाओं के अधिकार 119
अधिकार से जुड़े कुछ मुद्दे 120
पुलिस स्टेशन से जुड़े विशेष अधिकार 122

1. भारतीय जनता पार्टी का इतिहास एवं विकास

भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कृतसंकल्प है। भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा का गठन 6 अप्रैल, 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं लोकहित के विषयों पर मुखर रहते हुए भारतीय लोकतंत्र में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज की तथा भारतीय राजनीति को नए आयाम दिए। कांग्रेस की एकाधिकार वाली एक-दलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था के रूप में जानी जाने वाली भारतीय राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने दो ध्रुवीय बनाकर एक गठबंधन-युग के सूत्रपात में अग्रणी भूमिका निभाई है। देश में विकास आधारित राजनीति की नींव भी भाजपा ने विभिन्न राज्यों में सत्ता में आने के बाद तथा पूरे देश में भाजपा नीत राजग शासन के दौरान रखी। आज तीन दशक बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसी एक पार्टी को देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है तथा भारी बहुमत से भाजपा नीत राजग सरकार केन्द्र में विद्यमान है।

पृष्ठभूमि

हालांकि भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल, 1980 को हुआ, परन्तु इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति तथा देश विभाजन के साथ ही देश में एक नई राजनीतिक परिस्थिति

उत्पन्न हुई। गाँधीजी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाकर देश में एक नया राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाने लगा। सरदार पटेल के देहावसान के पश्चात् कांग्रेस में नेहरू का अधिनायकवाद प्रबल होने लगा। गाँधी और पटेल दोनों के ही नहीं रहने के कारण कांग्रेस 'नेहरूवाद' की चपेट में आ गई तथा अल्पसंख्यक तुष्टिकरण, लाइसेंस-परमिट-कोटा राज, राष्ट्रीय सुरक्षा पर लापरवाही, राष्ट्रीय मसलों जैसे कश्मीर आदि पर घुटनाटेक नीति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारतीय हितों की अनदेखी आदि अनेक विषय देश में राष्ट्रवादी नागरिकों को उद्विग्न करने लगे। 'नेहरूवाद' तथा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिन्दू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर भारत के चुप रहने से क्षुब्ध होकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। इधर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ स्वयंसेवकों ने भी प्रतिबंध के दंश को झेलते हुए महसूस किया कि संघ के राजनीतिक क्षेत्र से सिद्धांतत: दूरी बनाये रखने के कारण वे अलग-थलग तो पड़े ही, साथ ही संघ को राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल की आवश्यकता देश में महसूस की जाने लगी। फलत: भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर, 1951 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में दिल्ली के राघोमल आर्य कन्या उच्च विद्यालय में हुई।

भारतीय जनसंघ ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में कश्मीर एवं राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दे पर आंदोलन छेड़ा तथा कश्मीर को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार देने का विरोध किया। नेहरू के अधिनायकवादी रवैये के फलस्वरूप डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर की जेल में डाल दिया गया, जहाँ उनकी रहस्यपूर्ण स्थिति में मृत्यु हो गई। एक नई पार्टी को सशक्त बनाने का कार्य पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों

पर आ गया। भारत-चीन युद्ध में भी भारतीय जनसंघ ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर नेहरू की नीतियों का डटकर विरोध किया। 1967 में पहली बार भारतीय जनसंघ एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में भारतीय राजनीति पर लम्बे समय से बरकरार कांग्रेस का एकाधिकार टूटा, जिससे कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की पराजय हुई।

भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय

सत्तर के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में निरंकुश होती जा रही कांग्रेस सरकार के विरुद्ध देश में जन-असंतोष उभरने लगा। गुजरात के नवनिर्माण आन्दोलन के साथ बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हो गया। कांग्रेस ने इन आंदोलनों के दमन का रास्ता अपनाया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया तथा देशभर में कांग्रेस शासन के विरुद्ध जन-असंतोष मुखर हो उठा। 1971 में देश पर भारत-पाक युद्ध तथा बांग्लादेश में विद्रोह के परिप्रेक्ष्य में बाह्य आपातकाल लगाया गया था जो युद्ध की समाप्ति के बाद भी लागू था। उसे हटाने की भी मांग तीव्र होने लगी। जनान्दोलनों से घबराकर इंदिरा गाँधी की कांग्रेस सरकार ने जनता की आवाज को दमनचक्र से कुचलने का प्रयास किया। परिणामत: 25 जून, 1975 को देश पर दूसरी बार आपातकाल भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत 'आंतरिक आपातकाल' के रूप में थोप दिया गया। देश के सभी बड़े नेता या तो नजरबंद कर दिये गए अथवा जेलों में डाल दिए गये। समाचार पत्रों पर 'सेंसर' लगा दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित अनेक राष्ट्रवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हजारों कार्यकर्ताओं को 'मीसा' के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। देश में लोकतंत्र पर खतरा मंडराने लगा। जनसंघर्ष को तेज किया जाने

लगा और भूमिगत गतिविधियाँ भी तेज हो गयीं। तेज होते जनान्दोलनों से घबराकर इंदिरा गाँधी ने 18 जनवरी, 1977 को लोकसभा भंग कर दी तथा नये जनादेश प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर एक नये राष्ट्रीय दल 'जनता पार्टी' का गठन किया गया। विपक्षी दल एक मंच से चुनाव लड़े तथा चुनाव में कम समय होने के कारण 'जनता पार्टी' का गठन पूरी तरह से राजनीतिक दल के रूप में नहीं हो पाया। आम चुनावों में कांग्रेस की करारी हार हुई तथा 'जनता पार्टी' एवं अन्य विपक्षी पार्टियाँ भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई। पूर्व घोषणा के अनुसार 1 मई, 1977 को भारतीय जनसंघ ने करीब 5000 प्रतिनिधियों के एक अधिवेशन में अपना विलय जनता पार्टी में कर दिया।

भाजपा का गठन

जनता पार्टी का प्रयोग अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। दो-ढाई वर्षों में ही अंतर्विरोध सतह पर आने लगा। कांग्रेस ने भी जनता पार्टी को तोड़ने में राजनीतिक दांव-पेंच खेलने से परहेज नहीं किया। भारतीय जनसंघ से जनता पार्टी में आये सदस्यों को अलग-थलग करने के लिए 'दोहरी-सदस्यता' का मामला उठाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रखने पर आपत्तियाँ उठायी जानी लगीं। यह कहा गया कि जनता पार्टी के सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नहीं बन सकते। 4 अप्रैल, 1980 को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने अपने सदस्यों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य होने पर प्रतिबंध लगा दिया। पूर्व के भारतीय जनसंघ से संबद्ध सदस्यों ने इसका विरोध किया और जनता पार्टी से अलग होकर 6 अप्रैल, 1980 को एक नये संगठन 'भारतीय जनता पार्टी' की घोषणा की। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई।

विचार एवं दर्शन

भारतीय जनता पार्टी एक सुदृढ़, सशक्त, समृद्ध, समर्थ एवं स्वावलम्बी भारत के निर्माण हेतु निरंतर सक्रिय है। पार्टी की कल्पना एक ऐसे राष्ट्र की है जो आधुनिक दृष्टिकोण से युक्त एक प्रगतिशील एवं प्रबुद्ध समाज का प्रतिनिधित्व करता हो तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति तथा उसके मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए महान 'विश्वशक्ति' एवं 'विश्व गुरू' के रूप में विश्व पटल पर स्थापित हो। इसके साथ ही विश्व शांति तथा न्याययुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व के राष्ट्रों को प्रभावित करने की क्षमता रखे।

भाजपा भारतीय संविधान में निहित मूल्यों तथा सिद्धांतों के प्रति निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित राज्य को अपना आधार मानती है। पार्टी का लक्ष्य एक ऐसे लोकतान्त्रिक राज्य की स्थापना करना है जिसमें जाति, सम्प्रदाय अथवा लिंगभेद के बिना सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, समान अवसर तथा धार्मिक विश्वास एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो।

भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित 'एकात्म-मानवदर्शन' को अपने वैचारिक दर्शन के रूप में अपनाया है। साथ ही पार्टी का अन्त्योदय, सुशासन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास एवं सुरक्षा पर भी विशेष जोर है। पार्टी ने पाँच प्रमुख सिद्धांतों के प्रति भी अपनी निष्ठा व्यक्त की, जिन्हें 'पंचनिष्ठा' कहते हैं। ये पाँच सिद्धांत (पंच निष्ठा) हैं-राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय अखंडता, लोकतंत्र, सकारात्मक पंथ-निरपेक्षता (सर्वधर्मसमभाव), गाँधीवादी समाजवाद (सामाजिक-आर्थिक विषयों पर गाँधीवादी दृष्टिकोण द्वारा शोषण मुक्त समरस समाज की स्थापना) तथा मूल्य आधारित राजनीति।

उपलब्धियाँ

श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गई। बोफोर्स एवं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पुनः गैर-कांग्रेसी दल एक मंच पर आये तथा 1989 के आम चुनावों में राजीव गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। वी.पी. सिंह के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को भाजपा ने बाहर से समर्थन दिया। इसी बीच देश में राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू हुआ। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए रथयात्रा शुरू की। राम मंदिर आन्दोलन को मिले भारी जनसमर्थन एवं भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर आडवाणी जी की रथयात्रा को बीच में ही रोक दिया गया। फलतः भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से समर्थन वापस ले लिया और वी.पी. सिंह सरकार गिर गई तथा कांग्रेस के समर्थन से चन्द्रशेखर देश के अगले प्रधानमंत्री बने। आने वाले आम चुनावों में भाजपा का जनसमर्थन लगातार बढ़ता गया। इसी बीच नरसिम्हाराव के नेतृत्व में कांग्रेस तथा कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चे की सरकारों का शासन देश पर रहा, जिस दौरान भ्रष्टाचार, अराजकता एवं कुशासन के कई 'कीर्तिमान' स्थापित हुए।

1996 के आम चुनावों में भाजपा को लोकसभा में 161 सीटें प्राप्त हुईं। भाजपा ने लोकसभा में 1989 में 85, 1991 में 120 तथा 1996 में 161 सीटें प्राप्त कीं। भाजपा का जनसमर्थन लगातार बढ़ रहा था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा सरकार ने 1996 में शपथ ली, परन्तु पर्याप्त समर्थन के अभाव में यह सरकार मात्र 13 दिन ही चल पाई। इसके बाद 1998 के आम चुनावों में भाजपा ने 182

सीटों पर जीत दर्ज की और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने शपथ ली। परन्तु जयललिता के नेतृत्व में अन्नाद्रमुक द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण सरकार लोकसभा में विश्वासमत के दौरान एक वोट से गिर गई, जिसके पीछे वह अनैतिक आचरण था, जिसमें उड़ीसा के तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग ने पद पर रहते हुए भी लोकसभा की सदस्यता नहीं छोड़ी तथा विश्वासमत के दौरान सरकार के विरुद्ध मतदान किया। कांग्रेस के इस अवैध और अनैतिक आचरण के कारण ही देश को पुनः आम चुनावों का सामना करना पड़ा। 1999 में भाजपा 182 सीटों पर पुनः विजय मिली तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 306 सीटें प्राप्त हुईं। एक बार पुनः श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपानीत राजग की सरकार बनी।

भाजपा नीत राजग सरकार ने श्री अटल बिहारी के नेतृत्व में विकास के अनेक नये प्रतिमान स्थापित किये। पोखरण परमाणु विस्फोट, अग्नि मिसाइल का सफल प्रक्षेपण, कारगिल विजय जैसी सफलताओं से भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऊँचा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में नयी पहल एवं प्रयोग, कृषि, विज्ञान एवं उद्योग के क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ-साथ महंगाई न बढ़ने देने जैसी अनेकों उपलब्धियाँ इस सरकार के खाते में दर्ज हैं।

भारत-पाक संबंधों को सुधारने, देश की आंतरिक समस्याओं जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तर पूर्व के राज्यों में अलगाववाद पर कई प्रभावी कदम उठाए गये। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को सुदृढ़ कर सुशासन एवं सुरक्षा को केन्द्र में रखकर देश को समृद्ध एवं समर्थ बनाने की दिशा में अनेक निर्णायक कदम उठाये गए।

तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राजग शासन ने देश में विकास की एक नई राजनीति का सूत्रपात किया।

वर्तमान स्थिति

आज भाजपा देश में एक प्रमुख राष्ट्रवादी शक्ति के रूप में उभर चुकी है एवं देश के सुशासन, विकास, एकता एवं अखंडता के लिए कृतसंकल्प है।

10 साल पार्टी ने विपक्ष की सक्रिय और शानदार भूमिका निभाई। 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी, जो आज 'सबका साथ, सबका विकास' की उद्घोषणा के साथ गौरव सम्पन्न भारत का पुनर्निर्माण कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा लगभग 11 करोड़ सदस्यों वाली विश्व की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी बन गयी है।

26 मई, 2014 को श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने कम समय में ही अभूतपूर्व उपलब्धियाँ हासिल की हैं। उन्होंने विश्व में भारत की गरिमा को पुन:स्थापित किया, राजनीति पर लोगों के विश्वास को फिर से स्थापित किया। अनेक अभिनव योजनाओं के माध्यम से नए युग की शुरुआत की। अन्त्योदय, सुशासन, विकास एवं समृद्धि के रास्ते पर देश बढ़ चला है। आर्थिक और सामाजिक सुधार सुरक्षित जीवन जीने का मार्ग उपलब्ध करा रहे हैं। किसानों के लिये ऋण से लेकर खाद तक की नयी नीतियाँ जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, आदि ने कृषि के तीव्र विकास की अलख जगायी है। ये नया युग है सुशासन का। चाहे आदर्श ग्राम योजना हो, स्वच्छता अभियान या फिर योग के सहारे भारत को स्वस्थ बनाने का

अभियान, इन सभी कदमों से देश को एक नयी ऊर्जा मिली है। भाजपा की मोदी सरकार ने 'मेक इन इंडिया', 'स्किल इंडिया', अमृत मिशन, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से भारत को आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है। जन धन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी अनेक योजनाएं देश में एक नयी क्रांति का सूत्रपात कर रही हैं। भाजपा सरकार ने देशवासियों को विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना का उपहार दिया है।

भारतीय राजनीति में भाजपा का योगदान

- राष्ट्रीय अखण्डता, कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय, कबाइली वेश में पाकिस्तानी आक्रमण के प्रतिकार, परमिट व्यवस्था एवं धारा 370 की समाप्ति व पृथकतावाद से निरन्तर संघर्ष करने वाली एकमात्र पार्टी भारतीय जनसंघ या भाजपा है, अन्यथा कश्मीर का बचना कठिन था।

- गोवा मुक्ति आंदोलन, सत्याग्रह एवं बलिदान। बहुत दबाव के बाद ही सरकार ने सैनिक कार्यवाही की।

- बेरुबाड़ी एवं कच्छ समझौते हमारी राष्ट्रीय अखण्डता के लिए चुनौती थे। भाजपा ने इस चुनौती का सामना किया।

- आज भी देश में राष्ट्रीय अखण्डता के मुद्दे उठाना, पृथकतावाद से जूझना एवं इस निमित्त समाज को निरन्तर जाग्रत रखने का काम भाजपा ही कर रही है।

- देश को परमाणु शक्ति सम्पन्न कर भारत पर हमलों की हिमाकत करने वालों को अटलजी की सरकार ने सीधा संदेश दिया।

लोकतंत्रः विकास एवं रक्षा

- प्रथम चरण में जब स्वतंत्रता आंदोलन के सभी नेता सत्ता पक्ष में जा बैठे थे, विपक्ष या तो था ही नहीं या राष्ट्रभक्ति से शून्य वामपंथियों के पास था तब जनसंघ ने चुनौती को स्वीकार किया तथा भारत के लोकतंत्र को भारतीय जनसंघ के रूप में सबल विपक्ष दिया। 1967 में जनसंघ दूसरा बड़ा दल बन गया था।
- चुनाव सुधार के मुद्दे उठाने वाला एकमात्र राजनीतिक दल जनसंघ या भाजपा ही है। लोकतांत्रिक मर्यादाओं को हमारी पार्टी ने बल दिया और उनका उल्लंघन नहीं होने दिया।
- आपातकाल के प्रतिकार की कहानी हमारी लोकतंत्रात्मक निष्ठा को पुष्ट करती है।
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में जो विपक्ष उभरा, वही विकल्प बनने में भी सक्षम था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं श्री नरेन्द्र मोदी भारतीय लोकतंत्र में विकल्प के नियामक हैं। भारतीय लोकतंत्र के लिए अपेक्षित अखिल भारतीय संगठन एवं नेतृत्व आज केवल भाजपा के पास है।

विचारधारा

- राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं है। समाज को अपेक्षित दिशा में प्रगति पथ पर ले जाना भी उसका कार्य है। इसके लिये संगत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो संगत विचारधारा से प्राप्त होता है। आज भारत के सभी राजनैतिक दल विचारधारा शून्यता के शिकार हैं। भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद तथा पंचनिष्ठाओं की संगत विचारधाराओं के आधार पर संगठन का नियमन कर रही है। शासन की नीति में भी इनका समुचित प्रतिबिम्बन होगा।

सुशासन

- ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ताओं की शक्ति एवं सरकार का सुनियमन सुशासन की गारंटी है। छः साल का केन्द्रीय शासन एवं प्रदेशों में भाजपा की सरकारों ने अन्य दलों की सरकारों की तुलना में अच्छा शासन दिया है। गत तीन वर्षों से श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सकारात्मक सुशासन की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। व्यवस्थाओं की पुरानी विकृतियों का शमन करने में अभी भी कुछ वक्त लगेगा।

❍

2. सैद्धांतिक अधिष्ठान

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। यह किसी परिवार, जाति या वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाला सूत्र है–भारत के सांस्कृतिक मूल्य, हमारी निष्ठाएँ और भारत के परम वैभव को प्राप्त करने का संकल्प और साथ ही यह आत्मविश्वास कि अपने पुरुषार्थ से हम इन्हें प्राप्त करेंगे।

भाजपा की विचारधारा को एक पंक्ति में कहना हो तो वह है 'भारत माता की जय'। भारत का अर्थ है 'अपना देश'। देश जो हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला है और जिसे प्रकृति ने एक अखंड भूभाग के रूप में हमें दिया है। यह हमारी माता है और हम सभी भारतवासी उसकी संतान हैं। एक माँ की संतान होने के नाते सभी भारतवासी सहोदर यानि भाई-बहन हैं। भारत माता कहने से एक भूमि और एक जन के साथ हमारी एक संस्कृति का भी ध्यान बना रहता है। इस माता की जय में हमारा संकल्प घोषित होता है और परम वैभव में है माँ की सभी संतानों का सुख और अपनी संस्कृति के आधार पर विश्व में शांति व सौख्य की स्थापना। यही है 'भारत माता की जय'।

भाजपा के संविधान की धारा 3 के अनुसार एकात्म मानववाद हमारा मूल दर्शन है। यह दर्शन हमें मनुष्य के शरीर, मन, बृद्धि और आत्मा का एकात्म यानि समग्र विचार करना सिखाता है। यह दर्शन मनुष्य और समाज के बीच कोई संघर्ष नहीं देखता, बल्कि मनुष्य के स्वाभाविक विकास-क्रम और उसकी चेतना के विस्तार से परिवार, गाँव, राज्य, देश और सृष्टि तक उसकी पूर्णता देखता है। यह दर्शन प्रकृति और मनुष्य में माँ का संबंध देखता है, जिसमें प्रकृति को स्वस्थ बनाए रखते हुए अपनी

आवश्यकता की चीजों का दोहन किया जाता है।

भाजपा के संविधान की धारा 4 में पाँच निष्ठाएँ वर्णित हैं। एकात्म मानववाद और ये पाँचों निष्ठाएँ हमारे वैचारिक अधिष्ठान का पूरा ताना-बना बुनती हैं।

(१) लोकतंत्र: विश्व की प्राचीनतम ज्ञात पुस्तक ऋग्वेद का एक मंत्र 'एकं सद विप्रा: बहुधा वदन्ति उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है, सत्य एक ही है। विद्वान इसे अलग-अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। भारत के स्वभाव में यह बात आ गई है कि किसी एक के पास सच नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वह भी सही है, आप जो कह रहे हैं वह भी सही है। विचार स्वातंत्र्य (फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन) का आधार यह मंत्र है।

संस्कृत में एक और मंत्र है- 'वादे वादे जयाते तत्त्व बोध:'। इसका अर्थ है चर्चा से हम ठीक तत्त्व तक पहुँच जाते हैं। चर्चा से सत्य तक पहुँचने का यह मंत्र भारत में लोकतंत्रीय स्वभाव बनाता है। इन दोनों मन्त्रों ने भारत में लोकतंत्र का स्वरूप गढ़ा-निखारा है। भारतीय समाज ने इसी लोकतंत्र का स्वभाव ग्रहण किया है। लोकतंत्र भारतीय समाज के अनुरूप व्यवस्था है।

भाजपा ने अपने दल के अंदर भी लोकतंत्रीय व्यवस्था को मजबूती से अपनाया है। भाजपा संभवत: अकेला ऐसा राजनीतिक दल है, जो हर तीसरे साल स्थानीय समिति से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के नियमित चुनाव कराता है। यही वजह है कि कभी चाय बेचने वाला युवक देश का प्रधानमंत्री बना है और इसी तरह सभी प्रतिभावान लोगों का पार्टी के अलग-अलग स्तरों से लेकर चोटी तक पहुँचना संभव होता रहा है।

सत्ता का किसी एक जगह केन्द्रित होना लोकतंत्रीय स्वभाव के विपरीत है। इसीलिए लोकतंत्र विकेन्द्रित शासन व्यवस्था है। केन्द्र, राज्य, नगरपालिका और पंचायत सभी के काम और जिम्मेदारियाँ बँटी हुई हैं। सब को अपनी-अपनी जिम्मेदारियाँ भारत के संविधान से प्राप्त

होती हैं। संविधान द्वारा मिली अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सभी (केंद्र, राज्य, नगरपालिका और पंचायत) स्वतंत्र हैं। इसीलिए गाँव के लोग पंचायत द्वारा गाँव का शासन स्वयं चलाते हैं और यही इनके चढ़ते हुए क्रम तक होता है।

लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा आपातकाल में जगजाहिर हुई। 25 जून, 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने भारत में आपातकाल घोषित कर दिया था। नागरिकों के संविधान-प्रदत्त मौलिक अधिकार भी निरस्त कर दिए गए थे। यहाँ तक कि जीवन का अधिकार भी छीन लिया गया था। तत्कालीन जनसंघ (अब भाजपा) नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था और पार्टी दफ्तरों पर सरकारी ताले डाल दिए गए थे। अखबारों पर भी सेंसरशिप लागू हो गई थी।

लोकतंत्र के प्रति अपनी निष्ठा के कारण ही हम (यानि तत्कालीन जनसंघ के कार्यकर्ता) भूमिगत अहिंसक आंदोलन खड़ा कर सके। समाज को संगठित करके एक बड़ा संघर्ष किया। असंख्य कार्यकर्ताओं ने पुलिस का दमन, जेल यातना और काम धंधे (रोजी-रोटी) का नुकसान सहा। इसी संघर्ष का परिणाम था 1977 के आम चुनावों में जनता जनार्दन की शक्ति सामने आई और इंदिरा जी की तानाशाह सरकार धराशायी हो गई।

(२) सकारात्मक पंथ-निरपेक्षता एवं सर्वपंथसमभावः एक समय पश्चिमी देशों में पोप और पादरियों का राजकाज में अत्यधिक नियंत्रण हो गया था। अगर कोई अपराध करता था तो चर्च में एक निर्धारित राशि का भुगतान करके वह अपराधमुक्त होने का प्रमाणपत्र ले सकता था। नतीजा यह हुआ कि शासन में धर्म के असहनीय हस्तक्षेप का विरोध शुरू हो गया। विरोधियों का तर्क था कि धर्म घर के अंदर की वस्तु है। इस विरोध आन्दोलन से धर्मनिरपेक्षता का प्रादुर्भाव हुआ।

भारत में धर्म किसी पुस्तक, पैगम्बर या पूजा पद्धति में निहित नहीं

है। हमारे यहाँ धर्म का अर्थ है जीवन शैली। अग्नि का धर्म है दाह करना और जल का धर्म है शीतलता। राजा को कैसे रहना और व्यवहार करना है यह है उसका राज-धर्म, पिता की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, उसे क्या करना चाहिए, यह है पितृ-धर्म। इसी तरह पुत्र-धर्म और पत्नी-धर्म हैं। इसीलिए भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म से निरपेक्ष हो जाना नहीं है।

भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सर्व पंथ समादर भाव है। शासक किसी पंथ को, किसी भी पूजा पद्धति को राज-पंथ, राज-धर्म या राज-पद्धति नहीं मानेगा। वह सभी धर्मों, पंथों एवं पद्धतियों को समान आदर देता है। हमारा उद्देश्य है, न्याय सबके लिए और तुष्टिकरण किसी का नहीं। इसका व्यावहारिक अर्थ है 'सबका साथ सबका विकास'। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हिन्दुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिन्दुओं से नहीं लड़ना है, बल्कि दोनों को मिल कर गरीबी से लड़ना है।

(३) राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता: हमारा मानना है कि भारत राष्ट्रों का समूह नहीं है, नवोदित राष्ट्र भी नहीं है, बल्कि यह सनातन राष्ट्र है। हिमालय से कन्याकुमारी तक प्रकृति द्वारा निर्धारित यह देश है। इस देश-भूमि को देशवासी माता मानते हैं । उनकी इस भावना का आधार प्राचीन संस्कृति और उससे मिले जीवनमूल्य हैं। हम इस विशाल देश की विविधता से परिचित हैं। विविधता इस देश की शोभा है और इन सबके बीच एक व्यापक एकात्मता है। यही विविधता और एकात्मता भारत की विशेषता है। हमारा राष्ट्रवाद सांस्कृतिक है केवल भौगोलिक नहीं। इसीलिए भारत भू-मंडल में अनेक राज्य रहे, पर संस्कृति ने राष्ट्र को बाँधकर रखा, एकात्म रखा।

(४) सामाजिक व आर्थिक विषयों पर गाँधीवादी दृष्टिकोण जिससे शोषणमुक्त और समतायुक्त समाज की स्थापना हो सके: गाँधीवादी सामाजिक दृष्टिकोण भेदभाव और शोषण से मुक्त समतामूलक

समाज की स्थापना है। दुर्भाग्य से एक समय में, जन्म के आधार पर छोटे या बड़े का निर्धारण होने लगा, अर्थात् जाति व्यवस्था विषैली होकर छुआछूत तक पहुँच गई। भक्ति काल के पुरोधाओं से लेकर महात्मा गाँधी व डॉ. अम्बेडकर को इससे समाज को मुक्त कराने के लिए संघर्ष करना पड़ा। आज भी यह विषमता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

यही वजह है कि अनुसूचित जाति के साथ अनेक प्रकार से भेदभाव होते हैं और उन्हें यह अहसास कराया जाता है कि वे बाकी जातियों से कमतर हैं। शिक्षित और धनवान हो जाने से भी यह विषमता दूर नहीं होती। भारतीय संविधान के रचयिता डॉ. अम्बेडकर ने विदेश से पीएचडी कर ली थी। फिर भी वह जिस कॉलेज में पढ़ाते थे वहाँ उनके पीने के पानी का घड़ा अलग रखा जाता था। भाजपा इसे स्वीकार नहीं करती। हम मानते हैं कि सभी में एक ही ईश्वर समान रूप से विराजता है। मनुष्य मात्र की समानता और गरिमा का यह दार्शनिक आधार है। देश को सामाजिक शोषण से मुक्त कराकर समरस समाज बनाना हमारी आधारभूत निष्ठा है।

किसी एक राज्य या कुछ व्यक्तियों के हाथ में सत्ता के केन्द्रीकरण के अपने खतरे होते हैं और यह स्थिति सत्ता में भ्रष्टाचार को बढ़ाती है। लेकिन गाँधीजी की मांग सही साधनों पर भरोसा करने की भी थी। उन्होंने किसी 'वाद' को जन्म नहीं दिया, बल्कि उनके दृष्टिकोण जीवन के प्रति एकात्म प्रयास को उजागर करते हैं।

महात्मा गाँधी के दृष्टिकोण के आधार पर भाजपा भी आर्थिक शोषण के खिलाफ है और साधनों के समुचित बंटवारे की पक्षधर है। हम इस बात पर विश्वास नहीं रखते कि कमाने वाला ही खाएगा। हमारी दृष्टि में कमा सकने वाला कमाएगा और जो जन्मा है वह खाएगा। हमारा मानना है कि समाज और राज्य सबकी चिन्ता करेंगे।

दीनदयालजी मनुष्य की मूल आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा और रोजगार को भी जोड़ते थे। आर्थिक विषमताओं की बढ़ती खाई को पाटा जाना चाहिए। अशिक्षा, कुपोषण और बेरोजगारी से एक बड़ा युद्ध लड़कर ''सर्वे भवन्तु सुखिनः'' का आदर्श प्राप्त करना हमारी मौलिक निष्ठा है। हमारे गाँधीवादी दृष्टिकोण ने यह सिखाया है कि इसके लिए हमें विचार या तंत्र बाहर से आयात करने की जरूरत नहीं है। अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर अपनी बुद्धि, प्रतिभा और पुरुषार्थ से हम इसे पा सकते हैं।

(५) मूल्य आधारित राजनीतिः भाजपा ने जो पांचवाँ अधिष्ठान अपनाया है वह है 'मूल्य आधारित राजनीति'। एकात्म मानववाद मूल्य आधारित राजनीति पर विश्वास करता है। नियमों और मूल्यों के निर्धारण के वायदे के बिना राजनीतिक गतिविधि सिर्फ निज स्वार्थपूर्ति का खेल है। भाजपा 'मूल्य आधारित राजनीति' के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह सार्वजनिक जीवन का शुद्धिकरण एवं नैतिक मूल्यों की पुनःस्थापना उसका लक्ष्य है।

आज देश का संकट मूल रूप से नैतिक संकट है और राजनीति विशुद्ध रूप से ताकत का खेल बन गई है। यही वजह है कि देश नैतिक ताकत के लुप्तिकरण से जूझ रहा है और मुश्किलों का सामना करने की अपनी क्षमता को खोता जा रहा है। जब हम इन पांचों निष्ठाओं की बात करते हैं तो अपने आसपास या देश में घटे कुछ ऐसे प्रसंग ध्यान में आते हैं, जिनसे लगता है कि हम हर स्तर पर पूरी तरह सभी निष्ठाओं का पालन करते हैं, यह नहीं कहा जा सकता। पर, हम यह विश्वास से कह सकते हैं कि ये निष्ठाएँ हमारे लिए प्रकाश-स्तम्भ की तरह हैं। हम सबको यह प्रयत्न करते रहना जरूरी है कि हम अपना जीवन और अपनी पार्टी को इन निष्ठाओं के आधार पर चलाएँ। ❍

3. विचार परिवार

- 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का विचार अधिक सघनता से करने का शुभ अवसर आया।
- रा.स्व.संघ के व्यक्ति निर्माण का कार्य संघ स्वयंसेवकों द्वारा समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में साकार करने का विचार संघ में गतिमान होने का यह समय था।
- 1950 के दशक से इस प्रक्रिया का प्रारम्भ हुआ और संघ कार्यकर्ता धीरे-धीरे सामाजिक जीवन के एक क्षेत्र में स्वायत्त रचना खड़ी करते हुए चलते गये।
- आज की स्थिति में लगभग सभी क्षेत्रों में समान ध्येय एवं विचार-व्यवहार की प्रक्रियायें केंद्र में रखते हुए ऐसे संगठन कार्यरत ही नहीं बल्कि प्रभावी रूप से इस पुनर्निर्माण के कार्य को प्रबल बना रहे हैं।
- इसकी भूमिका बहुत ही स्पष्ट है - राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में ऐसे किसी एक क्षेत्र में - उस क्षेत्र की आवश्यकता तथा स्वरूप के अनुसार जन संगठन खड़ा करके उस क्षेत्र में अपेक्षित परिवर्तन साध्य करने का यह प्रयास है।
- 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई - यह प्रारंभिक प्रयास रहा - उसके पश्चात् एक-एक संगठन का निर्माण हुआ - आज की स्थिति में लगभग 40/42 ऐसे संगठन इस श्रृंखला में विद्यमान हैं।
- रा.स्व.संघ के विचार की पृष्ठभूमि इन संगठनों के सिद्धांत का आधार है-राष्ट्र जीवन का विचार एकात्म भाव से हो, समाजहित सर्वोपरि हो, समर्पित कार्यकर्ता का निर्माण हो, भारतीय परंपरा,

इतिहास राष्ट्रपुरुष इनके प्रजा सम्मान और आदर की भावना हो और जिस क्षेत्र में कार्य खड़ा करना है उस क्षेत्र की समस्याओं को मिटाकर स्वस्थ समाज को साकार करे ऐसी समान भूमिका इस विचार परिवार की आधारशिला है।

- इस विचार परिवार से अपना भावनात्मक संबंध रखकर कार्य करने वाले ऐसे सभी संगठन स्वतंत्र हैं। स्वायत्त है। सबकी कार्यपद्धति संगठन के स्वरूप के अनुसार है और उनका कार्य विस्तार भी बढ़ती मात्रा में दिखाई देता है।
- वास्तव में यह एक अनोखी रचना है – व्यापक रूप से विचारधारा समान है परन्तु भिन्न कार्यपद्धति है। विचार परिवार एक ही है परन्तु नियंत्रण, नियमन और कार्यकर्ताओं का बल अपने-अपने संगठन ने अपने प्रयास से खड़ा किया है।
- शिक्षा, सेवा तथा वंचित समाज के स्थान को कार्यरत संगठनों ने समाजोत्कर्षक बहुत बड़ा कार्य खड़ा किया है। विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, सेवा भारती ऐसे उदाहरण प्रेरक हैं। छोटे-बड़े सेवाकार्य, एकल विद्यालय यह परिवर्तन के प्रतिमान बन चुके हैं।
- विचार परिवार के घटक के रूप में जुड़े हुए विविध संगठन स्वतंत्र और स्वायत्त होते हुए भी सभी में समन्वय रहे, परस्पर-पूरकता रहे और मूल विचार के परिप्रेक्ष्य में विसंगती न रहे ऐसी आज की विद्यमान रचना है।
- बहुत ही प्रभावी रूप से विविध क्षेत्र में सारे संगठन समाज हित में कार्य कर रहे हैं और नेतृत्व की भूमिका में रहे हैं। जैसे कि भारतीय मजदूर संघ आज विश्वभर में होने वाली गणना से क्रमांक एक का संगठन है। अ.भा.वि. परिषद छात्रों के क्षेत्र में सबसे बड़े, अनुशासित संगठन के रूप में विद्यमान है। हिंदुत्व के विचार को क्षेत्र में बड़ा

संगठन विश्व हिन्दू परिषद ने खड़ा किया है।

- विचार परिवार की यह रचना आज स्थिर हो चुकी है। ऐसे संगठनों की भूमिका राजनैतिक सत्ता संपादन की नहीं। राजनैतिक क्षेत्र में राष्ट्रवाद से प्रतिबद्धता रखने वाले दल प्रति मानस तैयार होता है। यह स्वाभाविक परिणाम होगा। लेकिन किसी संगठन के हित तथा कार्यकर्ताओं का उपयोग दलगत राजनैतिक हितों के लिये करने की परंपरा नहीं है।
- कार्य क्षेत्र भिन्न-भिन्न होते हुये भी समाज जीवन की दृष्टि से समान दृष्टिकोण विचार परिवार में स्वाभाविकत: दिखाई देता है जैसे कि समाज का विचार एकात्मभाव से ही हो, समाज जीवन टुकड़ों में बंटा नहीं है तो सभी अंग परस्पर-पूरक है, समरसता यह समाज जीवन के स्वास्थ्य का आधार है, विविधता में एकता का अनुभव है, वर्ण-वर्ग-जाति संघर्ष समाजहित में नहीं है। एक जन-एक राष्ट्र-एक संस्कृति यह समाज जीवन की अनुभूति है, भारतीय समाज मानस मूलत: आध्यात्मिक होने के कारण समष्टि के लिये त्याग की अभिव्यक्ति व्यक्ति मात्र में हो, धर्म कल्पना व्यापक ही है और समाज की धारणा करने वाली है-ऐसे सारे सिद्धांत विचार परिवार के सभी संगठनों ने धारण किये हैं।
- विचार परिवार का यह आविष्कार राष्ट्र के परम वैभव से ही प्रेरित है। मूल प्रेरणा यही है। संगठन के सारे अंतर्गत व्यवहार और कार्यकर्ताओं के परस्पर संबंध सदा स्नेहपूर्ण रहने का मूल कारण समाज ध्येयवाद के प्रति समर्पण का भाव यही है।
- आज समाज जीवन के लगभग सारे क्षेत्रों में ऐसे संगठन कार्य करके एक शक्ति के रूप में संपन्न है। यह शक्ति किसी के विरोध में नहीं, प्रतियोगिता में नहीं या वर्चस्व प्रस्थापित करने के लिये बल्कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण से ही प्रेरित है।

❍

4. राष्ट्र के समक्ष चुनौतियों

कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत आज चारों ओर से अनेक चुनौतियों से घिरा है। बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, कन्या भ्रूणहत्या, गरीबी जैसी आंतरिक चुनौतियों से जहाँ एक ओर देश को जूझना है वहीं बाहरी चुनौतियाँ भी कम नहीं है। बाहरी चुनौतियाँ पड़ोसी देशों से ज्यादा है, खासकर सामरिक दृष्टिकोण से चीन बड़ी चुनौतियाँ पेश कर रहा है। तो हमारी एकता, अखंडता एवं अर्थव्यवस्था पर पाकिस्तान लगातार चोट कर रहा है।

पड़ोस के देशों से अवैध घुसपैठ भी हमारी राजनीतिक व आर्थिक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। यूरोप में जिस तरह से शरणार्थी के नाम पर तेजी से घुसपैठ हो रहा है, उससे भारत को सबक लेते हुए संभल जाना चाहिए। ऐसा कुछ देश या आतंकवादी संगठन जान बूझकर करते हैं ताकि हमारी जनसंख्या संतुलन बिगड़े और वे अलगाववाद को हवा दें। बंगाल की सीमा से लगे असम के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं।

पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में आ रही नकली मुद्रा भी हमारे लिए बड़ी चुनौती है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सीधा खतरा है। हमारे पड़ोसी मुल्कों की सहायता से चलाए जा रहे हवाला रैकेट के प्रति भी सावधान रहना होगा। हाल ही में देशव्यापी छापों से यह रहस्य खुला कि देश के दुश्मन हवाला कारोबारियों के जरिए हजारों करोड़ रुपये यहाँ से भेज रहे हैं। आतंकवादी समूहों, हवाला का कारोबारियों और कुछ देश विरोधी गैर सरकारी संगठनों के बीच सांठ-गांठ के सबूत सामने आए हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था को अस्थिर बनाने की साजिश है।

साइबर आतंकवाद का खतरा हमारे लिए बढ़ गया है। आज दुनिया उसी की मुठ्ठी में है, जो पूरी तरह से वायु तंरगों पर नियंत्रण रखता है। चीन और अमरीका लगातार सेटेलाइट आधारित ऐसे-ऐसे यंत्रों का आविष्कार कर रहे हैं जिनके जरिए दूसरे देशों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। भारत को अमरीका से कम चीन से ज्यादा खतरा है, क्योंकि चीन हाल के वर्षों में कई बार हमारे वेबसाइट को हैक कर चुका है। चीन की आईटी कंपनियों पर अमरीका और यूरोप की जासूसी करने का भी आरोप लग चुका है। आने वाले दिनों में सूचना प्रौद्योगिकी को भी एक दूसरे पर हावी होने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

विदेशों से सहायता प्राप्त आतंकवाद संगठन, उनके आत्मघाती दस्ते और आतंकवाद के खड़े होते नये प्रारूप भी हमारे लिए खतरे की घंटी हैं।

देश में स्थाई विकास की योजना बने, इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी जनसंख्या वृद्धि का सही प्रबंधन करें। बिना किसी योजना या राजनीतिक कारणों से यदि हम जनसंख्या को यूं ही नजरंदाज तो एक दिन स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। देश में युद्ध की स्थिति बन जाएगी।

बाहरी चुनौतियाँ

- चीन और पाकिस्तान, दोनों के साथ हमारा सीमा विवाद है और ये दोनों पड़ोसी देश हमारे लिए सीमा व घरेलू मोर्चों पर परेशानियां खड़ी कर सकते हैं।
- चीन और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश हैं और इन दोनों ने एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते भारत को चोट पहुँचाने के उद्देश्य से आपस में गहरे राजनयिक संबध स्थापित कर लिए हैं।
- दोनों में से कोई भी देश पहले परमाणु अस्त्र के इस्तेमाल नहीं करने

की घोषणा करने को तैयार नहीं है, जबकि भारत इसके लिए वचनबद्ध है।

- पाक प्रायोजित आतंकवाद के कारण भारत में हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं और अभी भी हमारे देश में पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे सैकड़ों आतंकवादी मॉडल सक्रिय हैं। पूरा विश्व आज जान चुका है पाकिस्तान आतंकवादियों को उद्गम स्थल है और यहाँ से पूरी दुनिया में आतंकियों को भेज रहा है। भारतीय सीमा के आस-पास आज भी पाकिस्तान आतंकवादी कैंप चला रहा है। वह दाउद इब्राहिम और टाइगर मेनन जैसे भारत विरोधी आतंकवादियों को न सिर्फ अपने यहाँ पनाह दे रहा है, बल्कि वह शांति प्रक्रिया के लिए हुए हर तरह के समझौते से मुकर जा रहा है।
- पाक प्रायोजित आतंकवाद मॉडयूल पर सतर्कता बरतने 26/11 हमले के गुनहगारों को भारत लाने जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने जैसी कई चुनौतियों के कारण भारत को काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। हमारी राष्ट्रीय संपत्ति यूं ही जाया हो रही है।
- भारत द्वारा पाकिस्तान को लगातार आर्थिक सहयोग देने और मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान कभी भारत को यह दर्जा नहीं देता, जिसके कारण भारत का व्यापार बाधित होता है।
- चीन के साथ हमारा सीमा विवाद काफी समय से चला आ रहा है। ऐसा लगता है कि चीन इसे हल करने का इच्छुक ही नहीं है। यद्यपि 1962 के बाद भारत चीन सीमा पर कभी कोई गोली बारी नहीं हुई और ना ही कोई विशेष तनाव ही फैला, उसके बावजूद चीन लगातर हथियारों का जखीरा भारतीय सीमा पर इकठ्ठा कर रहा है और हमेशा हमारे विरुद्ध एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाए

हुए है। अभी हाल ही में लखवी के मामले में यूएनए में आए प्रस्ताव पर चीन ने पाकिस्तान का ही साथ दिया।

- यद्यपि भारत ने चीन के साथ हमेशा आर्थिक सहयोग की भावना रखी, लेकिन चीन लगातार हमारी आर्थिक हितों को अनदेखा करता रहा, राजनयिक स्तर पर भी और हिंद महासागर के एक देश के रूप में भी।
- चीन लगातार अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है और भारत के सामुद्रिक हितों के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। यह हमारे लिए एक और बड़ी चिंता की बात है।
- चीन सीमा पर सड़कों को जाल बिछा कर एक तरह से पाकिस्तान और श्रीलंका को मदद कर रहा है। इससे हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व को कड़ी चुनौती मिल रही है।
- जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तब से भारत सोची-समझी रणनीति के तहत नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इन देशों की यात्रा से एक उचित वातावरण भारत के पक्ष में बना है। भारत अब चीन और पाकिस्तान द्वारा संभावित खतरे से निबटने के लिए अपनी सुरक्षा और खुफिया स्रोतों को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम असरदार तरीके से उठा रहा है।

आंतरिक चुनौतियाँ

माओवाद

- पाकिस्तान और चीन से लगातार सहायता प्राप्त कर रहे माओवादी भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं।
- माओवादियों द्वारा की गई हिंसा के कारण अब तक हजारों सुरक्षा

बल के जवान और आम नागरिक मारे जा चुके हैं। भारत के लगभग 200 जिलों में फैले अति वामपंथी विचारधारा के इन अतिवादियों के कारण देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है।

- ये माओवादी अब पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादी समूहों के साथ सांठ-गांठ कर साझा हमले की कोशिश कर रहे हैं।
- पूर्वोत्तर में सक्रिय अलगाववादी संगठन म्यांमार और बांग्लादेश के अपने गुप्त ठिकाने से भारत विरोधी गतिविधियाँ चला रहे हैं और उग्रवादी हमले का संचालन कर रहे हैं।

जबरन धर्मांतरण

- धन और बल के सहारे मसीही और जिहादी गतिविधियाँ चलाकर देश की जनसांख्यिकी ढांचे को बिगाड़ने का षड्यंत्र भारत में कई वर्षों से चल रहा है। यह हमारे लिए एक गंभीर आंतरिक खतरा है।
- धर्मांतरण के खेल में देश के बाहर की एजेंसियाँ भी लगी हैं, जो मुक्त हाथ से धन का और गुंडों का प्रयोग कर रही हैं।
- जबरिया धर्मांतरण एक गंभीर विषय है, क्योंकि इससे हमारा भाईचारा और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है।
- धर्मांतरण हमारे यहाँ राजनैतिक रूप से एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि भारत की कई राजनैतिक पार्टियाँ या तो धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रही हैं, या फिर खामोश समर्थन दे रही हैं।
- हमारे कई राज्यों में धर्मांतरण इतना ज्यादा हुआ है कि वहाँ की पूरी तरह बदल गया है। ऐसे राज्यों के लोगों में आक्रोश और गुस्सा है जो कभी भी फट सकता है।

आर्थिक चुनौतियाँ

- वर्ष 2015 का सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना सर्वेक्षण यह बताता है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी किस तरह से

गरीबी की जिंदगी जी ने को विवश है।

- 60 साल के कांग्रेस के शासन में 60 फीसदी से अधिक ग्रामीण आबादी बदहाली की स्थिति में है।
- देश की लगभग 75 फीसदी आबादी की मासिक आय 5000 रुपये से भी कम है।
- 30 फीसदी आबादी के लिए आज भी खेती ही एकमात्र जीविका का साधन है।
- परंतु 56 फीसदी ग्रामीण आबादी के पास आज भी कोई भूमि नहीं है।
- लाखों लोग भीख मांग कर गुजारा कर रहे हैं।
- 13 फीसदी से अधिक लोग आज भी कच्चे मकान में रहते हैं।
- 11 करोड़ लोग फटेहाली की स्थिति में हैं।

अर्थव्यवस्था से संबंधित सामाजिक मुद्दे

- भारत में कुपोषित महिलाओं और बच्चों की संख्या काफी अधिक है।
- प्रसव के दौरान मृत्यु की दर भी भारत में काफी अधिक है जो यह बताती है कि लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएँ अभी भी नहीं पहुँच रही हैं।
- भ्रूण हत्या एवं शिशु मृत्यु के कारण लैंगिक औसत में बालिकाओं की संख्या कमती जा रही है। हरियाणा, पंजाब और उत्तरप्रदेश में यह औसत खतरनाक स्थिति तक पहुँच गई है।
- इस लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए भाजपा ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, का अभियान चलाया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएँ आज भी दूर की कौड़ी बनी हुई

हैं।

- हमें यह ध्यान रखना होगा कि आधुनिकीकरण का मतलब पश्चिमीकरण नहीं है।
- वैश्वीकरण के नाम पर भारत के उद्योगों और यहाँ की परंपरा व संस्कृति को दांव पर लगाया जा रहा है।
- भारत को विदेशी सामानों का गोदाम बनाने के कारण हमारे परंपरागत उद्योग व लघु उद्योग खतरे में पड़ गए हैं।
- परंपरागत रूप से भारत के दस कुशल समुदाय जिन्हें हम सामूहिक रूप से विश्वकर्मा कहते थे और जिनमें बढ़ई, बुनकर, सुनार, लुहार, कुम्हार, चर्मकार, निर्माण मिस्त्री और ठठेरा कहते थे, उनके हाथ से काम छिन रहे हैं और अब वे किसी और रोजगार की तलाश में भटकने को मजबूर हो गए। आवश्यकता है कि फिर से इन्हें प्रशिक्षित किया जाए और भारत सरकार के स्कील इंडिया कार्यक्रम में इन्हें शामिल किया जाए।
- युवाओं के कौशल विकास के द्वारा रोजगार की ओर उन्मुखकर बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास हो रहे हैं। मुद्रा बैंक भी युवाओं में उद्यमशीलता बढ़ाकर इस समस्या के समाधान के रूप में सामने आया है।

सामाजिक मुद्दे

- भाजपा सरकार ने स्वच्छ भारत के लिए क्लीन इंडिया मिशन की शुरूआत की है।
- स्वच्छता के जरिए कई जानलेवा बीमारियों से हम बच सकते हैं।
- गंगा सफाई योजना हमारे देश के लिए गर्व की बात है।
- इस अभियान को देश की अन्य नदियों से जोड़ने की जरूरत है।

- हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक शहरों को अतिक्रमण और गंदगी से सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।
- ऐतिहासिक और पौराणिक महत्त्व के भवनों और स्थलों की सुरक्षा के प्रति स्थानीय लोगों को जागरूक करना आवश्यक है।
- देश के प्रत्येक नागरिक के लिए स्वच्छ जल पीने के लिए मुहैया हो।
- हर घर बिजली और स्वच्छ पानी भाजपा सरकारों का लक्ष्य हो।
- देश को शत-प्रतिशत साक्षर बनाना भी भाजपा का लक्ष्य है।
- समस्याओं का समाधान सिर्फ कानून बना देने भर से नहीं हो सकता बल्कि इस पर असरदार तरीके से अमल और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना ज्यादा महत्त्वपूर्ण है।

5. कार्यकर्ता विकास

- हमारी पार्टी 'कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है। कार्यकर्ताओं का समुचित विकास ही, स्वस्थ नेतृत्व की गारंटी है।
- सत्तावादी राजनीति कार्यकर्ताओं को परस्पर स्पर्धी बना देती है। इससे कार्यकर्ताओं के संस्कारों का क्षय एवं विचारों का वर्धन होता है। भाजपा का कार्यकर्ता परस्पर सहयोगी है, जिस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये हमारा संगठन बना है, उसे कार्यकर्ताओं की सामूहिकता एवं टीम भावना से ही प्राप्त किया जा सकता है।
- अत: कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो, उदाहरणस्वरूप व्यवहार हो तथा उसे समाजशास्त्र व मनोविज्ञान की समुचित जानकारी हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिये।
- कार्यकर्ता के विकास में दायित्व के निर्वहन की निर्णायक भूमि का होती है। इसलिये हर कार्यकर्ता के लिये संगठन में काम होना चाहिये तथा हर काम के लिये कार्यकर्ता उपलब्ध होना चाहिये।
- पूर्व योजना एवं पूर्ण योजना की बैठक कार्यकर्ता की चिन्तन प्रक्रिया एवं निर्णय प्रक्रिया को चालना देती है। अत: हर कार्यक्रम के बाद समीक्षा बैठक होनी चाहिये इससे कार्यकर्ता में आत्मालोचन का भाव जगता है।
- हर कार्यकर्ता कहीं न कहीं टीम का हिस्सा हो तथा कुछ न कुछ उसको स्वतंत्र दायित्व हो, इससे उसमें सामूहिकता एवं नेतृत्व के गुणों का विकास होगा।
- हम 'जन संगठन' हैं कार्यकर्ता को जनभिमुख होने के पर्याप्त अवसर होने चाहिये। आम सभाओं व नुक्कड़ सभाओं को सम्बोधित

करना, आंदोलनों को संचालित करना आदि।

- अध्ययन का कोई विकल्प नहीं है। कार्यकर्ता को अध्ययन के लिए प्रेरित करना तथा अध्ययन की व्यवस्था करना जरूरी है। कार्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था कार्यकर्ता के विकास की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है।
- जिज्ञासा, सहिष्णुता, सामूहिकता एवं सक्रियता कार्यकर्ता के व्यक्तित्व विकास की कुंजी है।

6. हमारी कार्यपद्धति

कार्यपद्धति हमारी विचारधारा की परिचायक है। कार्यपद्धति हमारे संगठन को सन्नद्ध और सशक्त बनाने की एक सुविचारित प्रक्रिया है।

विचारधारा के क्रियान्वयन का एक साधन है हमारी कार्यपद्धति। अगर कार्यपद्धति में कुछ कमियाँ रहती हैं, कार्यपद्धति अपनाने में हमारी कुछ भूल होती है तो उसका परिणाम हमारी विचारधारा के प्रभाव पर भी होता है। इसलिए हमारी कार्यपद्धति हमारी कालजयी विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाने की वाहक है।

कार्यपद्धति के दो अंग:

I. सांगठनिक व्यवहार-पद्धति

II. व्यक्तिगत व्यवहार-पद्धति

सांगठनिक और व्यक्तिगत पद्धति का स्वाभाविक उद्देश्य है, संगठन को ताकत देना, बलशाली करना।

विचारधारा संगठन का उद्देश्य है, हमारी प्रेरणा भी है, मगर एक व्यापक, उच्चतर मिशन के लिए हम काम करते हैं तो वह मुख्यत: संगठन के लिए और संगठन के सहारे करते हैं। इसलिए सांगठनिक व्यवहार पद्धति अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।

व्यवहार पद्धति के मुख्य अंग निम्नानुसार है-

I. **मनुष्यों का संगठन:** स्नेह और परस्पर मित्रता के आधार पर व्यक्तियों को जोड़ने का कार्य। जो जुड़ता है वह जुड़ा रहे इसके लिए करणीय प्रयास। हर सदस्य को कार्यकर्ता और कार्यकर्ता को संगठन का सक्रिय कार्यकर्ता बनाना, यह इन प्रयासों की दिशा है।

इस प्रयास में हमें सभी के प्रति स्वीकार का दृष्टिकोण रखते हुए

उनके अंदर कार्य की प्रेरणा विशुद्ध रूप में सजग रहे और उसी विचारधारा और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता बरकरार रहे, यह सुनिश्चित करना पड़ेगा।

एक कार्यकर्ता के नाते हमारी सोच और हमारा आचरण कैसा हो?

- सहज उपलब्धता, सादगी, निर्भीकता, अनुशासित आचरण, विश्वसनीयता, संवेदनशीलता समयानुशासन, वाक्कुशल।
- परनिन्दा, आत्मस्तुति, व्यक्तिगत दुराग्रह, पूर्वाग्रह से बचना।
- पद नहीं, दायित्व का भाव।
- पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान, नए का स्वागत।
- कथनी और करनी में सामंजस्य।
- सफलता और श्रेय सबको, असफलता का दायित्व अपने को।
- स्वयं के प्रति कठोर और दूसरों के प्रति नम्र।
- ज्यादा बोलने व चेहरा देखकर बोलने से बचना।
- अपनी ही न सुनाएँ, दूसरों को भी बोलने दें और उन्हें भी सुनें।

II. **परस्परता:** एक दूसरे के सहारे ही संगठन आगे बढ़ता है। इसलिए मधुर परस्पर संबंध संगठन की पूर्वावश्यकता है। दूसरे के प्रति विश्वास, निरंतर और खुलकर संवाद और हमें एक-दूसरे की सहभागिता मूल्यवान है यह धारणा, यह सब परस्परता के लिए अति आवश्यक है। प्रतिस्पर्धा राजनीति में हमेशा हावी होती है, मगर परस्परता के माध्यम से हम प्रतिस्पर्धा की दाहकता कम कर सकते हैं। स्नेह, सद्भावना और सहयोग परस्परता के मूलाधार हैं।

III. **सामूहिकता:**संगठन के मजबूत नींव का दूसरा नाम है, सामूहिकता। सामूहिकता का मतलब है एक समूह के रूप में हमारे क्रियाकलापों के क्रियान्वयन का विचार। सामूहिकता का सूत्र है 'सबको साथ

लेकर' यानि संगठन के सभी को सहभागिता का अवसर देते हुए। संभवतः हर काम के लिए अलग कार्यकर्ता और हर किसी कार्यकर्ता के लिए एक विशिष्ट कार्य, यह दृष्टिकोण हमें रखना होगा। सामूहिकता का आग्रह हमारे व्यवहार से झलके। 'मत अनेक -निर्णय एक' यह हमारे सामूहिकता का सार है।

IV. संवादः

- मतभेदों के बावजूद, संवाद मतभेदों से बचाता है।
- अनेक मतों के बावजूद एक मत विकसित करने में संवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- ऊपर की और नीचे की ओर से बराबर के स्तर पर सामान रूप से संवाद।
- संवाद औपचारिक निर्णय लेने में सहायक होता है।
- संवादहीनता अनेक बार भ्रम, अविश्वास व दूरियाँ बढ़ाता है।
- अस्तु, समस्याओं का समाधान संवाद से, संवाददाता से नहीं।
- वार्तालाप, बैठकें, पत्राचार, गोष्ठियाँ आदि संवाद के माध्यम हैं।

V. संपर्कः

- नियमित कार्यालय आना।
- नियमित व नियोजित प्रवासी कार्यकर्ताओं की योजन व व्यवस्था।
- कार्य के लिए संपर्क के साथ-साथ अनौपचारिक एवं पारिवारिक संपर्क की आवश्यकता।
- प्रवास एवं बैठकें संपर्क के साधन।
- प्रभावी व्यक्तित्व तथा राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान रखने वाला प्रवासी कार्यकर्ता ही समाज में जोड़ सकता है।

VI. अनुशासनः

- अनुशासन का उद्देश्य कार्यकर्ता को संगठन से अलग करना नहीं है। अनुशासन का उद्देश्य उसे संभालना है
- अनुशासनहीनता को रोकने के लिए दल के संविधान में प्रदत्त नियमों का पालन।
- स्वानुशासन का प्रशिक्षण, पालन और सम्मान।

कार्यपद्धति के उपकरण

I. कार्यक्रमः

- संगठनात्मक, रचनात्मक, आंदोलनात्मक।
- सूखा, बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं में समाज सेवा।
- आम आदमी की आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए संघर्ष।
- समाज के स्वयंसेवी संगठनों का गठन और उनमें भागीदारी।
- गोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन।
- ऊपर की इकाई द्वारा जिलाधारित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- अपनी इकाई क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर आंदोलन।
- धरना, प्रदर्शन आदि प्रजातांत्रिक एवं अहिंसात्मक आंदोलन।
- सत्तापक्ष एवं विपक्ष की भूमिका के अनुसार कार्यक्रम।
- संगठन, स्थानीय निकायों, प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय निर्वाचनों के लिए चुनाव प्रबंधन।
- कार्यक्रमों में कार्य विभाजन, अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी, कार्यक्रम संपन्न होने के बाद समीक्षा और आवश्यकतानुसार सुधार।

II. बैठकें:

कार्यसमिति एवं अन्य समितियों की बैठकों का सकारात्मक वातावरण बना रहे, इस बारे में व्यवहार की आवश्यक सावधानियाँ रखना, बैठक की पूर्व तैयारी, बैठक में लिए गए विषयों को निर्णयों तक पहुँचाना। पार्टी की विभिन्न इकाइयों की बैठकें सामान्यत: कम से कम निम्नलिखित अवधि में होगी–

- राष्ट्रीय परिषद् तथा प्रदेश परिषद – वर्ष में एक बार।
- राष्ट्रीय कार्यकारिणी तथा प्रदेश कार्यकारिणी – तीन महीने में एक बार।
- क्षेत्रीय समिति, जिला समिति, मंडल समिति – दो महीने में एक बार।
- स्थानीय समिति – एक महीने में एक बार।

बैठकों में सादगी हो, समय निर्धारित हो, विषय तय हो, बैठक लेने वाले के नाम व बैठक में भाग लेने वालों का स्तर तय हो।

कार्यपद्धति के बुनियादी सूत्र

- संगठन के स्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राह्य – सर्वग्राही बनाना।
- प्रत्येक स्तर पर नेतृत्व में सभी वर्गों को योग्य स्थान देना।
- सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों, समाज सेवकों, मीडिया आदि से सतत संपर्क व संवाद।
- मीडिया से संपर्क आवश्यक किंतु मात्र छपने के लिए मीडिया के हाथों में खिलाना न बनें।
- कार्यकर्ता का स्थान कर्मचारी और नेता का स्थान मैनेजर न ले।
- प्रत्येक कार्यकर्ता को काम और कार्य के लिए कार्यकर्ता की व्यवस्था।

- हमारे कार्यों में न धन का अभाव रहे और न धन का प्रभाव
- संगठन में पसीना और पैसे में संतुलन रखा जाए वैचारिक एवं सांगठनिक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन।
- संगठन की गतिविधियों में लोकतांत्रिक पद्धति का अनुसरण सर्वानुमति के लिए प्रयास।
- प्रत्येक बूथ में जाना, प्रत्येक गली में घूमना, प्रत्येक दरवाजे पर दस्तक देना तथा प्रत्येक मतदाता से बात करना।
- संगठन, स्थानीय निकायों, प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय चुनावों के प्रबंधन की समुचित व्यवस्था।
- चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन।
- प्रत्याशी चयन के पूर्व व्यापक विचार – विमर्श किंतु प्रत्याशी की घोषणा के बाद विजय हेतु निष्ठापूर्वक प्रयास करना।
- संगठन तथा सरकार में 'एक व्यक्ति एक पद' के सिद्धांत का यथासंभव पालन।

❍

7. क्षमता विकास एवं आत्मावलोकन

कोई समाज कितना सभ्य है, उसकी परख उस समाज में स्त्रियों की स्थिती से होती है। महिला का क्षमता विकास के अनेक आयाम हैं। महिला सशक्तिकरण को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी भागीदारी के आधार पर मापा जा सकता है। महिलाओं को वास्तव में सशक्त होने के लिए कहा जा सकता है जब महिलाओं के आत्म-मूल्य जैसे सभी कारक, अपने स्वयं के जीवन को नियंत्रित करने का अधिकार, सामाजिक परिवर्तन लाने की उनकी क्षमता को एक साथ संबोधित किया जाता है। महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण की आवश्यकता: आरक्षण के माध्यम से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी निस्संदेह हाल के दिनों का एक सकारात्मक विकास है। इस प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। भारतीय जनसंघ से ले कर इस राजनीतिक प्रक्रिया में हमने महिलाओं को आदरपूर्वक स्थान दिया है। महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में सन्मानपूर्वक स्थापित करने का महान कार्य हमने किया है। आज भी भारतीय राजनीति में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी में है। राजनीति में महिलाओं के जीवन को प्रभावी ढंग से एकजुट करना चाहिए और इस दिशा में सभी प्रयासों को सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिससे समाज में पुरुष और महिला बलों के बीच संतुलन प्रकट हो सके। किसी भी समाज के आधुनिकीकरण के लिए प्रयासों को सफल बनाने के लिए, महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जरूरी है। पुरुषों के प्रति पक्षपात किए बिना महिलाओं को समान अवसर प्रदान करके ग्रामीण समाजों में पुरुष और महिला योगदानकर्ताओं के बीच एक आदर्श संतुलन की आवश्यकता है।

ऐसा होने के लिए, महिलाओं को सभी मोर्चों पर - सामाजिक,

आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक – पर इस तरह से सशक्त बनाने की आवश्यकता है कि वे समाज के विकास को बढ़ाने के लिए सभी प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। यदि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जैसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसरों के साथ सशक्त होते हैं, तो महिलाओं को सार्वजनिक रूप से सक्रिय जीवन जीने का विकल्प होगा, जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। हमें समाज में अनुकूल वातावरण बनाने की जरूरत है ताकि महिलाओं को अपने विचारों को स्पष्ट करने और उनके कार्यों में अधिक उत्पादक बनने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास हो। उन्हें अपने परिवार, समाज और देश के लिए निर्णय लेने में शामिल होने के समान अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में समकालीन समाज सामाजिक और आर्थिक विकास के मोर्चे पर परिवर्तन की प्रमुख प्रक्रियाओं के सामने खुल गए हैं। हालांकि, इन प्रक्रियाओं को एक संतुलित तरीके से लागू नहीं किया गया है और पूरे विश्व में लैंगिक असंतुलन को बढ़ाया गया है जिसमें महिला पीड़ित बनी हुई है। महिला सशक्तिकरण की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए, हमें एक पूरी तरह से बदल दिया समाज की आवश्यकता होती है जिसमें विकास के समान अवसर उपयुक्त रूप से महिलाओं को प्रदान किए जा सकते हैं ताकि वे अपने पुरुष समकक्षों के साथ सह-अस्तित्व में रख सकें जो एक बड़े अर्थ में समाज के विकास के लिए जिम्मेदार सभी कारकों में समान रूप से योगदान दे। प्रधानमंत्री मोदीजी ने सब का साथ सबका विकास का नारा दिया है उसमें महिलाओं को साथ लेने का और महिलाओं के विकास का संकल्प सम्मिलित है। राजनीति में हमारी इस भूमिका को जानना और इस के अनुरूप हमारा व्यवहार करना, हमारा पक्ष रखना आवश्यक हो जाता है। क्षमता विकास की प्रक्रिया में व्यक्तित्व का विकास, अनुशासन, भाषण कला का विकास, समय

प्रबंधन, मीडिया प्रबंधन, सोशल मीडिया का प्रयोग, आरटीई का प्रयोग ये सारी बाते उस में आती है। इन सारे विषयों के परिप्रेक्ष्य में हमें विचार करना होगा। व्यक्तिगत विकास वैसे तो हम इस शब्द को हमेशा ही अपने गुरुजनों, शिक्षकों और सकारात्मक बातों से जुडी किताबों में पढ़ते आयें हैं लेकिन कभी हमने सोचा है जीवन में इस शब्द की अहमियत कितनी हद तक है। व्यक्तिगत विकास क्या जीवन में आपका बोलने का तरीका, आपके पहनावे का तरीका या आप लोगों से कितनी आसानी से जुड़ते या नेटवर्क बनाते हैं मित्रता करते हैं उसका तरीका है? जी नहीं यह इन चीजों से परे है। आज के दुनिया में जीवित रहने के लिए हर किसी व्यक्ति को हर समय चालक और तर्कशील होना बहुत ही आवश्यक है। सिर्फ आपकी ताकत नहीं व्यक्तित्व भी इसमें एक अहम भूमिका निभाती है।

I. आत्मविश्वास

अपने ऊपर विश्वास रखना पहला कदम है अपने व्यक्तित्व विकास के लिए। अपनी काबिलियत पर कभी भी शक ना कीजिये और हमेशा अपने से स्वयं कहें! मैं कर सकता, ये मेरे लिए है। अच्छी सफलता से जुड़ी प्रेरक और प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ें इससे जीवन में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही इससे आत्म सम्मान बढ़ता है और व्यक्तित्व में भी निखर आता है।

II. दृष्टी में खुलेपन

अपने अन्दर अच्छा व्यक्तित्व विकास लाने का एक और सबसे बड़ा कार्य है अपने विश्वदृष्टि में बदलाव लाना। दूसरों की बात को ध्यान से सुनें और अपने दिमाग के बल पर अपना सुझाव या उत्तर दें। अपने फैसलों को खुद के दम पर पूरा करें क्योंकि दूसरों के फैसलों पर चलना या कदम उठाना असफलता का एक मुख्य कारण है। हमेशा खुले दिमाग से सोचें और अपने हृदय में दया की भावना रखें।

III. शारीरिक भाषा

व्यक्तिगत विकास के लिए शारीरिक भाषा में सुधार लाना बहुत आवश्यक है। इससे आपके विषय में बहुत कुछ पता चलता है। हर चीज चाहे वह आपका खाने का तरीका हो, चलने का तरीका हो, बात करने का हो या बैठने का तरीका सब कुछ बॉडी लैंग्वेज से जुड़ा है। मनुष्य का शरीर मनुष्य की आत्मा का बेहतरीन चित्र है।

IV. सकारात्मक सोच रखना

सभी जगह सकारात्मक सोच का होना अच्छे व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे सोचने का तरीका यह तय करता है कि हम अपना कार्य किस प्रकार और किस हद तक पूरा कर सकेंगे। सकारात्मक विचारों से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्तित्व को बढ़ाता है। जीवन में कई प्रकार की ऊँची-नीची परिस्तिथियाँ आती हैं परन्तु एक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हमेशा सही नजर से सही रास्ते को देखता है। एक सकारात्मक कदम उठाने के लिए हमें सकारात्मक दृष्टि जागृत करने की आवश्यकता है।

V. लोगों से जुड़ना

ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से मिलना और अलग-अलग प्रकार के लोगों से मिलना जीवन के एक नये स्तर पर जाना है। इससे जीवन में संस्कृति और जीवन शैली से जुड़ी चीजों के विषय में बहुत कुछ सिखने को मिलता है जो व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है।

VI. अच्छा श्रोता बनना

ज्यादातर लोग समझने के लिए नहीं सुनते, वे उत्तर देने के लिए सुनते हैं। क्यों? सही बात है ना। एक अच्छा श्रोता होना बहुत कठिन है परन्तु यह व्यक्तित्व विकास का एक अहम स्टेप है। जब भी कोई आपसे बात करे, ध्यान से उनकी बातों को सुनें और समझें और अपना

पूरा ध्यान उनकी बातों पर रखें। सीधी आँखों से ध्यान दें और इधर-उधर की बातों पर ध्यान ना दें। ज्यादातर सफल व्यक्ति मैं जानता हूँ जो बात करने से ज्यादा सुनते हैं।

VII. खुश रहें, खुशियाँ ही सफलता की कुंजी

दुनिया की हर चीज में खुशी देखने के लिए प्रयास करें। दूसरों के साथ हँसे पर दूसरों पर कभी भी ना हँसे। उल्लासपूर्ण व्यक्ति की हमेशा सराहना की जाती है। हँसना अच्छे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। सफलता खुशी के लिए चाबी नहीं, खुशियाँ ही सफलता की कुंजी है। अगर आप अपने कार्य से खुश हैं, तो आप जरूर सफल बनेंगे।

VIII. विनम्रता व्यक्तित्व अच्छा करने वाला गुण

भले ही आप प्रतिभाशाली हों, बहुत बड़े व्यक्ति हों परन्तु अगर आपके जीवन में विनम्रता नहीं तो आपका व्यक्तित्व कभी अच्छा नहीं हो सकता। बड़ा अहंकार करने वाले व्यक्तियों को कोई पसंद नहीं करता। विनम्रता दोस्त बनाने का सबसे सस्ता तरीका है।

IX- ईमानदारी और सच्चाई

कभी भी किसी को धोका ना दें और भरोसा ना तोड़ें। आपके चाहने वाले आपकी सराहना करेंगे अगर आप ईमानदारी रहेंगे तो। जीवन में विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है अगर एक बार वह विश्वास टूटा तो भरोसा करना मुश्किल हो जायेगा। सच्चाई और ईमानदारी को अपना पहला सिद्धांत बनाओ।

X. मुश्किल की स्थिती में शांति

बहुत सारे लोगों का व्यक्तित्व बाहर से देखने में बहुत ही सुन्दर और अच्छा दीखता है लेकिन मुश्किल पड़ने पर उनकी सिट्टी-पिट्टी गुल हो जाती है। इमरजेंसी के समय उनका दिमाग काम नहीं देता और वे हमेशा टेंशन में रहते हैं। वैसे समय में हार मानने वाले व्यक्ति का

व्यक्तित्व अन्दर से कमजोर होता है।

XI. हमारी खुद की विश्वसनीयता होनी चाहिए। इसी के साथ पार्टी और विचारधारा के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए।

भाषण कला का विकास

भाषण कला का विकास यह व्यक्तित्व विकास में एक आवश्यक कदम है। राजनीति हो या सामाजिक संगठन अपनी बाते प्रभावी और असरकारी ढंग से रखना आवश्यक हो जाता है। बहुत लोगों के लिए भाषण देना एक बहुत मुश्किल काम है, स्टेज पर खड़े होते ही पसीना छूट जाता है। हालांकि ये भी सच है कि तीन–चार बार स्टेज से बोलने के बाद आपका ये डर खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। वक्ता तो आप बन जाते हैं, लेकिन कुशल वक्ता होना आसान नहीं। कॉरपोरेट हो, पॉलिटिक्स हो, कॉलेज हो, सोसायटी हो या फिर और कोई भी फील्ड, कुशल वक्ताओं की पूछ हर जगह होती है। ऐसा होना मुश्किल जरूर हो लेकिन नामुमकिन नहीं, ड्राइविंग और स्विमिंग की तरह थोड़ी सी प्रेक्टिस और कुछ नियमों को लगातार फॉलो करने से आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं, हाँ पर बिना क्रिएटिव माइंड के राह आसान नहीं। मा. नरेंद्र मोदी जैसे नेता मंच पर आते ही उत्साह और जोश से भर जाते हैं, उनका ये उत्साह खोखला नहीं होता, उनका ज्ञान और विषय पर पकड़ उनकी आँखों में चमक की असली वजह होती है। तो जाहिर है आपको जिस विषय पर बोलना है, उसकी पहले से तैयारी बहुत जरूरी है। घबराहट एक ऐसी चीज है जो सबको होती है चाहे वो कुशल खिलाड़ी हो या नौसिखिया, सो उसे अपने ऊपर हावी होने से बचा जाए उतना ही ठीक है। इससे बचने का एक ही तरीका है अभ्यास, क्योंकि तैराकी अगर सीखनी है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे पर बैठकर तैराकी के नुस्खे सीखने से कुछ नहीं होगा। विषय का ज्ञान और उस पर पकड़ दो अलग–अलग बातें हैं, विषय का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं

है, आपकी उस पर पकड़ भी होनी चाहिए। जितना आप उसे समझेंगे, उतना ही आत्मविश्वास से आप समझा पाएंगे, बोल पाएंगे। सबसे पहले श्रोताओं से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, उसके लिए प्रभावी वाक्यों, शब्दों का चयन जरूरी है, उसके लिए अच्छे से तैयारी करें, शुरूआत में ही श्रोताओं से अगर आप कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो आपकी हर बात को सीरियसली लेते हैं। वक्ताओं के लिए स्पीकिंग की ए, बी, सी, डी, ई जरूर याद रखनी चाहिए। ए फॉर एक्शन और एरिया यानी आप जिस सब्जेक्ट एरिया के बारे में आप बोलने आए हैं, आपके पास एक्शन प्लान है कि नहीं, जानकारी है कि नहीं, उस एरिया की समस्या और उसका समाधान है कि नहीं। दूसरा बी यानी बोल्डनेस, ये आपके कॉन्फीडेंस का पैमाना है, मंच पर बोलते वक्त आत्मविश्वास से लबालब होने चाहिए। तीसरा सी यानी क्रिएटिव, क्रिएटिवटी बहुत जरूरी है, कुछ जुमले, कुछ शेर, कुछ कविताएँ, कुछ जोक, कुछ प्रेरणा देने वाले वाकए आपके दिमाग की मैमोरी में हमेशा होने चाहिए और आपकी क्रिएटिवटी इसमें है कि आप मौके की नजाकत को देख कर फौरन मौके पर चौका मार सकें। चौथा है डी यानी डाटा, आपको अपने विषय के कुछ इंटरेस्टिंग डाटा जरूर तैयार करके बोलने जाना चाहिए, डाटा या आंकड़े देने से आपकी बातों में वजन आता। पाँचवाँ शब्द है ई, यानी एनर्जी, जब आप बोल रहे हों तो आपके आसपास मंच पर, श्रोताओं के बीच, आयोजकों के बीच एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए। अच्छे वक्ता वो होते हैं जो मंच पर आते ही सबसे पहले पूरे ईवेंट की एनर्जी बढ़ा देते हैं, स्लोगंस, गीत या चुटीले वाक्यों से ऐसा किया जा सकता है। हर फील्ड के अच्छे वक्ताओं के वीडियोज यूट्यूब में देखकर आसानी से इसे किया जा सकता है। जब आप मंच पर हों तो यह विश्वास होना जरूरी है कि ये आपका मंच है, आपकी सत्ता है और इस पर आपकी पूरी पकड़ जरूरी है क्योंकि आप अपने अंदर यह महसूस नहीं करेंगे तो आपकी अपनी बात पर भी पकड़ नहीं रहेगी। नम्र

रहिए लेकिन दब्बू नहीं। आंकड़ों और बातों में सच्चाई होनी चाहिए, और विचारों को पूरी मजबूती से रखिए। एक और बड़ी बात है लय और शैली। वक्ता यदि अपने ज्ञान का प्रदर्शन एक सुर में करता रहे तो शायद आधे से ज्यादा श्रोता सो जाएँगे। इसलिए माहौल बोरिंग ना हो, इसलिए इससे बचना जरूरी है। अपनी बातों में लय, रस और एक दिलचस्प शैली डेवलप करना बहुत जरूरी है। बस अपनी बात को फील करिए और उसी भावनात्मक अंदाज में पब्लिक के सामने रख दीजिए, देखिएगा श्रोता कैसे बहता चलेगा आपके साथ। बोलने से पहले ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि सुनने वाले कौन हैं, मेजोरिटी किसकी है। जाहिए है बच्चे सामने बैठे हैं, तो आपको उनके मूड को ध्यान में रखना होगा, महिलाएँ हैं तो उनसे जुड़ी बातों को अपने शब्दों में पिरोना होगा। कॉरपोरेट्स हैं तो उनकी डेली लाइफ से जुड़ी बातों, किस्सों को लेना होगा, युवा किसी और तरह के मूड में रहता है और गाँव देहात के लोग अलग तरह की बातें सुनना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस, जब मौका मिले, जहाँ मौका मिले, स्कूल की स्टेज पर, मोहल्ले की मीटिंग में, घर के फंक्शन में जिस मुद्दे पर मौका मिले, कुछ नाकुछ जरूर बोलिए। धीरे-धीरे आपकी झिझक और डर मिटने लगेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप जिससे सबसे ज्यादा डरते हैं, उसी पर सबसे पहले अटैक करिए, यानी बोलना शुरू करिए। वैसे आजकल तो शुरुआत मोबाइल कैमरे के साथ भी की जा सकती है, तैयारी करिए, अपना मोबाइल ठीक ऊँचाई पर सेट करिए, वीडियो कैमरा ऑन कर दीजिए और कर दीजिए शुरुआत अच्छा वक्ता बनने की। फिर तैयारी करिए, फिर बोलिए, फिर खुद तुलना करिए या खास दोस्त से करवाइए कि पहले से बेहतर हुआ कि नहीं। खुद से ही कम्पटीशन करिए, सच मानिए धीरे-धीरे आप जानेंगे कि ये तो बहुत ही आसान है।

अनुशासन

अनुशासन सफलता की कुंजी है-यह किसी ने सही कहा है।

अनुशासन मनुष्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। यदि मनुष्य अनुशासन में जीवन-यापन करता है, तो वह स्वयं के लिए सुखद और उज्ज्वल भविष्य की राह निर्धारित करता है। मनुष्य द्वारा नियमों में रहकर नियमित रूप से अपने कार्य को करना अनुशासन कहा जाता है। यदि किसी के अंदर अनुशासनहीनता होती है तो वह स्वयं के लिए कठिनाईयों की खाई खोद डालता है। यदि दृष्टि डाली जाए तो समाज में चारों तरफ अनुशासनहीनता दिखाई देती है। यही कारण है कि देश की प्रगति और विकास सही प्रकार से हो नहीं पा रहा है। यदि अनुशासन नहीं होगा तो समाज की दशा बिगड़ेगी और यदि समाज की दशा बिगड़ेगी तो देश कैसे उससे अछुता रहेगा। अनुशासन चंचल मन को स्थिर करता है। यह स्थिरता उन्हें जीवन के सघर्ष में दृढतापूर्वक आगे बढ़ने में सहायक होती है। यह सब अनुशासन के कारण ही संभव हो पाता है।

समय प्रबंधन

हमारे पास वास्तव में उतना ही समय है जितना की किसी भी सफल व्यक्ति के पास। समय, सफलता की कुंजी है। समय का चक्र अपनी गति से चल रहा है या यूँ कहें कि भाग रहा है। अक्सर इधर-उधर कहीं न कहीं, किसी न किसी से ये सुनने को मिलता है कि क्या करें समय ही नही मिलता। वास्तव में हम निरंतर गतिमान समय के साथ कदम से कदम मिला कर चल ही नही पाते और पिछड़ जाते हैं। समय जैसी मूल्यवान संपदा का भंडार होते हुए भी हम हमेशा उसकी कमी का रोना रोते रहते हैं क्योंकि हम इस अमूल्य समय को बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। इसीलिए कहते है की जो समय की कद्र करता है, समय उसी की कद्र करता है। राजनीति में भी व्यस्तता जितनी अधिक उतना समय का प्रबंधन जरूरी हो जाता है।

I. सबसे महत्त्वपूर्ण काम सबसे पहले

प्रति दिन 2 अथवा 3 कार्यो की सूचि बनायें जो आपके लिए

महत्त्वपूर्ण और कठिन है और इन्हें ही सबसे पहले करे।

II. नहीं कहना सीखें

यह जान लें कि आप अपनी क्षमता से ज्यादा काम नहीं कर सकते और उससे ज्यादा काम मत लें। अगर बीच में कोई काम आता है जिससे आपका चल रहा काम बाधित हो रहा हो तो न कहें या उसके लिए कोई अन्य समय आवंटित करें।

III. 7-8 घंटे सोये

कुछ लोग सोचते है की कम सोना ही सफल जिंदगी की निशानी है लेकिन आप थके हुए शरीर, दिमाग से ज्यादा काम नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते भी है तो सबसे पहले आपकी काम करने पर असर पड़ता है। इसका मतलब हुआ की आपका स्वास्थ्य बिगड़ना तय है।

IV. अपने वर्तमान कार्य पर पूरा करे

अपना ध्यान भंग करने वाले सभी कामों को ना करे जैसे कि काम करते हुए टेलिवीजन, मोबाईल का इस्तेमाल, इत्यादि अपना सारा ध्यान वर्तमान कार्यों पर दें।

V. प्रतिदिन की योजना बनाएँ

एक दैनिक योजना बनायें। यह योजना आप रात में सोने से पहले या फिर सुबह में बना लें। इससे यह होगा कि कल पूरे दिन आप क्या करने वाले हैं इसका पता चल जायेगा। अब आप अपने योजना के मुताबिक अपने काम को करते रहेंगे।

VI. समय सीमा निर्धारित करे

अपने काम को कब समाप्त करना चाहते हैं उसका एक समय सीमा अंकित कर लें अब अपने आप को इस तरह सक्रिय करें कि आपका काम समय पर पूरा हो जाये।

VII. अनुपयोगी कार्यों से बचे

आपका समय जिस भी काम करने से नष्ट होता है या इससे आप अपने काम से दूर होते जाते हैं समय की बरबादी कहलाते हैं। जैसे टीवी, सोशल मिडिया, सेल्फी जैसे कामों पर ज्यादा समय बिताना इनसे बचें।

VIII. समय का ध्यान

हमेशा वक्त का ध्यान रखें। अपने पास एक घड़ी हमेशा रखें। कभी-कभी काम की व्यस्तता में समय का अहसास नहीं रहता। अतः अच्छे समय प्रबंधक अपने पास एक घड़ी जरूर रखते हैं।

IX. समय निर्धारण

प्रत्येक कार्य के लिए एक समय निर्धारित करें। यह स्पष्ट रखें कि पहला काम 12 बजे तक दूसरा काम 2 बजे तक और तीसरा काम 6 बजे तक कर लेना है। इससे आपका काम न सिर्फ समय पर होता है बल्कि एक काम का समय दूसरे काम में नहीं देना पड़ता है।

X. डेलिगेशन

अपना काम अपने सहयोगियों पर सौंपे। नए नेतृत्त्व के विकास के लिए यह आवश्यक है।

मीडिया प्रबंधन

मीडिया राजनीति में मत निर्धारण करने वाला प्रभावी औज़ार है। समाचार पत्र, टीवी चैनल, सोशल मीडिया इन सभी विधाओं को हमारे कार्य में असरकारी तरीके से प्रयोग करने के लिए मीडिया प्रबंधन एक बडा विषय है। प्रेस विज्ञप्ति तैयार करना, समय सीमा में समाचार पत्रों तक पहुँचाना, संवाददाता सम्मेलन का आयोजन, संपादकों से संवाद, प्रकाशित सामग्री पत्रकारों तक पहुँचाना, टीवी की चर्चा में शामिल होना, असरकारी ढंग से अपना पक्ष रखना, सोशल मीडिया पर विश्वास

अर्जित करते हुए अपने विचार रखना ये सारी बाते आवश्यक हैं। इसके लिए मीडिया सेल बनाकर एक टीम को तैयार करना महत्त्वपूर्ण है। महिलाओं के बारें में अनेक कानून है, इनकी जानकारी रखना, समाज में महिलाओं को इन कानूनी जानकारी दे कर उसका उपयोग करने का तरीका बताना, महिला आयोग जैसी व्यवस्था का ज्ञान देना, राईट टू इन्फॉरमेशन का उपयोग कर, योजना क्रियान्वयन की जानकारी रखकर परिवर्तन की गति बढ़ाने हेतु सूचना हासिल करने का तरीका महिला कार्यकर्ता को बताना प्रशिक्षण देना आवश्यक है।

❍

8. महिला बूथ रचना और चुनाव प्रबंधन

चुनाव के समय सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण विषय है, अधिक से अधिक मतदाता मतदान करने हेतु बूथ पर आये। हमें मतदाता को मतदान करने के लिए प्रेरित करना चाहिये। अत: मतदाता को प्रेरित कर मतदान केंद्र (बूथ) पर लाने हेतु की गयी अति महत्त्वूपर्ण कार्य रचना अर्थात् ''बूथ रचना''।

''बूथ रचना'' यह चुनाव प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली, समाज के विभिन्न वर्गों के मतदाताओं तक सीधे पहुँचने और मतदाता से सर्वाधिक निकट संबंध रखने वाली रचना है।

यह रचना जिस भी वार्ड में जिस पार्टी की सबसे सशक्त होगी, उस पार्टी के चुनाव जीतने की सर्वाधिक संभावना रहेगी। जिस प्रकार मतदान का अंतिम सिरा मतदाता है उसी प्रकार चुनाव - चुनाव व्यवस्था का अंतिम सिरा है मतदान केंद्र (बूथ)।

चुनाव में सफलता प्राप्त करने का एक मूलमंत्र बूथ व्यवस्था की संकल्पना है। यह चुनाव प्रबंधन में सामान्य परन्तु महत्त्वपूर्ण आयाम है।

चुनाव और बूथ रचना

ऐसा अनुभव हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते समय हर कार्यकर्ता की कार्यशैली, व्यक्तित्व, स्वभाव, आचार, विचार आदि भिन्न-भिन्न होता है।

राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य के लिए, सेवा के लिए विचारधारा के लिए, पक्ष की सत्ता एक महत्त्वूपर्ण साधन है अत: एक राजनैतिक दल के लिए सत्ता जीतना अत्यावश्यक है। हमारी पार्टी, ''पार्टी विथ डिफ्रेंस'' अर्थात् हम अन्य दलों से अलग है। हम समाज के अंतिम घटक तक पहुँचने वाली पार्टी है। एकात्म मानवतावाद का सिद्धांत देने वाले परम

पूजनीय स्व0 श्री पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी ने नर को नारायण बनाने हेतु, नारायण रूपी समाज के अंतिम घटक को केंद्र मानकर उन्हें विकास की दिशा, शिक्षा दी। उच्च ध्येय हेतु, भारतवर्ष को एक संघ देश रखने हेतु परम पूजनीय स्व0 श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी द्वारा कश्मीर में स्वयं के प्राण संगठन, संरचना और संघर्ष इन सूत्रों पर भारतीय जनता पार्टी का कार्य अविरत चालू है।

यह कार्य करते समय संगठन के विस्तार हेतु जिला, तालुका, मंडल की रचना कर, गाँव-गाँव तक पार्टी का कार्य पहुँचाने का लक्ष्य लिये अनेकानेक कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारी-गण, जन तक पार्टी का कार्य पहुँचाने का लक्ष्य लिए अनेकोनेक कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारी गण, जन प्रतिनिधि प्रयासरत रहे और हैं। भाजपा ने अपना विस्तार और कार्य बढ़ाने के लिए विभिन्न अभियान समय-समय पर चलायें, जैसे कि

1) सदस्यता अभियान

2) महा-सम्पर्क अभियान

3) विस्तारक अभियान

4) गाँव चलो अभियान

5) घर-घर चलो अभियान

इस प्रकार एक के बाद एक अभियानों की घोषणा पश्चात् उसे धरातल पर प्रत्यक्ष कार्यपालित करने हेतु कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाकर इन्हें सफल बनाया है।

नगरनिगमों, नगरपालिओं का चुनाव विभिन्न प्रकार के मुद्दों तथा तरीकों से लड़ा जाता है। जैसे की पार्टी, गठबंधन, अलाइंस, स्थानीय विकास के मुद्दे। इसी तरह विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भी पार्टी की छवि और चिह्न आधारित होते हैं इसलिए पार्टी का नाम, उम्मीदवार का नाम, चिह्न, ईवीएम में बटन नंबर, पार्टी का संकल्प पत्र,

प्रचार पत्रक इत्यादि गाँव–गाँव तक पहुँचाने का कार्य अति महत्त्वपूर्ण है और यह हो भी रहा है। पर हमारा कार्य यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि समाज के अंतिम घटक तक तथा समाज के प्रत्येक वर्ग तक भाजपा के विचारों को पहुँचाना, अधिक से अधिक बहनों, भाइयों, युवाओं, विभिन्न क्षेत्रों तथा स्तरों पर नौकरी करते हुए लोगों, अधिकारियों, व्यापारियों, किसानों, खेत श्रमिकों, आदिवासियों, दलितों अल्पसंख्यकों तक पार्टी के विचार, पार्टी के विभिन्न कार्य, अभियान हमें स्वयं संपर्क कर पहुँचाना आवश्यक है।

वर्तमान में चुनाव देश में सतत वर्ष–दो वर्ष में कहीं न कहीं होते ही रहते हैं, अतः चुनाव लड़ना, लड़वाना एक नियमित बात है, परन्तु इसकी पद्धति और तरीकों में समयानुसार परिवर्तन होता रहता है और आगे भी होता रहेगा और इस दृष्टिकोण अनुसार नवीन संकल्पनाएँ और संरचनाएँ आती रहेंगी।

चुनाव प्रबंधन में अनेक विषय आते है, उम्मीदवार, उम्मीदवार का प्रवास, उम्मीदवार की छोटी बैठकें, पद यात्रा, बाइक रैली, सार्वजनिक भाषण, कार्यालय चुनाव खर्च का विवरण, अनुमतियाँ, प्रचार के लिए बैनर, पोस्टर, बिल्ले, झंडे, नेताओं तथा स्टार प्रचारकों की सभा, आर्थिक नियोजन, संयोजन, व्यवस्था, प्रचार, मतदाता सूची, चुनाव प्रतिनिधि, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट, बूथ एजेंट, बूथ के बाहर पार्टी का डेस्क, कार्यकर्ताओं हेतु चुनाव दिवस में भोजन व्यवस्था/टिफिन पहुँचाना, ऐसी अनेकानेक प्रकार की रचना तथा व्यवस्था हम करते है परन्तु अंततः चुनाव जीतने के सिवाय अन्य कोई विकल्प नहीं होना चाहिये।

कई लोगों के अनुसार चुनाव धन से जीता जा सकता है, कुछ के अनुसार चुनाव उम्मीदवार के कारण जीता जा सकता है और बहुतों के अनुसार जातिगत गणित बैठाकर मतों का विभाजन अपने पक्ष में कराकर

विरोधियों को चुनाव में हराया जा सकता है। परन्तु असल में पार्टी के कारण तथा कार्यकर्ताओं के कारण चुनाव जीते जा सकते है, इस पर सभी एकमत ही होंगे, परन्तु अंतत: चुनाव जीताने वाली सबसे महत्त्वपूर्ण कड़ी केवल मतदाता है और इसमें किसी प्रकार का कोई भी दूसरा मत है ही नहीं ऐसी सभी बातों पर विचार करके शीर्ष नेतृत्व द्वारा केवल बातों में ही नहीं अपितु इसे ग्राउंड पर अमल में लाने का सतत प्रयास, मार्गदर्शन और तरीको का ज्ञान समय पर दिया जाता रहा है।

हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बूथ रचना कर, भाजपा का कार्य समाज के अंतिम घटक तक ले जाने का निर्देशन है। सामान्य रूप चुनाव जीतने के लिये मतदाता सूचि का अध्ययन जरूरी है। जो इस मतदाता सूचि का अच्छे से अध्ययन करते है उन्हें चुनाव सरल और आसान लगते है। परन्तु जो लोग ऐसा सोचते है कि लहर चल रही है और लहर में हम जीत जायेंगे, उनकी अधिकांश समय अपेक्षाएँ भंग हो जाती है। इसलिए चुनाव जीतने के लिए ''चुनाव प्रबंधन तथा प्रभावी बूथ यंत्रणा'' और ''बूथ रचना'' की आवश्यकता है।

जिस तरह मतदान का अंतिम सिरा मतदाता है उसी प्रकार चुनाव यंत्रणा का अंतिम सिरा मतदान केंद्र/बूथ है।

गाँवों की ग्राम पंचायत, शहरों की नगर निगम/नगरपालिका, उनके वार्ड, सभी में एक समान सूत्र है जो कि है बूथ, इस बूथ की रचना, इस बूथ का अध्ययन अर्थात् बूथ की मतदाता सूची का विस्तृत रूप से अध्ययन करके मतदाताओं के साथ प्रत्यक्ष संपर्क करते है तो चुनाव जीतना सरल तथा आसान हो जाता है, इस हेतु बूथ यंत्रणा और बूथ रचना के साथ बूथ समिति सशक्त और काम करने वाली हो यह भी आवश्यक है।

यदि हम माने की सामान्य तौर पर हर बूथ पर लगभग 1000 मतदाता होते हैं, तो इस अनुसार निम्नलिखित विभिन्न वर्गीकरण/विश्लेषण

किये जा सकते हैं।

कुल परिवारों की संख्या/घरों की संख्या

1) कुल पुरूष

2) कुल महिला

3) कुल युवा

4) कुल 18 वर्ष आयु पूर्ण किये नए मतदाता

5) सुशिक्षित बेरोजगार

6) व्यवसायी

7) नौकरी करने वाले

8) बड़े किसान

9) छोटे और सीमांत किसान

10) खेत मजदूर

11) श्रमिक

12) डॉक्टर/वकील/प्रोफेसर/शिक्षक

13) गाँव के बढ़ई/लोहार/नाई (व्यापार अनुसार विभाजन)

14) अक्षम/अपंग

15) विभिन्न वर्गों पर आधारित

बूथ में आने वाले क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सहकारी संस्थान, उनके प्रतिनिधि, विभिन्न गैर सरकारी संस्थाएँ, धार्मिक संस्थान, मंदिर, मस्जिद, चर्च ऐसे विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण द्वारा मतदाता तक पहुँचा जा सकता है।

मतदाता को प्रभावित करने वाले प्रभावशाली लोग कौन हैं? अन्य राजनीतिक दलों के प्रमुख कौन हैं? समाज के किस-किस घटक तक

हम पहुँच चुके हैं? ऐसे सभी प्रकार के मुद्दों और जानकारियों के साथ बूथ के कार्यकर्ताओं को अध्ययन करना चाहिये और वोटो का गणित समझना चाहिये। मतदाता सूची में कितने मतदाता मृत हो गए हैं इसका भी अध्ययन होना चाहिये, इससे फर्जी मतदान को रोकने में मदद मिलती है। इसके लिए यदि हम पार्टी में काम करने की योजना, जिम्मेदारी, अध्ययन व्यवस्थित ढंग से करते हैं और मतदाता तक पहुँचते हैं और मतदाता को वोट देने के लिए प्रेरित करते है तो मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ जाएगा।

चुनाव से पहले बूथ तंत्र, इस तरह सरकार के विषय में, जन प्रतिनिधियों के विषय में, पार्टी पदाधिकारियों के विषय में लोगों का मत क्या है यह जान सकते है। कभी-कभी सरकार के प्रति अनुकूल अभिप्राय होते हुए भी पर जन प्रतिनिधि, पदाधिकारी आदि के बारे में प्रतिकूल अभिप्राय होने से चुनाव हार जाने का भय बना रहता है। इस प्रकार के विभिन्न अध्ययन करने के लिए प्रभावी बूथ रचना करना अनिवार्य है। उदाहरणार्थ कुछ रचनायें निम्न प्रकार है।

1) शक्ति केन्द्र (एक शक्ति केन्द्र में 5-6 बूथ हो सकते है।)
2) बूथ
3) कुल मतदाता
4) कुल परिवारों की संख्या
5) बूथ प्रमुख
6) बूथ सह-प्रमुख
7) बूथ समिति
8) 10 कार्यकर्ता (कम से कम 3 महिला और युवा अनिवार्य)
9) केवल महिलाओं की भी बूथ कमेटी हो सकती है।
10) पन्ना प्रमुख

11) मतदाता के साथ पहचान

12) कर्मचारी/मतदाता/परिवार के कुल व्यक्तियों का वर्गीकरण

13) पत्रक/प्रचार/मतदाता स्लिप का वितरण

14) मतदाता से सम्बन्ध

15) चुनाव में कैसे उतरे

बूथ रचना करे, बूथ तंत्र बनाये, बूथ सम्मेलन करें, यदि चुनाव में धन का, जाति का, सत्ता का प्रभाव हो तो इन विपत्तियों से कैसे जीते? ऐसे अनेकानेक प्रश्न मन में आते हैं।

हम जनसंघ/जनता पार्टी के जन्म से चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में हैं। वर्तमान में, लोगों में जागरूकता बढ़ी है। अत: तकनीक द्वारा, प्रैक्टिस से, अध्ययन से, जानकारी से चुनाव कैसे जीते जाये इस रचना द्वारा बताने का यह एक प्रयास है। सत्ता का प्रभाव, जातिगत समीकरण, धन का दुरूपयोग आदि के कारण होने वाले बल्क वोटिंग के विरूद्ध चुनाव जीते जाये, ऐसे विभिन्न समस्याओं को हल करने हेतु यह हमारा प्रयास है और ऐसी सभी नकारात्मक शक्तियों को हराने का मूलमंत्र बूथ रचना ही है।

यदि हम ऐसी बूथ रचना के साथ जागृत रहकर, जानकारी का सही अध्ययन करके चुनाव व्यवस्था का आयोजन करे तो हमारे कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और ऐसे अनेक उदाहरण है जहाँ कार्यकर्ताओं द्वारा असंभव सीटे भी जीत के बताई गयी है।

अंतत: बूथ कार्यकर्ता सक्षम और आत्मविश्वास से भरा होगा तो सभी विपरीत प्रभावों को हराकर, संगठन संरचना के जोर पर, समयानुसार संघर्ष से, कोई भी बूथ जीता जा सकता है। पूर्व से चली आ रही परंपरागत पद्धति को नवीन तंत्रज्ञान, जानकारी और अध्ययन से अमल में लाकर चुनाव में उतरना अर्थात् चुनाव प्रबंधन तथा बूथ रचना।

बूथ रचना कारगर और यशस्वी हो इस हेतु अधययन और परिश्रम करना चाहिए।

मतदाता का नाम मतदाता सूची में पंजीयन कराने से लेकर नयी मतदाता सूची और पूरक सूची जारी होने तक जो लोग स्थानानांतरित या मृत हो गए है उनका नाम निकालना यह प्राथमिक आवश्यकता है।

दूसरा, तैयारी की गयी और जारी की गयी मतदाता सूची का अध्ययन करके उसका विस्तृत विश्लेषण हर स्तर पर करना आवश्यक है। सक्षम, आर्थिक रूप से स्थिर, गरीबों की ओर झुकाव रखने वाले आदि का सामाजिक स्तर पर विश्लेषण करना आवश्यक है और इसके अनुसार इनमें से कितने लोग हमारे निश्चित मतदाता है। कितने निश्चित विरोधी है और कितने किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं इसका योग्य अध्ययन करके बूथ जीतने की रणनीति बनाना चाहिए।

फर्जी मतदान रोकने के लिए एक पुरानी मतदाता सूची लें, पुराने मतदाताओं की कुल संख्या सभी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करें, पेज प्रमुख और पेज की टीम के साथ बात करके अध्ययन करें।

कितने स्थानांतरित हुए हैं, कितने विदेश गये और कितने मृत हो गए उनकी सूची बनाएँ क्योंकि इन मतदाताओं का नाम निकालना आवश्यक है। हमारे मतदान एजेंट और बूथ एजेंट को नई प्रकाशित सूची देकर रखे और अगर किसी स्थानांतरित या मृत का नाम है, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। फर्जी मतदान रोकना भी चुनाव जीतने का एक तरीका है।

आज (2018) में भारत में 100 करोड़ से ऊपर मोबाइल धारक हैं, 42 करोड़ से अधिक लोगों के पास मोबाइल इंटरनेट है, फेसबुक, व्हाट्सप, ट्विटर घर-घर लोगों के हाथों में पहुँच गए हैं। आज के समय में सूचनाओं के आदान-प्रदान में सोशल मीडिया का बहुत महत्त्व है।

एक क्लिक के ऊपर बहुत गति से कोई सूचना, संदेश बहुत कम खर्च में सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगो तक पहुँच जाता है।

सभी बूथ कार्यकर्ताओं का फेसबुक और ट्विटर प्रोफाइल होना चाहिए। इस पर हमारी पार्टी विषयी, उम्मीदवार विषयी, अपनी सरकार विषयी सकारात्मक बातों को बढ़ावा देना जारी रखा जाना चाहिए।

व्हाट्सव के ग्रुप्स, ब्रॉडकास्ट ग्रुप होने चाहिये जिसमें एक क्लिक पर आप अपने प्रचार को हजारों लोगों तक पहुँचा सकते हैं।

इस पर विपक्ष के आरोपों तथा हमलों का जवाब देकर, सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना चाहिए।

कार्यकर्ता पार्टी का चेहरा (फेस) है। जैसा कार्यकर्ता का आचरण और व्यवहार वैसी पार्टी की छवि, कार्यकर्ता को इसका ध्यान रखकर अपना आचरण सोशल मीडिया तथा अन्य स्थानों पर करना चाहिये। सकारात्मकता तथा वास्तविकता को ध्यान में रखकर सोशल मीडिया पर जोरदार प्रचार करना चाहिए।

आज चुनाव में सोशल मीडिया पर प्रचार अति महत्त्वपूर्ण है और सभी कार्यकर्ताओं द्वारा इसका ज्ञान और इसकी सहायता निश्चित लेनी चाहिए।

बूथ रचना

चुनाव यह एक प्रकार का युद्ध है और चुनाव जितने का मंत्र 50 प्रतिशत योजना और 50 प्रतिशत प्रत्यक्ष युद्धभूमि पर निष्पादन के ऊपर निर्भर है। अतः यदि चुनाव जीतने हो तो युद्ध के पूर्व आयोजन और तैयारी आवश्यक है। चुनाव की पूर्व तैयारी के रूप में अच्छी प्लानिंग अत्यंत जरूरी है। क्योंकि जीत और हाथ बूथ प्लानिंग पर निर्भर है।

गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के चुनाव में हमनें अनुभव किया

है। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के तथा अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने कई विजय प्राप्त की है और इनमें बूथ प्रबंधन तथा बूथ समिति का अहम् योगदान रहा है। इसलिए बूथ समिति की रचना अत्यंत महत्त्वपूर्ण और गंभीर आयोजन का कार्य है और यह पूर्ण गंभीरता से होना चाहिये।

पूर्व तैयारी चुनाव का मुख्य भाग है और समय पर आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी, अमित शाह जी तथा वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा कई मौंको पर बूथ रचना तथा इसका महत्त्व बताया गया है।

बूथ के वाली (अभिभावक)

बूथ के वाली (अभिभावक) अर्थात् बूथ समिति, बूथ प्रमुख, बूथ सदस्य, पन्ना प्रमुख, ये एक ऐसी टीम है जो संगठित रूप से, अध्ययन और परिश्रम से असंभव को भी संभव बना सकती है।

बूथ समिति कैसी होनी चाहिये

बूथ समिति में न्यूनतम 5 सक्रिय कार्यकर्ता, 5 प्राथमिक कार्यकर्ता, उसमें 3 महिला कार्यकर्ता, 2 युवा कार्यकर्ता होना चाहिये। मतदाता सूची के लिए एक प्रमुख नियुक्त होना चाहिए, आमतौर पर 60 पेजों की मतदाता सूची के लिए एक प्रमुख नियुक्त होना चाहिए। हर पृष्ठ का एक पृष्ठ प्रमुख होना चाहिए, बूथ समिति के सभी सदस्यों के पास सोशल मीडिया का ज्ञान होना चाहिए और यदि ना हो तो उन्हें सीखाना चाहिए। एक सोशल मीडिया प्रमुख की नियुक्ति होनी चाहिए। बूथ सह-प्रमुख और बूथ मंत्री की भी नियुक्ति होनी चाहिए। बूथ प्रमुख और बूथ मंत्री द्वारा काम का अच्छी तरह से विभाजन होना चाहिए। बैठक लेकर, इन बूथ कार्यकर्ताओं को उनकी जवाबदारियाँ देनी चाहिए। किये हुए कार्यों की रिपोर्ट नियमित लेनी चाहिए और उनका प्रशिक्षण करना चाहिए।

बूथ समिति के कार्य

1) बूथ समिति और सदस्यों की सूची तैयार करना।

2) मतदान केन्द्र की जानकारी लेना।

3) मतदाता सूची का अध्ययन करना और पृष्ठ प्रमुखों को सूची प्रदान करना।

4) मतदाता परिचय पत्र सम्बन्धित कार्य।

5) तालिका चुनाव कार्यालय के अधिकारियों को मिलना।

6) मतदाता के परिवार के सभी सदस्यों को संपर्क करना, संपर्क करते समय नीचे दी गयी बातों का ध्यान रखना।

7) पार्टी का पत्रक देना, विकास के कामों की रिपोर्ट देना, सकारात्मक बातें करना।

8) परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए हमारी पार्टी क्या मदद कर सकते है इसकी जानकारी देना (उदाहरण के लिए - रोजगार में सहायता, रोगी की सहायता)।

9) हमारी पार्टी के लोक प्रतिनिधियों द्वारा किए गए कामों की रिपोर्टिंग, और संस्था/पार्टी से किए गए सामाजिक और सेवा कार्यों की रिपोर्ट देना।

10) वातावरण का निर्माण-झंडे, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, स्टीकर लगाना और चुनाव का वातावरण बनाना।

11) सोशल मीडिया फेसबुक/ट्विटर/व्हाटस्अप का उपयोग करके अपनी पार्टी, उम्मीदवार, सरकार की कार्यप्रणाली लोगों तक लगातार पहुँचाना और विपक्ष के आरोपों का सोशल मीडिया पर जोरदार जवाब देना।

12) हमारी पार्टी के बिल्ले, खेस, चिह्न से प्रचार करना।

13) गणमान्य वोटरों और प्रभावशाली लोगों के साथ लगातार संपर्क में रहना।

14) मतदान स्लीपों का वितरण घर पर जाकर प्रत्यक्ष मतदाता को करना।

15) नव मतदाता सम्मेलन, महिला कार्यक्रम, चाय पर चर्चा, सार्वजनिक सभा ऐसे कार्यक्रम करना।

16) दूसरी पार्टी का कामकाज और गतिविधियों पर नजर रखना।

17) अन्य संगठनों के साथ संपर्क रखना।

18) ईवीएम मशीन प्रतिरूप का उपयोग करके मतदाता को मार्गदर्शन करना, अपने उम्मीदवार का नाम, क्रम और चिह्न ईवीएम में कहा होगा इसकी जानकारी देना।

19) मतदाना के दिन पोलिंग एजेंट द्वारा ईवीएम मशीन की जानकारी लेना, मॉक पोल करवा कर देखना, मॉक पोल को मिटवाना। सरकारी चुनाव अधिकारी से संपर्क करना।

20) बूथ के बाहर के टेबल पर मतदाता सूची रखना, टिक करना और वाहन की व्यवस्था करना।

21) लूज टॉकिंग नहीं करना। नकारात्मक टिप्पणी नहीं करना। कार्यकर्ताओं के उत्साह और मनोबल को ऊँचा रखना। कार्यकर्ताओं के छोटे से छोटे प्रयास और उपलब्धि की भी प्रशंसा करना।

22) देश की आधी मतदाता महिलाएँ हैं। इसलिए चुनाव में उनका उपयोग अधिकता से करना चाहिए क्योंकि प्रचार-प्रसार के समय बहनें, घर के अन्दर जा कर मतदाता बहनों से मिलकर उनको प्रभावित करती हैं।

23) सभी कार्यकर्ताओं के पास एक छोटी डायरी और पेन अवश्य होना चाहिए क्योंकि वे जहाँ जिस क्षेत्र का दौरा करें, जिनसे सम्पर्क करें उन बातों को डायरी में नोट करें तथा रोज जब दौरा करके लौटें तो कार्यालय में रिपोर्ट करना आवश्यक होना चाहिए।

24) चुनाव का कार्यालय मेन रोड पर खोलना चाहिए तथा उस कार्यालय में टेलीफोन, फैक्स मशीन, कार्यालय साफ-सफाई के लिए कर्मचारी, प्रचार-प्रसार साहित्य, वरिष्ठ कार्यकर्ता, कार्यालय में हमेशा उपस्थित रहें, इसके लिए कम-से-कम तीन कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगानी चाहिए। कार्यालय में वो कार्यकर्ता बैठे जो क्षेत्र के सभी लोगों को पहचानते हों।

25) चुनाव आयोग प्रत्येक चुनाव में बहुत सख्ती बरतता है, इसलिए चुनाव आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का, हम लोगों को पालन करना चाहिए।

अन्त में चुनाव की अंतिम लड़ाई बूथ पर ही लड़ी जाती है। वहाँ निर्भीक, परिश्रमी, समर्पित कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उनको वहाँ रखना चाहिए विजय हमारी निश्चित होगी, क्योंकि हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेगें। ❍

9. महिला केन्द्रीत राज्य एवम् केन्द्र की योजनायें और महिलाओं की भूमिका

हम बार-बार यह कहते है कि सत्ता में परिवर्तन इतना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। राष्ट्र निर्माण एवम् समाज की उन्नति में सत्ता को हम एक प्रभावी साधन के रूप में देखते है। राजनीतिक सत्ता अगर एक साधन है तो उसे असरकारी होने में अहम् भूमिका समाज के विभिन्न तबकों के लिये बनायें गये मोर्चाओं का महत्त्व है। सत्ता में अब परिवर्तन होता है तो सत्तापक्ष के वैचारिक सैद्धान्तिक भूमिका के अनुसार सरकार की भूमिका एवम् दिशा में भी परिवर्तन होता है। विभिन्न सरकारी योजनायें एक जैसी ही लगती है। अलग-अलग सरकारों में विभिन्न वर्गों के लिये योजनायें बनायी जाती है। विभिन्न वैचारिक भूमिका से चलने वाली सरकारें जब अपनी वैचारिक योजनायें बनाती है लेकिन उसको अमल करने वाली प्रशासनिक मंत्रणा एवं कार्यशैली वहीं होती है। प्रशासन का चाल, चरित्र और क्रियान्वयन का तरीका एक समान होता है। इसलिये सरकार बदलने के पश्चात कुछ दिनों के बाद लोगों में यह भावना पनपने लगती है कि सरकार तो बदली है लेकिन हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई परिवर्तन महसूस नहीं हो रहा है। इस मोड़ पर हमारे महिला मोर्चा एवम् महिला मोर्चा की कार्यकर्ता की भूमिका शुरू होती है। सरकारी योजना की सूचना गाँव, देहात और झुग्गी झोंपड़ी तक ले जाना अपेक्षित लाभार्थी को जानकर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाना यह अहम् बात है। इसके लिए निम्न कुछ बातें हमें करनी होगी -

1) **योजनाओं को जानना:** सरकार द्वारा बनाई नई योजनाओं की सूचना प्राप्त करना। योजनाओं का अध्ययन करना।

2) **लाभार्थी को पहचानना:** सरकार की योजनाओं का लाभार्थी कौन हो सकता है। जिनकों इन योजनाओं की बहुत जरूरत है। अपने विचार के और राजनीतिक प्रक्रिया में हमारे साथ रहने वाले कार्यकर्ता हित चिंतक वर्ग में कौन लाभार्थी हो सकता है यह जानना जरूरी है। इसके लिये मीडिया, सोशल मीडिया का उपयोग जरूर हो सकता है।

3) **अमल करने वाली प्रशासकीय मंत्री के बारे में जान लेना:** इन सरकारी योजनाओं को जिला प्रशासन, स्थानीय स्वराज संस्था (जिला परिषद, महानगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत) कृषि, महिला बाल विकास, समाज कल्याण, आदिवासी, आरोग्य, शिक्षा विभाग जैसे जिस सरकारी मंत्रणा के माध्यम से अमल में लाना आपेक्षित है उस सरकारी मंत्रणा के बारे में जानकारी लेना। अधिकारी एवम् निर्णय जिनके हाथ में है, उनके साथ संवाद करना।

4) उचित लाभार्थी को योजनाओं का लाभ दिलाना।

5) लाभान्वित वर्ग के जीवन में योजना के कारण परिवर्तन होने के पश्चात् यशकथा को मीडिया के माध्यम से लोगों तक ले जाना ज्यादा जरूरी है।

6) मीडियाकर्मियों से अच्छे संबंधों का उपयोग कर उन्हें योजना के लाभार्थियों तक ले जाना।

7) महिला मोर्चा के माध्यम से किये गये विकास के इन कामों का वृत्त निवेदन जानकारी महिला मोर्चा में अपेक्षित स्तर तक लिखित रूप में भेजना।

8) **हितग्राही सम्मेलन करना:** सरकारी योजनाओं का लाभ अनेक लोगों को मिलता है। उनके हितग्राही सम्मेलन करना आवश्यक

होता है इससे हमेशा के लिये यह लोग हमारी सरकार से जुड़े रह सकते है।

लोकतंत्र का मूल ही ''जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार'' हैं। चूँकि सब कुछ जनता-जनार्दन है इसलिए सबसे पहले केवल ओर केवल ''जनता'', यूँ भी किसी देश का विकास तभी संभव है जब आम-जन स्वयं के विकास के साथ देश के विकास में भी योगदान दे। इसलिए जनता के हितार्थ योजनाओं का ना केवल निर्माण होना चाहिए अपितु सफलतापूर्वक धरातल तक क्रियान्वयन भी होना चाहिए। इसके लिए केवल सरकार ही नहीं कार्यकर्ताओं को भी पूर्ण निष्ठा और समर्पण से जनता के बीच काम करने की आवश्यकता होती है। केंद्र में भाजपा निति सरकार 2014 से सवा सौ करोड़ भारतीयों को साथ लेकर चलने की सोच, सबका साथ सबका विकास की सोच, लक्ष्य-अन्त्योदय प्रण-अन्त्योदय-पथ-अन्त्योदय विचार के साथ काम कर रही है। देश और जनता सर्वोपरि है इसके लिये भाजपा सरकार और संगठन मनसा-वाचा-कर्मणा तीनों कर्मों को संपूर्ण निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण और कर्तव्यता के साथ सरकार और हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी कार्य-शैली में पूर्ण रूपेण सत्यापित किया है। हमारे प्रधानमंत्री भी स्वयं को प्रधान सेवक मानते हैं।

अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी मुख्यधारा में लाने की भावना के साथ भाजपा सरकार ने लगभग 4 साल में लगभग 150 योजनाएँ बनाई। क्या महिलाएँ, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या किसान, नौजवान, गरीब, पिछड़े, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति सबको मुख्यधारा में लाने हेतु एवं सब को सुरक्षा सम्मान के साथ जीवन-यापन हेतु कई योजना बनाई है।

कुछ महत्त्वपूर्ण योजनायें...

1. **जनधन : भारत में वित्तीय समावेशन** पर राष्ट्रीय मिशन है

और जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएँ मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को मा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंको को ई-मेल भेजा जिसमें उन्होंने 'हर परिवार के लिए बैंक खाता' को एक 'राष्ट्रीय प्राथमिकता' घोषित किया। अब तक 31.38 करोड लाभार्थी है और उनके खाते में अब लगभग 77,600 करोड रूपये बैलेन्स है। इस योजना का सर्वाधिक लाभ महिलाओं को मिला है। आज बडी संख्या में महिलाएँ खाताधारक है।

2. **स्वच्छ भारत मिशन : स्वच्छ भारत अभियान** भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ-सुथरा करना है। यह अभियान महात्मा गाँधी के जन्मदिवस 02 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने देश को गुलामी से मुक्त कराया, परन्तु 'क्लीन इण्डिया' का उनका सपना पूरा नहीं हुआ तथा महात्मा गाँधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। स्वच्छ भारत का उद्देश्य व्यक्ति, क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को कम करना या समाप्त करना है। स्वच्छ भारत मिशन लैट्रिन उपयोग की निगरानी के जवाबदेह तंत्र को स्थापित करने की भी एक पहल करेगा। सरकार ने 2 अक्टूबर 2019, महात्मा गाँधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत (यूएस $ 30 बिलियन) के 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौंच मुक्त भारत (ओडीएफ) को हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अब तक पूरे देश में

46.36 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ है, 3 लाख से उपर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। लगभग दो हजार शहरों को खुले से शौचमुक्त (ओडीएफ) किया है। इसी तरह कूड़े के निस्तारण में लोगों मे जागरूकता व्यापक रूप से आयी है। कूडेदान का उपयोग ना केवल बडा है, अपितु गिली-सुखे कचरे हेतु लोंगो ने निले हारे कूड़ेदानों को भी उपयोग में लाना शुरू कर दिया है। स्वच्छ मिशन की ये कामयाबी की सबसे बड़ी बात ये है, कि भारत वर्ष में ही लोगों को व्यावहारिक रूप से बर्ताव में बदलाव आया है।

3. प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजनाः प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके माध्यम से नगरों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रयशक्ति के अनुकूल घर प्रदान किये जाएँगे। सरकार ने 9 राज्यों के 305 नगरों एवं कस्बों को चिह्नित किया है जिनमें ये घर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है इस योजना का शुभारंम 25 जून, 2015 को हुआ। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करना है। इसके लिए सरकार 20 लाख घरों का निर्माण करवाएगी जिनमें से 18 लाख घर झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाके में बाकि 2 लाख शहरों के गरीब इलाकों में किया जायेगा। शहरों में 12 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले लोगों को 90 वर्ग मीटर तक के घर के लिए नौ लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिस पर चार फीसदी ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, जो करीब 2 लाख 35 हजार रुपए होगी। इसी तरह 12 से 18 लाख रुपए आमदनी वाले लोगों को 110 वर्ग मीटर तक के घर के लिए 12 लाख रुपए तक के लोन पर तीन प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी, जो करीब 2 लाख 30 हजार रुपए होगी। अगर आप नौ लाख रुपए होम लोन 20 साल के लिए लेते हैं तो उस पर आपको चार प्रतिशत की दर से सब्सिडी मिलेगी और उसे ईएमआई में

2062 रुपए कम देने पड़ेंगे। इसी तरह 12 लाख रुपए तक के होम लोन 20 साल के लिए लेने पर तीन फीसदी की सब्सिडी से ईएमआई में 2019 रुपए की कमी आएगी। अगर मौजूदा होम लोन 8.65 प्रतिशत ब्याज की दर से देखें तो चार फीसदी की सब्सिडी मिलने से ईएमआई 2,062 रुपए और तीन प्रतिशत सब्सिडी से 2,019 रुपए कम हो जाएगी।

4. बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ : बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 22 जनवरी, 2015 को पानीपत, हरियाणा में इस कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों के गिरते लिंगानुपात के मुद्दे के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा लिंग के आधार पर लड़का और लड़की में होने वाले भेदभाव को रोकने के साथ-साथ प्रत्येक बालिका की सुरक्षा, शिक्षा और समाज में स्वीकृति सुनिश्चित करना है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' योजना का विस्तार देश के सभी 640 जिलों में विस्तार किया जायेगा। इसकी शुरुवात उन जिलों से होगी जहाँ लड़कियों का जन्मदर कम है।

5. प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना: इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 1 मई 2016 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और उनका स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। इस योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना चाहती है। पिछले डेढ़ साल में गरीब महिलाओं में करीब 3 करोड़ 20 लाख गैस सिलिंडर का मुफ्त वितरण हुआ है। प्रदूषणकारी ईंधन के इस्तेमाल से चूल्हे पर एक घंटा खाना पकाना चार सौ सिगरेट

का सेवन करने जितना हानिकारक होता है। इसे देखा जाये तो गैस सिलिंडर की वजह से महिलाओं को इस प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। यह योजना काफी लोकप्रिय हुई है और गरीब महिलाओं के लिए स्वस्थ्य सुरक्षा कवच बनी है। अब आठ करोड घरों में कनेक्शन देने का नया लक्ष्य रखा है।

6. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना : प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुद्रा ऋण देश के गैर कॉर्पोरेट छोटे व्यापारों के वित्त जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार का उपक्रम। इसके पीछे का भाव यह है कि छोटे से व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना जो की भारतीय कामकाजी आबादी में बहुमत को रोजगार प्रदान करता है। मुद्रा योजना के तहत ऋण के तीन प्रकार हैं:

- शिशु: 50,000/- रुपये तक के ऋण को कवर करता है।
- किशोर: 50,000/- रुपये के ऊपर और 5 लाख रूपए तक ऋण को कवर करता है।
- तरुण: 5 लाख रूपये से ऊपर और 10 लाख रुपये तक के ऋण को कवर करने के लिए वर्तमान में मुद्रा योजना के तहत ऋण निम्नलिखित द्वारा दिए जा रहे हैं:

  2016-17 इस आर्थिक वर्ष में 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपयों का ऋण वितरित किया गया। इसमें से 70 प्रतिशत महिलाओं के लिए था। इसका मतलब यह है के सवा करोड़ रुपये का ऋण महिलाओं को दिया गया। इसमें भी अन्य पिछड़े वर्ग, अदिवासी, दलित तथा मुस्लिम महिलाओं की बड़ी तादाद है। इससे उनके आर्थिक सक्षमीकरण को बड़ी मदद मिल रही है।

7. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना : प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत के युवाओं में कौशल का विकास करने के लिए

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी, जिसके द्वारा ऐसे अवसरों का निर्माण करना है जिससे महिलाओं व युवा अपना पसंदीदा मार्ग चुनकर अपना भविष्य उस मार्ग की सहायता से बना सकें। इसके अंतर्गत सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम सेक्टर स्किल काउंसिल यानि एसएससी द्वारा किया जायेगा, जिसके अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण की पुरी फीस का वहन सरकार द्वारा किया जाता है। अब तक 33 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

8. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना : 9 जून, 2016 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा एक और योजना प्रारंभ की गयी, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, जो उन गर्भवती महिलाओं के लिए हैं, जो अपनी गर्भावस्था में अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं और समय पर इलाज न मिलने के कारण अथवा स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मृत्यु को प्राप्त होती हैं, उनका शिशु मृत पैदा होता है या कमजोर स्वास्थ्य वाला होता है या माता किसी प्रकार से कमजोर रह जाती है। यह योजना इन परेशानियों से बचाने, मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण हेतु कदम उठाये जाने के लिए प्रारंभ की गयी है। इसके अंतर्गत हर माह के नौवें दिन गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ शिशु और स्वस्थ जीवन प्रदान करना है। यह योजना गरीब, असंघटित और रोज कमाकर खाने वाली गर्भवती महिलाओं के पहले संतान के लिए 6000 रूपये का सीधा लाभ (नकद रकम) देने वाली है। यह रकम तीन चरणों में मिलेगी। आने वाले तीन सालों में इस योजना के लिए 12,660 करोड़ रूपया खर्च होगा तथा लगभग 52 लाख गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ होगा।

9. मातृत्व लाभ : इस योजना के तहत मैटरनिटी बेनिफिट्स हर कामकाजी महिलाओं का अधिकार है। इसके तहत एक प्रेगनेंट महिला

को 26 सप्ताह तक मैटरनिटी लीव मिल सकती है। इस दौरान महिला के सैलरी से कोई कटौती नहीं की जाती है।

10. महिला सुरक्षा तथा सक्षमीकरण योजना : महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने के साथ उनकी क्षमताओं को विकसित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने यह योजना शुरू की है। इसके अलावा देश भर में प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र भी शुरू किये जायेंगे। इसके लिए अगले साल साढ़े तीन हजार करोड़ से भी ज्यादा राशि मुहैया कराई जाएगी। इस योजना के बाकी पहलू इस प्रकार है।

i. **प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र :** देश के अति पिछडे 115 जिलों के लिए प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र (पी.एम.एम.एस.के.) योजना को मंजूरी दे दी गयी है। इन केन्द्रों से ग्रामीण इलाके की महिलाओं को अलग-अलग सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण, सामाजिक सांझेदारी, एकात्मिक विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सक्षमीकरण पर खास ध्यान दिया जायेगा। इस काम के लिए स्थानीय महाविद्यालयों के करीब 3 लाख छात्रों को 'परिवर्तन स्वयंसेवक' के तौर पर नियुक्त किया जायेगा। एनएसएस तथा एनसीसी के छात्रों को भी इसमें शामिल किया जायेगा। इन स्वयंसेवकों के काम का डिजिटल मूल्यांकन किया जायेगा और उन्हें प्रमाणपत्र दिए जायेंगे। यह छात्र 'परिवर्तन दूत' के तौर पर काम करेंगे।

ii. **वन स्टॉप सेंटर:** अत्याचार पीड़ित महिलाओं के लिए 150 से ज्यादा जिलों में 'वन स्टाप सेंटर' (ओएससी) शुरू किया जायेगा। 'एकल खिड़की सेवा' इस संकल्पना पर आधारित इन सेंटर्स से महिलाओं को चिकित्सा, पुलिस मदद, कानूनी मदद, समुपदेशन के साथ-साथ अस्थायी आवास के सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

iii. **महिलाओं के लिए हेल्पलाइन :** देश के 28 राज्य तथा केन्द्रशासित

प्रदेशों में 24 घंटे कार्यरत 181 यह हेल्पलाइन मुश्किल के समय महिलाओं के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है। सार्वजनिक जगहों तथा पारिवारिक हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के लिए 24 घंटे कार्यरत यह हेल्पलाईन मुश्किल के समय उपयोगी साबित होगी।

iv. **नौकरीपेशा महिलाओं के लिए हॉस्टलः** शहरों में रहने वाली नौकरीपेशा महिलाओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए 190 हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया गया है। इनमें 19000 महिलाओं के रहने की व्यवस्था हो सकेगी।

v. **परित्यक्ता महिलाओं के लिए महिला आश्रम (स्वाधारगृह) :** परित्यक्या महिलाओं के लिए नए 208 आश्रमों को मंजूरी दे दी गयी है। बलात्कार तथा अत्याचार पीड़ित महिलाओं को इससे मदद मिलेगी। इन आश्रमों के माध्यम से 26000 महिलाओं को मदद दी जाएगी तथा उनके पुनर्वास का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।

vi. **राष्ट्रीय आहार मिशन (एनएनएम) :** बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण तथा बौनेपन के प्रमाण को 2022 तक 38.4 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य को सामने रखकर राष्ट्रीय आहार मिशन योजना बनाई गयी है। पहले चरण में 162 पिछड़े जिलों के 42 लाख बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इस योजना के लिए 9000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा युवतियों में अनीमिया के मामले तीन प्रतिशत से कम करने का लक्ष्य रखा गया है।

मा. प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की तरफ से चलायी जा रही कुछ अन्य योजनाओं की सूची....

1. प्रधानमंत्री जन धन योजना।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना।
3. प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना।
4. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
5. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
6. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
7. अटल पेंशन योजना।
8. आयुष्मान भारत।
9. सांसद आदर्श ग्राम योजना।
10. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
11. प्रधानमंत्री नेशनल न्यूट्रिशन मिशन/राष्ट्रीय पोषण मिशन।
12. प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना।
13. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना।
14. प्रधानमंत्री जन औषधि योजना।

10. मेरे सपनों का भारतः भारतीय नारी की दृष्टि से

भारत एक हमारा नहीं तो विधाता के सपनों की भूमि है। जैसे मा. अटलजी ने वर्णन किया है की यह केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, लेकिन यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरूष है। यह वंदन की भूमि है। अभिनंदन की भूमि है। अर्पण की भूमि है। तर्पण की भूमि है। इस भारत का सपना हमारे दृष्टि से कैसा हो? हम सदैव वैभवशाली भारत की कामना करते आए हैं। भारत एक सामर्थ्यशाली राष्ट्र हो ऐसा हमने संकल्प किया है। लेकिन कुछ लोग तो राष्ट्रवाद को खत्म करने पर तुले हैं। जिनसे हमारा वैचारिक संघर्ष बार-बार चला आ रहा है। हम जिस वैचारिक धरोहर में राजनीतिक, सामाजिक काम करते हैं इस वैचारिक धरोहर की हमारी निष्ठा अटल रहने हेतु इस संकल्पना को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे सपनों का भारत यह विषय गहराई से सोचने का एवं समझने का विषय है। क्या है हमारे वैभवशाली राष्ट्र की संकल्पना? पिता के वचनों को पूरा करने हेतु सिंघासन पर न चढ़कर वनवास स्वीकार करने वाला श्रीराम जैसा आदर्श पुत्र, भाई की पादुकाएँ सिंघासन पर रख कर उसका राज्य चलाने वाला भरत जैसा आदर्श भाई, प्रतिकूल अवस्था में स्वराज्य स्थापना की चेतना जगाने वाली माँ जीजामाता जैसी माता, प्रजाहित दक्ष शिवाजी महाराज जैसा राजा, अपने स्वदेश के लिए स्वाभिमान को कायम रखने हेतु बलिदान देन वाली झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ऐसे कितने उच्चतम आदर्श इस संस्कृति ने हमें दिए हैं। इस कर्तव्यबोध को जीवनशैली में प्रदर्शित करने वाला समाज यह आज की जरूरत है। वैभवशाली तत्त्व और शर्मनाक वर्तमान ऐसी विसंगति के बजाए इन आदर्शों को अपने रोजमर्रा के आचरण में प्रदर्शित करने वाला भारत यह मेरे सपनों का भारत है। आदर्श केवल किताबों में एवं कथाओं में न रहते

हुए इन आदर्श मूल्यों को जीवन में जीने वाला समाज यह मेरे सपनों में जो भारत है उसकी पहली विशेषता है। भारतीय जीवनशैली में केवल मानव का नही तो जीव जंतुओं के कल्याण की कामना की गई है। हमारा जीवन व्यवहार इस कामना को पूरा करने हेतु होना चाहिए यह इस जीवनशैली की प्राथमिक आवश्यकता है। इस दृष्टि से भारतीयत्त्व के विचार को, जीवनशैली को केंद्र में रखकर जीने वाला देश अगर महासत्ता या वैभवशाली महासत्ता बनता है तो विश्व की मानवता चरम सीमा तक पहुँचती है। यह समाज किसी पूजा पद्धति का विरोध नही कर सकता। पूजा पद्धति की स्वाधीनता और उससे एक कदम आगे जा कर पूजा न करने का भी सम्मान यह इस देश की सांस्कृतिक धरोहर की विशेषता है। व्यक्ति विशेष को, शक्ति को, प्राणी को, चेतना को देवता का रूप दिया गया है। आदर्श जीवनशैली के लिए राह दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति, प्रतीक, वस्तु, प्राणी की पूजा करना या किसी की भी पूजा न करते हुए आदर्श जीवनशैली का अनुसरण करना भी इस जीवनशैली में सम्मानित है। इतनी स्वाधीनता दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी जीवनशैली में नही है। यह विशाल दृष्टिकोण रखने वाला विचार अगर शक्तिमान होता है तो किसी भी समाज विशेष पर कोई अन्याय, दबाव, हिंसा जैसा व्यवहार होने का सवाल ही पैदा नही होगा।

इन आदर्शों का दायरा केवल मानवीय व्यवहारों तक सीमित नहीं है। व्यक्ति-समाज-सृष्टि एवं परमेष्टी इनका आपस में संतुलन एवं संवाद यह हमारे इस जीवनशैली की विशेषता है। समाज, सृष्टि और परमेष्टी यह व्यक्ति के शोषण का विषय नही हो सकते इनका पोषण करने का दायित्व भी व्यक्ति पर होता है। कर्तव्यबोध के बिना विज्ञान और विकास के कारण पर्यावरण की गंभीर समस्या उत्पन्न होती दिख रही है। हमारी संस्कृति ने प्राण लेने वाले डंक करने वाले सांप को भी देवता का रूप दिया है। नागपंचमी, दशहरा, वटसावित्री, तुलसीविवाह आदि अनेक कार्यक्रम हमारा सृष्टि से नाता जोड़ कर परमेष्टी के प्रति

हमारे कर्तव्यों का एहसास दिलाते हैं। इनका अनुसरण केवल श्रद्धा तक सीमित न रहते हुए उनके पृष्ठभूमि में जो उदात्त विचारों का परिप्रेक्ष्य है उसका बोध महिलाओं के चिंतन में होना चाहिए।

मेरे सपनों के भारत में जीवन का यह परिपूर्ण विचार केंद्र में रख कर जीवनशैली का अनुसरण करने वाला समाज और उसका नेतृत्त्व करने वाली महिला यह चित्र दिखायी देता है।

सम्यक विकास

समाज में भाषा, प्रान्त, लिंग जैसे किसी भी विषय पर विषयमता का व्यवहार हमारे सपनों के भारत में मंजूर नही है। स्त्री पुरूष समानता के बारें में हमारा दृष्टिकोण साफ होना चाहिए। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा-बच्चा राम है ऐसा विचार इसका केंद्र है। हमारे सपनों के भारत में हर महिला अत्याचार से मुक्त हो। स्त्री भ्रूण हत्या से लेकर दहेज मुक्त समाज तक और शिक्षा से लेकर रोजगार तक स्त्री पुरूष समानता का चित्र जीवन में खड़ा करने तक इसका गहराई से विचार होना चाहिए। लिंग भेद के व्यवहार के चलते महिलाओं की संख्या पुरूषों की तुलना में कम होना यह स्वस्थ समाज का चित्र नही है। मेरे सपनों के भारत मे इस भेद को कोई स्थान नही है। पूजा पद्धति के आधार पर, प्रान्त, भाषा के नाम पर संकुचित स्वार्थ को सामने रखकर जो संघर्ष खड़े किए जाते हैं उन्हें मिटा कर कदम से कदम मिला कर चलने वाला समाज यह मेरे सपनों के भारत का चित्र है। सम्यक विकास यह हमारे सपने में बसने वाले भारत की विशेषता है। सम्यक विकास, सम्यक अवसर, सम्यक सम्मान यह हमारी विशेषता है। इसलिए भाजपा की सरकार सबका साथ, सबका विकास इसी विचार पर चलती है। पैर में अगर कुछ वेदना होती है तो आँखों में पानी भर आता है ऐसी समरसता समाज में होना यह हमारा सपना है। हमारे खान-पान, रहन-सहन, वेष, भाषा में कितनी भी विविधता हो लेकिन हमारे अंदर बहने वाला भावात्मक रस, मानवता का गंध, आदर्शों का तत्त्व एक हो यही समरसता है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार

की संधी, संस्कार इनकी समानता के साथ सामाजिक सम्मान सब को समान होना यह हमारे सपनों के भारत की विशेषता है। नि:श्रेयस आज कल एक चिंता का विषय बार-बार निजी स्तर पर चर्चा में आता है, कि दिन ब दिन हमारा समाज खुदगर्ज बन रहा है। भूमंडलीकरण के पश्चात् यह अनुभव हर क्षेत्र में आ रहा है। जीवन के सफलता के सारे संदर्भ मानो बदल गये हैं। कुछ भी कर के जीवन में पैसा कमाना यही सफलता का लक्ष्य बन गया है। संसाधनों को जुटाना यही लक्ष्य बन चुका है। हमारा समाज, हमारा देश और उसके प्रति हमारा दायित्त्व यह विचार हमसे दिन ब दिन कोसो दूर जाता दिखाई दे रहा है। यह हमारी संस्कृति की पहचान नही है। हम सत्य एवं मानवता की जीत के लिए हड्डियाँ गलाने वाले दधिची के अगर वंशज है तो हम खुदगर्ज कैसे बन सकते हैं? क्या हमारा जीवन केवल अपना घर, परिवार और अपना टीवी इतना ही सीमित है? इस सीमित विचार के चलते देशभक्ति, समाज प्रेम मानो लुप्त होते जा रहे हैं। यह चित्र हमारे सपनों के भारत का नही है। नि:श्रेयस कर्मों को अहम मानने वाला समाज यह हमारी विशेषता होनी चाहिए। हमारे सपनों के भारत का समाज अपने खुद के लिए केवल जीवन व्यतीत करने वाला समाज नही है तो अपने देश के प्रति, समाज के प्रति अपने दायित्व को जान कर उस का निर्वहन करने वाला समाज यह हमारी कामना है। इसकी शुरूआत हमें अपने आपसे करने का प्रयास करना चाहिए। विज्ञान निष्ठा हमारे प्रगति का आधार अंधश्रद्धा, रूढ़ी न रहते हुए विज्ञाननिष्ठ समाज का हमारा सपना है। वैज्ञानिक प्रगति में हमने विश्व में पहचान बनायी है। विश्व में सर्वाधिक युवा इस देश में हैं। क्रिकेट मैच हो या मा. प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रवास हो विश्व के हर कोने में अब भारत का तिरंगा लहराता दिखाई देता है। विश्व के हर कोने में भारतीय व्यक्ति का अस्तित्त्व हमारे वैज्ञानिक, बौद्धिक समृद्धता की निशानी है। हमारे युवावर्ग ने विज्ञान, तकनीक, संगणकीय कौशल्यों को इतना विकसित किया और उस के बल पर दुनिया का हर कोने में अपनी जगह बनायी है। तांत्रिक

और वैज्ञानिक प्रगति में कृषि क्षेत्र से ले कर स्पेस रिसर्च तक हमने एक उँचाई तय कर रखी है। कल्पना चावला से ले कर इस क्षेत्र में भारतीय महिला अग्रसर हुयी है।

महिला विकास में सशक्तिकरण और स्वावलंबन की प्रक्रिया आवश्यक है । महिलाओं के जीवन में रचनात्मक विकास की संभावनाएँ भी बढ़नी चाहिए। उन्हें खुद के अधिकार, स्वतंत्रता अथवा गरिमापूर्व जीवन व्यतीत करने के लिए अनुदान या संरक्षण ही काफी नहीं है।

अबला जीवन हाय। तुम्हारी यही कहानी।
आंचल में है दूध, आँखो में पानी।

इन पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित पंक्तियाँ चरितार्थ होंगी, ऐसा होगा मेरे सपनों का भारत।

आंचल में संकल्प, नही आँखो में पानी ।
सबला लिखनी तुझको, अब तो नई कहानी ।

'मेरे सपनों का भारत' और देश के हर नारी के सपनों का भारत समरसता पूर्ण, विज्ञाननिष्ठ, भेदरहित, सामर्थ्यशाली भारत है। यहाँ माँ जिजाऊ भी हैं और झाँसी रानी लक्ष्मी बाई भी है। यहाँ कैप्टन लक्ष्मी भी है और यहाँ कल्पना चावला भी है। यहाँ अहिल्यादेवी होलकर है, सावित्री बाई फुले है और भगिनी निवेदिता भी है। यहाँ की नारी दुष्टों को शासन करते समय काली माता का रूप है और जगत्पालक के रूप में यह मूर्त अन्नपूर्णा भी है। हमारे सपनों का भारत परिपूर्ण, पोषण करने वाला, शक्तिसंपन्न, विकासशील, विज्ञाननिष्ठ, समरतापूर्ण भारत है।

इसे खड़ा करने के लिए स्वार्थ छोड़कर देश का चिंतन करने वाला, विश्वकल्याण के लिए त्याग करने वाला समाज खड़ा करना है।

देशभक्ति ले हृदय में
हो खड़ा यदि देश सारा
संकटों पर मात कर यह
राष्ट्र विजयी हो हमारा। ❍

11. मीडिया/सोशल मीडिया संवाद

जैसा कि आप सब जानते हैं कि समाज जीवन के अन्य क्षेत्रों की तरह राजनीतिक क्षेत्र में भी मीडिया के प्रभाव का विस्तार हुआ है। हर घर में समाचार पत्रों की दस्तक हो गई है। हर घर में टीवी और हर हाथ में लैपटॉप है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक के साथ सोशल मीडिया/डिजिटल मीडिया का हस्तक्षेप प्रभावकारी भूमिका में है। इसमें अपना दखल बढ़े, इसकी कोशिश होनी चाहिए। संचार की आधुनिक तकनीकों में दक्षता जरूरी है, **गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर** जैसे दसियों लोकप्रिय वेबसाइटों का इस्तेमाल कर पार्टी की छवि में चार चांद लगा सकते हैं।

नियमित संपर्क में रहें

भाजपा के हर कार्यकर्ता को मीडिया से न केवल निकट का संपर्क रखना जरूरी है वरन पार्टी और अपनी छवि को जनता के बीच चमकाने के लिए उसका अधिकतम इस्तेमाल करना है। इसके लिए मीडिया से नियमित संपर्क अपने स्वभाव का हिस्सा बनाएं। आप सब जानते हैं कि भाजपा अन्य दलों से भिन्न है। विचारधारा आधारित पार्टी है। पार्टी के विस्तार के साथ ही उसकी वास्तविक छवि जनता के सामने आये, इसके लिए जरूरी है कि आप सभी व्यक्तिगत स्तर पर अपनी विचारधारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कामकाज के बारे में गहराई से जानें। उतना ही जरूरी यह भी है कि अपने विरोधी राजनीतिक दलों के बारे में भी जानें ताकि उनको तार्किक जवाब देकर अपनी पार्टी को आगे बढ़ा सकें। सबसे पहले प्रिंट मीडिया पर ध्यान देना इसलिए जरूरी है ताकि मीडिया की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। मसलन प्रेस को भेजी जाने वाली सामग्री बिल्कुल तथ्य पर आधारित हो, कम शब्दों में हो, प्रेस विज्ञप्ति बनाते

समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने का अभ्यास जरूरी है। पत्रकार वार्ता करते समय सभी छोटे-बड़े मीडिया संस्थानों के साथ ही टीवी चैनलों और डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों को सही सूचना भेजे और पत्रकार वार्ता में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें। यदि ऐसा कर सके तो मानिए आपका आधा काम हो गया।

पत्रकारों से वार्ता में सतर्कता बरतें

यह भी सुनिश्चित करें कि सभी पत्रकारों को उनकी जरूरत के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति, फोटोग्राफ, ऑडियो, वीडियो वीजुअल्स, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि समय पर पहुँच जाए। जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर यह काम बेहद जरूरी है। समाचार चैनलों से बातचीत करते समय अति सावधानी की जरूरत है। ऑफ दि रिकॉर्ड तो कतई बात नहीं करनी चाहिए। बातचीत करते समय पार्टी लाइन का अवश्य ध्यान रखें। व्यक्तिगत विचार जैसी कुछ भी न बात करें। चैनल पर शब्दों का चयन करते समय बहुत सावधानी बरतें। सजीव प्रसारण (लाइव) में तो अति सतर्कता की जरूरत है। उत्तेजित तो कतई न हों। पूरे आत्मविश्वास से बात करें। मीडिया का सहयोग पाने के लिए इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपको क्या कहना है, उतना ही जरूरी है इस बात का ध्यान रखना कि क्या नहीं कहना है। इस मामले में पत्रकारों या मीडिया संस्थानों से परिचय या दोस्ती बहुत लाभकारी होती है। पत्रकार को अपना नंबर, मोबाइल नंबर, घर का नंबर, ई मेल आदि बेहिचक दे दें। सदैव मीडिया के साथ हमारा सौहार्द बना रहे इसकी हर कोशिश करनी होगी ।

तथ्यों पर ध्यान दें

सामान्य रूप से पत्रकार तथ्यों की खोज में रहता है। लिहाजा इस आदत का आप लाभ ले सकते हैं। अपनी पार्टी के बारे में सभी सकारात्मक सूचनाएँ सही और तथ्यों के साथ उसको उपलब्ध करा

सकते हैं। इससे संबंधित पत्रकार के साथ आपके निजी रिश्ते भी मजबूत होंगे। आंकड़ों पर विशेष ध्यान दें। सरकारी रिकॉर्ड को संजोकर रखें। केंद्र और राज्यों द्वारा समय-समय पर जारी विषय विशेष पर रिपोर्टें, संवैधानिक संस्थाओं की रिपोर्ट और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट पर ध्यान रखें। सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करने में अधिक से अधिक रुचि रखें। इंटरनेट की मदद सबसे अधिक कारगर होगी लिहाजा उसके माध्यम से हर समय अपने आपको अपडेट रखें। गूगल से जुड़े रहें। आपका काम सरल हो जाएगा। मीडिया में प्रकाश्य सामग्री (कंटेंट) को 'राजा' (किंग) कहा जाता है। यह जितना मजबूत होगा, आपका समर्थन उतना ही बढ़ेगा और राजनीतिक विस्तार में उतना ही मददगार हो सकता है। इसलिए पार्टी से संबंधित कोई भी विषय चलताऊ तरीके से न लें, उसकी पूरी पृष्ठभूमि समझें, गहराई से अध्ययन करें, फिर उसे मीडिया के सामने परोसें। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन आपका श्रोता है, कौन पाठक है, कौन आपका लक्ष्य (टारगेट) है।

डिजिटल मीडिया पर करें फोकस

कंटेंट (सामग्री) तैयार करने के लिए एक शोध टीम का भी गठन किया जा सकता है। इस टीम में सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में रुचि लेने वाले युवाओं को अवश्य जोड़ें। सोशल नेटवर्किंग साइट पर आपका ध्यान हर समय रहना चाहिए। इसके माध्यम से पार्टी और आपकी खुद की छवि देश-विदेश में निखरेगी। सोशल मीडिया जगत में आप सभी ऑडियो-वीडियो टूल्स को ट्वीट या पोस्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। टैगिंग आपके लिए एक महत्त्वपूर्ण औजार है जो आपके संदेश को कई गुणा प्रसारित कर सकता है, वीडियो आने वाले समय में इंटरनेट की दुनिया में 80 प्रतिशत उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय हो सकता है। ऑनलाइन वीडियो सोशल मीडिया संवाद का

सबसे महत्त्वपूर्ण माध्यम बन गया है। मानकर चलिए कि फेसबुक जैसी लोकप्रिय फ्री सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का उपयोग कर अपना संदेश पूरी दुनिया में मुफ्त में पहुँचा सकते हैं। इसी के साथ **ट्वीटर** जैसी फ्री माइक्रोब्लॉगिंग सोशल मीडिया साइट का इस्तेमाल करें, ध्यान रखें कि वहाँ सधे शब्दों में अपनी बात कहनी होती है। **गूगल या गूगल+** साइट को अपना मित्र बना लें, आपका काम सरल हो जाएगा। इसका उपयोग कर अपने दल की बात को विस्तार से बता सकते हैं। **वाट्सएप** सुविधा हर एंड्रायड और अन्य स्मार्ट फोन पर उपलब्ध है। संदेश देने का प्रभावी माध्यम है। इसका बहुतायत में इस्तेमाल करें। आपके लिए **यू-ट्यूब** का इस्तेमाल एक साथ हजारों लोगों से जुड़ने का माध्यम बन सकता है। सोशल मीडिया जनता के बीच अधिकाधिक लोकप्रिय हो रहा है। इसे हमारी नीतियों को जनता तक पहुँचाने का माध्यम बनाना ही होगा। सोशल मीडिया प्रायः मुफ्त होता है। न्यूनतम लागत में आप अधिकतम लोगों तक पहुँच सकते हैं। कभी-कभी मुख्य मीडिया में आपकी या पार्टी की कवरेज ठीक से नहीं हो पाती है। ऐसे में आप सोशल मीडिया का उपयोग कर उसकी भरपाई कर सकते हैं। आजकल लोग हर समय ताजा खबरों की इच्छा रखते हैं। ऐसे में पार्टी के बारे में ताजा समाचार देकर उनकी इस आदत का उपयोग अपने हित में कर सकते हैं।

ग्रामीण इलाकों पर ध्यान देने की जरूरत

मीडिया में स्थान बनाने के लिए ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के सामने बड़ी कठिनाई होती है। कारण साफ है। मीडिया की पहुँच अभी गाँवों तक कम है और कार्यकर्ता भी अभी उससे दूर ही रहते हैं। वहाँ अपनी पहुँच बढ़ाने की जरूरत है। त्रिस्तरीय पंचायतों की भूमिका बढ़ने के साथ ही पार्टी का दखल भी वहाँ बढ़ा है। इसलिए कार्यकर्ता अपने को तैयार करें। पंचायतें (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत) तीसरी सरकार कही जाती हैं। विकास में उनकी

बड़ी भूमिका होने वाली है। विकास को पटरी पर लाने के लिए मीडिया का सहारा लें। जरूरी है कि जिले से लेकर कस्बों तक फैले मीडिया से जुड़े रिपोर्टरों को निजी तौर पर साधें, उनको महत्त्व दें। भाजपा की विकास योजनाओं और पार्टी के कार्यक्रमों को उन तक पहुँचाएँ। गाँवों और कस्बों में भी हर हाथ में एंड्रायड फोन हैं, सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया भी आपकी पहुँच से बाहर नहीं है

शहरी क्षेत्रों को केंद्र बनाएँ

शहरी निकायों तथा नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों में भाजपा का बहुत तेजी से प्रवेश हो रहा है। लिहाजा कार्यकर्ता यहाँ भी पूरी गंभीरता से लगें। बढ़ते शहरीकरण के कारण इनका विस्तार होना ही है लिहाजा भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन पर फोकस करने की जरूरत है। शहरी इलाकों में पत्रकार काफी सक्रिय रहते हैं। हमें भी सक्रियता से उनसे संपर्क बनाकर लाभ लेना चाहिए। कार्यशैली वही कि उनसे रिश्ते मजबूत करें और अपने तथा अपने दल के बारे में उन्हें अपडेट करते रहें। उनको किसी तरह की जानकारी की जरूरत हो तो तत्काल उपलब्ध कराएँ। यहाँ भी सोशल और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कारगर होगा ही। ❍

12. राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान

राष्ट्र कोई केवल जमीन का टुकडा नही होता। राष्ट्र का मतलब वहाँ रहने वाले समाज का जीने का तरीका, जीने के मूल्य, मानसिकता एवं संस्कार! समाज की धारणा और राष्ट्र की अवधारणा संस्कारों से तैयार होती है। घर, शिक्षा और समाज से व्यक्ति को संस्कार मिलते हैं। इन तीनों जगह पर संस्कार देने में महिलाओं का योगदान महत्त्वपूर्ण है। प्राचीन काल में भारतीय सभ्यता के निर्माण में महिलाओं ने बड़ा योगदान दिया है। राष्ट्र संस्थापना या पुनर्निर्माण करने वाले महापुरूषों का व्यक्तित्त्व उन्हे संस्कार देने वाली, प्रेरणा देने वाली किसी महिलाओं ने तैयार किया था। अब अर्वाचिन भारत में जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएँ शिक्षा, प्रशिक्षा ले कर पुरूषों के बराबर कारगर तरीके से योगदान दे रही है उस के बावजूद घर, समाज और राष्ट्र को सही दिशा और सही मार्ग पर रखने हेतु शिक्षा और संस्कार के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान केंद्र स्थान में है।

प्राचीन, मध्ययुगीन एवं वर्तमान में महिला का योगदान

वर्तमान में तो नारी पुरुषों के समान ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना कौशल और प्रतिभा दिखा रहीं हैं। अगर भारत का ही इतिहास देखें तो पता चलेगा की नारी प्राचीन काल से ही राष्ट्र निर्माण में सहायक रहीं हैं और आज भी सहायक हैं। वैदिक सभ्यता के निर्माण में हम गार्गी, कपिला, अरुंधति और मैत्रेयी जैसी विदुषी नारियों के योगदान को भूल नहीं सकते। पौराणिक काल में राजा दशरथ के युद्ध के समय उनके सारथी का काम करने वाली उनकी पत्नी कैकेयी द्वारा रथचक्र की कील निकल जाने पर अपनी अंगुली से कील को ठोककर उनके रथ को विमुख न होने देना क्या राष्ट्रसेवा नहीं थी? मध्यकाल में

नारी की दशा सही नहीं थी, पुरुषों ने उन्हें केवल भोग-विलास की वस्तु बना रखा था। परन्तु सम्पूर्ण भारत में ऐसा नहीं था। यही वह दौर था जब पद्मावती, रजिया सुल्तान, चाँदबीबी, जीजाबाई, अहिल्याबाई और रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं का उदय हुआ, जिन्होंने पुरुष प्रधान समाज को चुनौती दी और नारीत्व का परचम फहराया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी ऐनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, आजाद हिन्द फौज की कैप्टन लक्ष्मी सहगल और बेगम हजरत महल जैसी महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया। सम्पूर्ण विश्व में ऐसा कोई राष्ट्र न होगा जिसके निर्माण में महिलाओं का योगदान न हो।

राष्ट्र पुनर्निर्माण में महिला

आज जब भारत अपने पुनः निर्माण के दौर से गुजर रहा है तो भारतीय नारी निश्चय ही राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। परिवार और समाज को संभालते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारी ने हमेशा से ही विजय-पताका लहराते हुए राष्ट्र-निर्माण और विकास में अपना विशेष और अभूतपूर्व योगदान दिया है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं ने अपने कार्यों से सफलता का आकाश छुआ है। वेलेंतिनातेरेस्कोवा नाम की रूसी महिला ने जब अंतरिक्ष की यात्रा की और विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का कीर्तिमान बनाया, फिर तो पूरी दुनिया में महिलाओं को अंतरिक्ष में भेजने की स्पर्धा चल पड़ी। अलीगढ़ में जन्मी सुमन शर्मा दुनिया की प्रथम ऐसी महिला हैं, जिन्होंने रूसी मिग हवाई जहाज को उड़ाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। मणिपुर के गरीब परिवार से निकली विश्व की श्रेष्ठ जाबाज महिला एवं ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बॉक्सर एमसी मेरी कॉम देश भर के लिए एक प्रेरणा बन कर उभरी। हरियाणा के हिसार में जन्मी सायना नेहवाल ने तब इतिहास रच दिया, जब ख्याति प्राप्त

एशियन सैटेलाइट टूर्नामेंट को दो बार जीता और ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी। एवरेस्ट पर दो बार पहुँचने वाली प्रथम महिला संतोष यादव तथा विकलांग ओलंपिक खिलाड़ी दीपा मलिक, ग्रैंड मास्टर तानिया सचदेव और पर्वतारोही, रीना कौशल सहित विभिन्न महिला शख्सियतों ने स्पर्धओं के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

कहीं भी पीछे नहीं

देश के सबसे बड़े व प्रमुख भारतीय स्टेट बैंक की चेयरपर्सन अरुंधती भट्टाचार्य इस पद पर पहुँचने वाली प्रथम महिला बनीं। कॉरपोरेट जगत् में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 50 महिलाओं की सूची में अमेरिका की वाणिज्यिक पत्रिका फार्चून ने फरवरी 2014 के सर्वे में भारतीय मूल की पेप्सिकों प्रमुख व सीईओ इंदिरा नुई को तीसरा स्थान प्रदान किया है। लेखन के क्षेत्र में भी महिलाएँ तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इन दिनों स्त्री विमर्श की एक नई आंच परोसती लेखिकाएँ नारी मुक्ति का नया व्याकरण गढ़ने में मशगूल हैं। अनेक मामलों में महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि कर्म क्षेत्र की दिशा में अवसर मिलने पर वे पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगी। विभिन्न क्षेत्रों चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, खेलकूद, राजनीति, अध्यापन, इंजीनियरिंग, मीडिया, प्रबंधन, अनुसंधान, कानून, मार्केटिंग, पर्यटन, सिनेमा, साहित्य और प्रशासनिक सेवाओं जैसे अति दक्षता वाले क्षेत्रों में भी महिलाओं की श्रेष्ठतम उपलब्धियों ने इतिहास रचा है। इनमें चाहे वह सानिया मिर्जा, कल्पना चावला, लता मंगेशकर, इंदिरा नुई, शिखा शर्मा, किरण मजूमदार शॉ, नैना लाल किदवई, दीपा भाटिया, नर्मता राव, सुष्मिता सेन, दीपिका पादुकोण, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और स्वर्गीय जयललिता जी जैसी महिलाओं ने पुरुष प्रधान क्षेत्र में बराबर की भागीदारी निभाई है। आज के पुरुष भी महिलाओं को बढ़ने का अवसर देते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम

करना चाहते हैं। यदि नारी की सूझ-बूझ का सही उपयोग किया जाए तो भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा भी महिलाओं का राष्ट्र-निर्माण और विकास में अद्‌भुत और अतुलनीय योगदान है। महिलाओं के इस सतत् योगदान को हम कुछ बिन्दुओं के माध्यम से समझ सकते हैं -

I. **माँ के रूप में योगदान :** मानव कल्याण की भावना, कर्तव्य, सृजनशीलता एवं ममता को सर्वोपरि मानते हुए महिलाओं ने इस जगत में माँ के रूप में अपनी सर्वोपरि भूमिका को निभाते हुए राष्ट्र-निर्माण और विकास में अपना विशेषदायित्वों का निर्वहन किया है। बच्चों को जन्म देकर उनका पालन-पोषण करते हुए उनमें संस्कार और सद्‌गुणों का उच्चतम विकास करती हैं तथा राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करती हैं ताकि राष्ट्र निर्माण और विकास निर्माण गति से होता रहे। वीर भगतसिंह, चन्द्रशेखर, विवेकानन्द जैसी विभूतियों का देशहित में अवतार 'माँ' के स्वरूप की ही देन है। माता जीजाबाई जैसी अनेक माताओं का त्याग, समर्पण और बलिदान आज भी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर अंकित है। माँ ही है, जो बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण और विकास करती है, जो राष्ट्र-निर्माण के लिए आवश्यक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने 'माँ' की गरिमा को समझते हुए कहा था कि मुझे एक योग्य माता दो, मैं तुम्हें एक योग्य राष्ट्र दूँगा। इस कथन में माँ के स्वरूप का राष्ट्र-निर्माण और विकास में अतुलनीय योगदान छिपा है।

II. **पत्नी के रूप में योगदान :** माँ के पश्चात् पत्नी का अवतार राष्ट्र-निर्माण और विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका

निभाता है। पत्नी चाहे तो पति को गुणवान और सद्गुणी बना सकती है। सदियों से देखने में आया है, कि जब भी देश पर संकट आया है तो पत्नियों ने ही अपने पति के माथे पर तिलक लगाकर जोश, जूनून और विश्वास के साथ रणभूमि में भेजा है। यही नहीं पत्नी ही 'हाड़ी' बनकर शीश काटकर दे देती है। साहित्य समाज का दर्पण होता है.... जो कि राष्ट्र-निर्माण और विकास में योगदान देता है। इस योगदान की और पत्नियों का अहम योगदान देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए - तुलसीदास जी के जीवन को आध्यात्मिक चेतना प्रदान करने में उनकी पत्नी 'रत्नावली' का ही बुद्धि-चातुर्य था। 'विद्योत्तमा' ने कालीदास को संस्कृत का प्रकांड महाकवि बनाया था। हम छोटी सी बात का जिक्र करें तो यह बेमानी नहीं होगा कि पति को भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट, गबन इत्यादि। जो कि राष्ट्र को खोखला बनाते हैं, जैसे कुकृत्यों से पत्नी ही दूर रखती है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सही भी है।

III. **गृहिणी के रूप में योगदान :** भारतीय समाज में महिलाऐं परिवार की मुख्य 'धुरी' होती हैं, जो कि एक गृहिणी के रूप में राष्ट्र-निर्माण और विकास में अपनी उत्कृष्ट भूमिका निभाती हैं, जो कि 'अन्नपूर्णा' के ऐश्वर्य से अलंकृत और सुशोभित है। एक गृहिणी के रूप में वह सम्पूर्ण परिवार का सुचारू रूप से संचालन करती है तथा परिवार के संचालन हेतु बचत की प्रवृत्ति को भी विकसित करती हैं। वर्ष 1930, 1998, 2008 और 2014 में आई वैश्विक आर्थिक मंदी से सभी देश ग्रसित हुए, परन्तु भारत नहीं। लगभग 65 प्रतिशत

महिलाऐं कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते हुए देश की अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देती हैं। इनके अतिरिक्त हस्तकलाओं का निर्माण करते हुए भी विकास कार्यों को गति प्रदान करती हैं। अतः यह भी राष्ट्र-निर्माण और विकास का ही एक हिस्सा है।

IV. **संस्कृति, संस्कार और परम्पराओं की संरक्षिका के रूप में योगदान :** महिलाऐं ही संस्कृति, संस्कार और परम्पराओं की वास्तविक संरक्षिका होती हैं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इनका संचारण और संरक्षण करती रहती हैं, सम्पूर्ण विश्व में भारत को विश्वगुरू का दर्जा दिलाने में महिलाओं की ही भूमिका रही है। यही कारण है कि भारत को संस्कृति और परम्पराओं का देश कहा जाता है।

V. **सामाजिक-शैक्षिक-धार्मिक योगदान :** सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और परम्परा महिलाओं के कारण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तान्तरित होती हैं। अतः महिलाओं के सामाजिक-शैक्षिक-धार्मिक कार्य व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाते हैं। कहा भी गया है कि-सशक्त महिला, सशक्त समाज की आधारशिला है। माता बच्चे की प्रथम शिक्षक है, जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी है। जब यह शिक्षिका परिवार से निकलकर समाज में शिक्षा का दान करती है तो यह एक सर्वोत्तम और पावन कार्य हो जाता है। देश की प्रथम शिक्षिका 'सावित्री बाई फुले' एक अनुकरणीय उदाहरण है। वैदिक सभ्यता की मैत्रेयी, गार्गी, विश्ववारा, लोपामुद्रा, घोषा और विदुषी नामक महिलाऐं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हेतु आज भी पूजनीय हैं, जिन्होंने राष्ट्र-निर्माण और विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया।

VI. **स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान :** गुलामी राष्ट्र-निर्माण और विकास में न केवल बाधक है, अपितु यह राष्ट्र को स्थिरता प्रदान करती है। यही कारण रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर भारत का नव-निर्माण करवाया। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक महिलाओं ने अपना अमूल्य योगदान देते हुए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, अरूणा आसफ अली, दुर्गा भाभी, मैडम भीकाजी कांमा, सरोजिनी नायडू और एनीबीसेन्ट जैसी जाने कितनी महिलाओं ने राष्ट्र-निर्माण और विकास में अपना अतुलनीय योगदान दिया है।

VII. **वैज्ञानिक योगदान :** आत्मविश्वास, लगन, मेहनत, कर्मठता, सृजनशीलता और बुद्धि-कौशल के कारण महिलाओं के लिए वैज्ञानिक खोजों और अनुसंधान का क्षेत्र अछूता नहीं है। आज अनेक महिलाऐं रक्षा विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों के रूप में अपना योगदान राष्ट्र-निर्माण और विकास में दे रही हैं। डॉ टेसी थॉमस ने अग्नि-5 मिसाइलों की योजना का प्रतिनिधित्व करते हुए 'भारत की मिसाइल वुमैन और अग्निपुत्री' का सम्मान हासिल किया है। ऐसी बहुत सी महिलाऐं वैज्ञानिक विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए राष्ट्र-निर्माण और विकास में योगदान देरही हैं।

VIII. **राजनैतिक योगदान :** देश की राजनीति की दिशा और दशा इस बात पर निर्भर करती है कि उनका संचालन करने वाला व्यक्तित्व कैसा है? इसी क्रम में महिलाओं ने यह सिद्ध करके दिखाया है कि वो राजनैतिक विकास में अपनी भागीदारी बखूबी निभा सकती हैं। सरोजिनी नायडू, सुचेता

कृपलानी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, सुषमा स्वराज इत्यादि अनेक महिलाओं ने अपनी राजनैतिक प्रतिभा का प्रयोग राष्ट्र-निर्माण और विकास में किया है, जो कि एक महत्त्वपूर्ण और सार्थक कदम है।

IX. **प्रशासनिक क्षेत्र में योगदान :** किसी भी राष्ट्र का प्रशासन उस राष्ट्र की प्रगति और विकास का सूचक होता है। यदि प्रशासनिक दक्षता और कुशलता सदृढ़ है तो राष्ट्र की प्रगति और विकास सुनिश्चित है। वर्तमान में अनेक महिलाऐं भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवाओं में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर राष्ट्र-निर्माण और विकास में अपना अतुलनीय योगदान दे रही हैं।

X. **साहित्यिक योगदान :** साहित्य, समाज का दर्पण होता है। साहित्य के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण और विकास उच्चतम स्तर पर किया जा सकता है, क्योंकि साहित्य के द्वारा न केवल बुद्धि-कौशल वरन् व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास किया जा सकता है। यह साहित्यिक-कर्म यदि महिलाओं के द्वारा हो तो यह सोने पर सुहागा होता है, क्योंकि महिलाओं में विद्यमान 'मर्म' साहित्य को गुणवत्तापूर्ण बनाता है। अनेक महिलाओं ने साहित्य-सृजनधर्मिता के द्वारा राष्ट्र-निर्माण और विकास में अपना विशेष योगदान दिया है, जैसे - महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, मीरा, आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, झुम्पालाहिड़ी और सुभद्रा कुमारी चौहान इत्यादि-इत्यादि। इन्होंने ऐसा कालजयी साहित्य लिखा, जो कि व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ आध्यात्मिक और नैतिक विकास को भी बल प्रदान करता है, जिसमें चेतना और राष्ट्र-निर्माण के स्वर मुखरित होते हैं।

अतः हम कह सकते हैं कि महिलाओं ने अपने कर्तव्य, कर्मठता और सृजनशीलता के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण और विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। आज भी नारी पुरूषों के समान ही सुशिक्षित, सक्षम और सफल है, चाहे वह क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, खेल, कला, साहित्य, इतिहास, भूगोल, खगोल, चिकित्सा, सेवा, मीडिया या पत्रकारिता कोई भी हो। नारी की उपस्थिति, योगदान, योग्यता, उपलब्धियाँ, मार्मिकता और सृजनशीलता स्वयं एक प्रत्यक्ष परिचय देती हैं। परिवार और समाज को संभालते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारी ने हमेशा से ही विजय-पताका लहराते हुए राष्ट्र-निर्माण और विकास में अपना विशेष और अभूतपूर्व योगदान दिया है। यही कारण है कि वह सृजना, अन्नपूर्णा, देवी, युग-दृष्टा और युग-सृष्टा होने के साथ ही 'स्वयं-सिद्धा' भी है। ❍

13. नारी और भारतीय दृष्टिकोण - विचार और व्यवहार

किसी राष्ट्र के स्त्रीत्व का आदर्श केवल उस राष्ट्र के समग्र जीवन के आलोक में ही समझा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने वर्णन किया है कि, शरीर और मन केवल नाम हैं और पदार्थ के महासागर के बीच केवल छोटी तीरों या तरंगिकाओं के समान हैं। संपूर्ण सृष्टि में केवल एक ही आत्मा है। एक ही अस्तित्त्व है। आत्मा का कोई लिंग नही होता किन्तु स्वयं को पहचानने के लिए उसे अनेक जन्मों की यात्रा करनी पड़ती है। जीवात्मा की इच्छाओं या कर्मो के अनुसार ये जन्मपुरूष या स्त्री के रूप में होतें हैं। स्त्री और पुरूष दोनों में आत्मा एक ही रहती है। जहाँ एकात्मभाव होता है वहाँ प्रतियोगिता की आवश्यकता या विचार उत्पन्न ही नही होते। उदाहरण के लिए एक ही शरीर में मस्तिष्क और हृदय या हाथ और पैर इनके बीच प्रतिस्पर्धा नही हो सकती। उनमें समानता का विचार तक नहीं आता। जब हाथ और पैर रात्री में विश्राम करते हैं तब हृदय नहीं कहता की मैं भी रात्री में विश्राम करूँगा। एक ही शरीर के प्रत्येक अंग का कार्य भिन्न है। इसी प्रकार पुरूष और स्त्री के बीच प्रतियोगिता या समानता का आग्रह दोनों मिलाकर इन दोनों की मानवीयता को भी नष्ट कर देगी। पुरूष और स्त्री दोनों मिलकर परिपूर्ण मानवी जीवन की कल्पना बनती है। समाज की प्रगती के लिए पुरूष और स्त्री का एक साथ मिलकर काम करना आवश्यक है। इस अध्यात्मिक समानता को कार्यात्मक समानता नही मान लेना चाहिए। पुरूष और स्त्री की भूमिका भिन्न है। इनमें से प्रत्येक दूसरे के बिना अधूरा है। हमारे विचारदर्शन में स्त्री को जगत्जननी का रूप माना गया है। भारत के विचारदर्शन में भारत की आदर्श स्त्री माता ही है। स्त्री शब्द सुनते ही किसी भी भारतीय के मन में मातृत्त्व का ही भाव आता है। पश्चिम में स्त्रीत्व का विचार केवल भोग वस्तु तक सीमित है। किन्तु इसका अर्थ यह नही कि चूंकि स्त्री अपने

स्वभाव से ही माँ है अत: उसको केवल घर के चार दीवारी तक और बच्चों के पालन पोषण तक ही सीमित रखना चाहिए। वसुधैव कुटुम्बकम् संपूर्ण विश्व ही एक घर है यह हमारा भारतीय आदर्श है। एक स्त्री के गुण और उसकी पालन-पोषण की शक्ति, संस्कार एवं संवर्द्धन की शक्ति की आवश्यकता न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे सामाजिक कल्याण, नवनिर्माण एवं विकास, राष्ट्र का पुनरूद्धार और सुसंवादी विश्व के लिए भी है। यह केवल दार्शनिक नही है, प्राचीन भारतवर्ष में महिलाओं की स्थिति का जो वर्णन तत्कालीन विदेशी यात्रियों ने किया है वह यही दर्शाता है। स्त्रित्व का इतना सम्मान हमारे प्राचीन विचारों में, सामाजिक आचरण में होने के बावजूद आज हमारे देश में महिलाओं के स्थिति का वास्तव बड़ा ही विपरीत है। अनेक कारणों से हम इस विषय में पथभ्रष्टता का अनुभव कर रहें है। लगातार होते आक्रमण, परिस्थितियाँ इसके कारण पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सतीप्रथा, विधवाओं की दुर्दशा, पुत्री का जन्म अवांछनीय होना, स्त्री भ्रूणहत्या, बलात्कार, शोषण जैसी अनेक समस्याएँ खड़ी हो गयी। महिलाओं के बारें में विशाल, उदारतत्त्व और अत्याधिक शर्मसार कर देने वाला वर्तमान इस विसंगती को बदलना होगा। कथनी और करनी में, विचार और व्यवहार में अंतर न रहे इसके लिए हमें पथ निर्धारण करना होगा।

स्वतंत्रता के पश्चात नारी उत्थान के आयाम

हमारे देश के स्वाधीनता के पश्चात हमने हमारी समस्याओं के लिए पश्चिमी देशों के समाधानों को लागू करने का प्रयास किया। पश्चिमी विश्व द्वारा उनके समाज के विकास के लिए लागू किए गए सिद्धांत, शब्दावली और दृष्टिकोण उनके परिप्रेक्ष्य को प्रतिबिंबित करते हैं, जबकि हमारा वैश्विक दृष्टिकोण, जीवन रचना, ऐतिहासिक संदर्भ भिन्न हैं। स्त्रिमुक्ती का आंदोलन इन्ही में से एक है। पश्चिमी मतानुसार स्त्री को कमतर माना जाता है। उसका निर्माण आदम की पसली से हुआ था और इसलिए वह एक उपांग है और उसका कार्य पुरूष को प्रसन्न रखना व उसकी सेवा करना है। उसे पुरूष के पतन का कारण भी माना गया है।

पाश्चात्य विचारों में बलवान ही जितेगा इस दृष्टिकोण के साथ मिलकर व्यक्तिवाद को प्रोत्साहित किया गया। मनुष्य का एक दूसरे से कोई सम्बंध नही है तो दूसरे की भलाई, इसके लिए कष्ट उठाना, त्याग करना यह बाते समाप्त हो जाती है। विचारवंत एस.गुरूमूर्ती ने लिखा है कि, पश्चिम की स्त्रियों ने अपने अधिकारों की लड़ाई शुरू की क्योंकि पश्चिम के लोगों में अपने अधिकार वापस पाने के लिए पहले धर्म और चर्च के बाद में एकाधिपत्य और राज्य से संघर्ष किया था। पश्चिम में स्त्रियों को अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनके लिए स्वतंत्रता, मुक्ति, सशक्तिकरण जैसे शब्द आवश्यक एवं समर्पक थे। लेकिन उनकी पद्धतियों को भारतीय स्त्रियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए यहाँ लागू कर नही सकते क्योंकि भारत का दार्शनिक, वैचारिक, ऐतिहासिक संदर्भ और स्त्रियों के प्रति सोचने का संदर्भ ही भिन्न है। सैद्धांतिक रूप में और कई बार व्यवहार में भी भारतीय स्त्री को न तो कभी कमतर माना गया है और न ही उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। यह देश का दुर्भाग्य और असुरक्षित वातावरण ही था जिसने सामाजिक जीवन में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता निभाने से पीछे हटने के लिए बाध्य किया। यह स्थिति कई सदियों तक जारी रहने से कुछ अवमानकारी कुप्रथाओं ने जन्म लिया। इसलिए भारत में स्त्रियों के लिए कार्य करने का अर्थ उनकी प्राचीन सम्मानजनक स्थिती उन्हें प्राप्त होना, कुरीतियों को दूर करना यही है। उन्हें किसी धर्मशास्त्र के विरूद्ध लड़ने की या किसी से मुक्त होने की आवश्यकता नही है। हमने जिन्हें स्वयंशक्ति का रूप माना है उन्हें किसी अन्य द्वारा सशक्त बनाने की आवश्यकता नही है। हमें केवल अपने जीवनदर्शन और सिद्धांतों पर पुनः ध्यान केंद्रित करके स्त्रियों की सहभागिता बढ़ाना चाहिए। मुक्ति के विचार से हटकर शक्ति के जागरण का, शक्ति की सहभागिता बढ़ाने का विचार करना होगा। स्त्रियों के हित में, मानवता के हित में दीर्घकालीन समाधानों का विचार करना होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक स्त्रियों की निम्न दशा के प्रमुख कारण अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, धार्मिक निषेध, जाति बन्धन, स्त्री नेतृत्व का अभाव तथा पुरूषों

का उनके प्रति अनुचित दृष्टिकोण आदि थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने हेतु प्रयास किया गया है। महिलाओं को विकास की अखिल धारा में प्रवाहित करने, शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति सजग करते हुए उनकी सोच में मूलभूत परिवर्तन लाने हेतु विशेष प्रयास किये गए हैं। इक्कीसवीं सदी तक आते-आते महिलाओं ने शैक्षिक, राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक, खेलकूद आदि विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों के नए आयाम तय किये। आज महिलाएँ आत्मनिर्भर, स्वनिर्मित, आत्मविश्वासी हैं, जिसने केवल शिक्षिका, नर्स, स्त्री रोग की डॉक्टर न बनकर इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक, तकनीशियन, सेना, पत्रकारिता जैसे नए क्षेत्रों को अपना रही है। राजनीति के क्षेत्रों में महिलाओं ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। राजनीति में देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, विदेशमंत्री, रक्षामंत्री, विभिन्न राज्यों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री जैसे पद पर शीर्ष पर हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी निवेदिता भिडे, सुनीता हळदणकर, इला भट्ट, सुधा मूर्ति आदि महिलाएँ ख्यातिलब्ध हैं। खेल जगत में पी.टी. ऊषा, सानिया मिर्जा, साक्षी मलिक, गीता व बबिता फोगाट, मेरी कॉम, अंजली भागवत, सायना नेहवाल, पी.व्ही. सिंधू आदि ने नए कीर्तिमान स्थापित किये हैं। आई.पी.एस. किरण बेदी, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला आदि ने उच्च शिक्षा प्राप्त करके विविध क्षेत्रों में अपने बुद्धि कौशल का परिचय दिया है। नौकरी वाली नारी के साथ पुरूष की मानसिकता में बदलाव आया है। पहले नौकरी वाली औरत के पति को 'औरत की कमाई खाने वाला' कह कर चिढ़ाया जाता था। आज यह सोच बदल चुकी है। शिक्षित महिलाओं को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होने में बहुत मदद मिली। महिलाएँ अपनी स्थिति व अपने अधिकारों के विषय में सचेत होने लगी। शिक्षा ने उन्हें आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक न्याय तथा पुरूष के साथ समानता के अधिकारों की माँग करने को प्रेरित किया। नग्नता और शालीनता के मध्य की बारीक रेखा

समाज स्वयं बनाता और स्वयं बिगाड़ता है। एक नजर में उसका निर्धारक पुरुष होता है तो दूसरी निगाह उसका निर्धारक स्त्री को मानती है। उचित और अनुचित, न्याय और अन्याय, विवेकपूर्ण और अविवेकपूर्ण, स्वाधीनता और उच्छृंखलता, दायित्व और दायित्वहीनता, शीलता और अश्लीलताके मध्य के धुँधलके को साफ करना होगा। स्त्री पुरुष को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझे और पुरुष भी स्त्री को एक देह नहीं, स्त्री रूप में एक इंसान स्वीकार करे। स्त्री की आजादी और खुले आकाश में उड़ान की शर्त उत्पादन में उसकी भूमिका हो। स्त्री की असली आजादी तभी होगी जब उसके दिमाग की स्वीकार्यता हो, न कि केवल उसकी देह की।

प्रधानमंत्री मा. मोदीजी के नेतृत्त्व में केंद्र में भाजपा की सरकार स्थापित होने के बाद महिला सक्षमीकरण को नई दिशा एवं नई गति प्राप्त हो गई है। महिलाओं के प्रति आदरभाव यह हिंदू विचारदर्शन की विशेषता है। कई प्रकार की योजनाओं के द्वारा भारत सरकार महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा और भेदभाव के प्रतिसजग हो रही है। ये योजनाएं कमजोर और पीड़ित महिलाओं को आवाज उठाने में मदद कर रही हैं। मोदी सरकार ने भी महिलाओं के मुद्दों और देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को मान्यता दी है।

हमारी सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गयी कुछ योजनाओं का वर्णन अध्याय 9 में संक्षेप में दिया गया है। हमारी सरकार की इन सभी योजनाएँ हमारी गाँव, नगर, देहात की बहनों तक ले जाने में हमें सजग हो कर काम करना होगा। बदलते परिवेश में समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टि, सम्मान की भावना जगाने हेतु हमें काम करना होगा। महिलाओं की स्थिति में सुधार आने के बाद नये बदलते स्थिति में नई समस्याएँ सामने आ रही है। कामकाजी महिलाओं को परिवार का नेतृत्त्व करने का दायित्व निभाते-निभाते अपने काम पर भी कौशल दिखाना है। इसके साथ ही महिलाओं की स्वास्थ्य की समस्याओं की ओर भी ध्यान देना होगा। यही हमारा भारतीय दृष्टिकोण है। ❍

14. हमारी सरकार की आर्थिक नीतियाँ

पिछले साढ़े तीन वर्षों में भारत की आर्थिक उन्नति को सफलता की सर्वाधिक दिलचस्पी सफल गाथाओं में शुमार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जब सत्ता संभाली थी, तो अनगिनत चुनौतियाँ मुँह उठाये खड़ी थी। लेकिन अपनी गरीब हितैषी और उदारवादी नीतियों के चलते इस सरकार ने एक नई गाथा रची है। सच कहें तो सन् 1947 में मिली राजनैतिक आजादी के बाद आर्थिक आजादी की दिशा में अब भारत यात्रा कर रहा है और इसीलिए विश्व पटल पर भारत को एक मजबूत शक्ति के रूप में देखा जा रहा है।

जबसे यह सरकार आई है, तब से बुनियादी ढांचागत सुविधाओं पर खासा जोर दिया गया है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक मानी जाने वाली लगभग हर चीज की आपूर्ति करने का प्रयास किया गया है।

यह एक कडवा सच है, कि आजादी के लगभग 50 वर्षों तक देश में कारोबारियों को कभी भी सहज माहौल नहीं मिल पाया। देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी इतना पर्याप्त नहीं रहता था, जिससे सरकारें आत्मविश्वास के साथ काम करती। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रवाह हमेशा एक क्षीण धारा से अधिक नहीं था। पी. वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में आर्थिक उदारीकरण का दौर आया। विदेशी निवेशकों के लिए निवेश के द्वार खोल दिए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह प्रक्रिया और तेज हुई।

अब ब्रिटेन को पीछे छोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती या विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लागू किए गए एक के बाद एक कई आर्थिक सुधारों की बदौलत देश में कारोबार करना अब और भी ज्यादा

आसान हो गया है। यही कारण है कि आज भारत दुनिया की अग्रणी कंपनियों के लिए एक सर्वाधिक आकर्षक निवेश गंतव्यी बन गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में संभवत: पहली बार यह देखा जा रहा है कि दुनिया के शीर्ष सीईओ खुद से ही पहल करते हुए भारत में भारी-भरकम निवेश कर रहे हैं। आज भारत 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर से विकास कर रहा है, जबकि विश्व की वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत है। सही मायनों में यह एक अद्‌भूत दृश्य है।

प्रधानमंत्री मोदी जी के आर्थिक नीतियों को सूत्रों में पेश करें तो हम कह सकते है कि उसके दस बडे पहलू है, जिन्होंने सबको प्रभावित किया है। देश और देश विदेश में भी। उन दस नीतियों को, उनके परिणामों को संक्षिप्त में प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

जीएसटी : एक राष्ट्र, एक कराधान

स्वतंत्रता के बाद सबसे अहम सुधार करार दिए गए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) ने सच्चे अर्थों में देश को एक सूत्र में पिरोया है। भारत के 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश (यूटीज्) अब एक बाजार (सिंगल मार्केट) बन गए है जहाँ एक ही कर देना होगा। यह केवल करों की दरों तक सीमित नहीं है, बल्कि उपभोक्ता को हर तरह की सुविधा और संरक्षण देने का प्रावधान जीएसटी में किया गया है।

इसके कुछ उदाहरण देना उचित होगा। जीएसटी का क्रियान्वयन 1 जुलाई 2017 से शुरू हो गया। लेकिन सरकार केवल कर को लाकर शांत नहीं बैठी। बाजार में इससे उपजी प्रतिक्रियाओं और समस्याओं का लगातार जायजा शीर्ष नेतृत्व से लेकर सभी ने लिया और समय-समय पर ऐसे कदम उठाएं, जिससे ये समस्याएँ न्यूनतम हो। इसी के चलते 14 नवंबर 2017 की अर्धरात्रि से जीएसटी के अंतर्गत आने वाली 178 वस्तुओं पर जीएसटी की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया। अब केवल ऐसी 50 वस्तुएँ ही रह गई है जिन पर 28

प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसी तरह अनेक वस्तुओं में भी जीएसटी की दरों में 18 से 12 प्रतिशत की कटौती की गई है और इसी तरह कुछ वस्तुओं को जीएसटी से पूर्ण रूप से छूट दे दी गई है। इसके बाद भी अगले वित्तीय साल (2018-19) में जीएसटी कलेक्शन प्रति माह एक लाख करोड़ तक जा सकता है।

इतना ही नहीं जीएसटी के अंतर्गत राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण के पदों के सृजन के लिए भी मंजूरी दी गई है। इस मंजूरी से इस शीर्ष निकाय की तत्काल स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्राधिकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वस्तु एवं सेवाओं पर जीएसटी की दरों में कटौती का लाभ अंतिम उपभोक्ता तक कीमतों में कटौती के माध्याम से पहुँच पाए। यह एक उदाहरण है, कि किस तरह अंतिम उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासकीय प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। अंततः शुरूवाती के दिनों मे जीएसटी से कुछ परेशानिया हो सकती है, लेकिन दीर्घकालीन दृष्टि से देखा जाये तो जीएसटी बहुत बड़ा परिवर्तन लायेगी।

'अन्त्योदय' पर अमल

अन्त्योदय का मतलब ही समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति का सक्षमीकरण। हमें यह बताते हुए गर्व होता है, कि भाजपा के लिए अन्त्योदय केवल पं. दीनदयाल अन्त्योयदय के नाम पर रखी गई योजना नहीं है। दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत दिसंबर, 2017 तक व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 2,45,348 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2014-15 से लेकर अब तक राज्यों द्वारा धनराशि (फंड) का कुल उपयोग 2149.37 करोड़ रुपये के आंकड़े को छू गया है। मिशन के तहत अब तक एसएचजी- बैंक संबंद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत 3,48,200 से भी अधिक 'एसएचजी' (स्वंय सहायता समूह) को ऋण वितरित

किए गए हैं। वर्ष 2014-15 से लेकर अब तक कुल मिलाकर 2,54,631 'एसएचजी' का गठन किया गया है और 1,79,061 'एसएचजी' को परिक्रामी निधि (रिवॉल्विंग फंड) दी गई है। अब तक 5.7 लाख स्ट्रीट वेंडरों (रेहड़ी-पटरी लगाने वाले) को आईडी कार्ड जारी किए गए हैं।

ये सारे आंकड़े यह दिखाने के लिए पर्याप्त है, कि भाजपा की सरकार समाज के हर वंचित घटक को सक्षम करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अन्त्योदय सिर्फ इस योजना तक सीमित नहीं है। आदरणीय मोदीजी के नेतृत्व वाली सरकार ने हर क्षेत्र में अन्त्योदय विचार का सही मायने मे अमल करने का प्रयास किया है। उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, जन धन खाता, हर गाँव तक-हर घर तक बिजली पहुँचना ये अन्त्योदय विचारधारा का जमिनी आविष्कार तो है। अब तक उज्ज्वला योजना में साढ़े तीन करोड़ महिलायों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया है। उस योजना के अच्छे परिणाम दिखने के बाद अब आठ करोड़ महिलायों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का टार्गेट तय किया है। इसी तरह मुद्रा योजना के अच्छे परिणाम मिल रहे है। पिछले वित्तीय वर्ष में एक लाख 76 हजार करोड का ऋण गरीब, पिछड़े लोगों को दिया गया। कमाल की बात ये है, कि उसमें सत्तर पर्सेंट से ज्यादा ऋण महिलायों को दिया गया। अब नये वित्तीय वर्ष में मुद्रा ऋण चार लाख करोड़ तक दिया जाने का लक्ष्य रखा गया है।

व्यवसाय सुगमता (ईज ऑफ डुइंग बिजनेस)

मोदी जी सरकार टीम इंडिया की दिशा में आगे बढ़ी है, जहाँ प्रत्येक राज्य आर्थिक विकास का साधन बना है और निवेश को बढ़ावा देने तथा कारोबार में सुगमता लाने का वातावरण तैयार करने के लिए राज्य एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसके लिए केंद्र ने चौदावें वित्त आयोग की सिफारिशों के तर्ज पर राज्यों के लिए महत्त्वपूर्ण रूप से

आवंटन बढ़ा दिया है। भारत में कारोबार को सुगम बनाने की प्रक्रिया में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐंड प्रमोशन (डीआईपीपी) नामक पूरा विभाग काम कर रहा है। सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार ने कई नियमों को आसान बनाया है जैसे, कि पासपोर्ट जारी करने के नियम। पिछले तीन सालों में लगभग 1,400 केंद्रीय और राज्य कानून निरस्त कर दिए गए हैं। ग्राहकों की हितों को संभालते हुए, रिअल इस्टेट इंडस्ट्री को परमिट राज से मुक्ति दिलाने के लिए अच्छे कदम उठाये है। अभी इस साल के पहले ही महीने में आई खबर के अनुसार, विश्व बैंक की सुगम कारोबार वाले देशों की लिस्ट में भारत ने एक ही वर्ष में 30 स्थान की छलांग लगाई है। एक वर्ष के अंतराल में भारत द्वारा लगाई गई यह सबसे बड़ी छलांग है। अगले वर्ष में भी भारत अच्छे पायदान होगा। पहले की सरकारों ने इस पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया था, उनके एजेंडे पर व्यवसाय सुगमता कभी भी नही था। लेकिन मोदी जी की दृष्टि दृष्टिता का परिचय इससे होगा, की अब भारत व्यवसाय सुगमता को बहुत गंभीरता से देख रहा है। पहले पचास देशों मे आने का लक्ष्य मोदीजी ने रखा है, हम बिलकुल आश्वस्त है, कि भारत यह लक्ष्य हासिल कर के ही रहेगा।

जीवन की सुगमता (ईज ऑफ लिविंग)

विरोधी चाहे जितनी ही आलोचना करें, कि मोदी जी सरकार केवल व्यापारियों की है या केवल पूंजीपतियों की है। हालांकि सच्चाई कुछ और ही है। पीएम मोदी ने बजट 2018-19 के संसद में पेश होने के बाद देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा, कि इस बजट में 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' के साथ-साथ 'ईज ऑफ लिविंग' का भी खास ध्यान रखा गया है। क्या है 'ईज ऑफ लिविंग?' 'ईज ऑफ लिविंग' यानी जीवनस्तर में सुधार। जिंदगी को बेहतर और आसान बनाना। इसका प्रमाण हम देख सकते है उज्ज्वला योजना ने लाखों गरीब महिलाओं की

जिंदगी को बदला है। मुद्रा योजना ने लाखों गरीब, पिछड़े व्यक्ति को कारोबारी बनने का एक मौका दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुद्रा योजना के जरिए आवास और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर ऐसे लाखों लोगों के सपनों को साकार किया गया, जिन्हें कभी अपना घर होने या स्वयं का व्यापार शुरू करने की उम्मीद ही नहीं थी। ग्रामीण विद्युतीकरण से सात दशकों में पहली बार 19 हजार गाँवों में बिजली पहुँचाई गई। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जीवन बीमा, सुरक्षा योजना तथा स्वास्थ्य अभियान, दवाओं और स्टेंट की कीमतों के नियमन जैसी नई कल्याणकारी पहलों से ग्रामीण जीवन शैली में क्रांति लाई गई है। इन उपायों से निम्न आय वर्ग के लोगों में आशा और विश्वास जगा है।

अनुदानों को तार्किक करना (टार्गेटेड सब्सिडीज्)

प्रत्यक्ष लाभांतरण योजना (डीबीटी) काफी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह लक्षित लाभार्थियों तक सीधे लाभ पहुँचाती है। प्रत्यक्ष लाभांतरण लक्षित आबादी तक सीधे लाभ पहुँचाता है और सरकारी धन का दुरूपयोग को कम करने में मदद करता है। डीबीटी के तहत सब्सिडी सीधे लाभार्थियों को दी जाती है। सन् 2016–17 में 57,029 करोड़ रुपये की बचत हुई। इसमें एलपीजी सब्सिडी योजना पहल की हिस्सेदारी 29,769 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत करीब 14,000 करोड़ रुपये की बचत की गयी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) तहत 11,741 करोड़ रुपये तथा 399 करोड़ रुपये राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत बचत हुई। यूरिया को नीम कोटेड करने से हर साल सब्सिडी के रूप में 6,500 करोड़ रुपये की बचत हो रही है। यह कदम यूरिया के अत्यधिक इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के मकसद से उठाया गया है। इसकी वजह से जमीन की उर्वरता के साथ कुल उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। नीम की

परत चढ़ी यूरिया के इस्तेमाल के साथ उपज 15 से 20 फीसद बढ़ेगी। दूसरे शब्दों में कहें, तो सरकार ने इतनी रकम की लूट रोकी है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ गरीबों को मिलता है।

विमुद्रीकरण और काले धन पर प्रहार

प्रधानमंत्री मोदी जी का विमुद्रीकरण का फैसला ऐतिहासिक था जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को संगठित बनाने के लिए मजबूत आधार बनाया है। भारतीय अर्थतंत्र अनौपचारिक अथवा असंगठित क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर था। इसके कारण अर्थतंत्र में कर चोरी और श्रम कानूनों के उल्लंघन के गहरे दोष आए थे। विमुद्रीकरण अधिक समानतावादी सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए धन के पुनर्वितरण की दिशा में प्रमुख कदम था। इससे करोड़ों रुपये का कालाधन बाहर आया और करोड़ों रुपये की नकली मुद्रा समाप्त हुई। भारत के नागरिकों ने धैर्य और विश्वास के साथ सरकार के कालेधन के खिलाफ गरीबों के हित में साहसिक निर्णय का पूर्ण समर्थन किया। कई विपक्षी दलों के नकारात्मक प्रचार के द्वारा माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, जिसको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया।

विमुद्रीकरण के परिणामों को आप आंकडों में देखे तो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा (ईडी) तलाशियों की संख्या में 158% वृद्धि (447 से 1152 समूह) हुई। जब्तीत में 106% वृद्धि (712 करोड़ रुपये से 1469 करोड़ रुपये) हुई। अघोषित आमदनी की स्वीकारोक्ति में 38% की वृद्धि (11,226 करोड़ रुपये से 15,497 करोड़ रुपये) हुई। अघोषित आय का पता लगाने में 44% की वृद्धि (9654 करोड़ रुपये से 13,920 करोड़ रुपये) हुई। बैंकों के द्वारा सस्पिशियस ट्रॉजक्शन रकम 3,61,214 करोड़ तक गयी है, जहाँ वो 2015-16 में सिर्फ 61,361 करोड़ थी। लगभग चार लाख करोड़ की कैश रकम मार्केट से कम हुई है। लगभग साठ लाख नये करदाता इन्कम टैक्स की चपेट में आ गये है।

केंद्र में सरकार आने के तुरंत बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने पहला निर्णय कालेधन के खिलाफ एसआईटी के गठन का किया था। उसके बाद स्वैच्छिक आयकर योजना, जनधन योजना, ब्लैकमनी एक्ट, बैंक्रप्सी इन्सॉल्वेंसी कानून, डीआरटी संशोधित कानून, बेनामी सम्पति एक्ट जैसे कानूनों को पास कर के कालेधन के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है। काले धन के खिलाफ हो रही इस सर्जिकल स्ट्राइक्स से गत तीन सालों में 70 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा अघोषित आय की खोज हुई है। विदेशों में छुपाई गयी संपत्ति पर गाज आने से अब तक पाँच हजार करोड़ रूपये से ज्यादा रकम सरकारी खजाने में आ गयी है। आजतक किसी भी सरकार ने काले धन के खिलाफ इतनी सातत्यपूर्ण कार्रवाई नही की है। मोदी जी सरकार काले धन के खिलाफ लड़ाई के लिए कटिबद्ध, दृढसंकल्प है।

डिजिटलाइजेशन और 'आधार'

डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार तथा कालेधन को समाप्त करना आदरणीय मोदी जी की प्राथमिकता रही है। इसी के चलते सरकार ने निर्णय लिया है कि 3 लाख से अधिक का लेने-देन नगद में नहीं किया जाएगा। लोगों ने भी इस प्रक्रिया को प्रतिसाद दिया है। अब तक 12 करोड़ 50 लाख लोगों ने भीम ऐप को अपना लिया है। इस ऐप से प्रतिमाह पाँच करोड़ से ज्यादा ट्रॉजक्शन हो रहे है। एक बिलियन (सौ करोड़) आधार नंबर्स एक बिलियन बैंक खातों को और एक बिलियन मोबाइल नंबर्स को जोड़ने का लक्ष्य मोदी जी ने रखा है। ये सब डिजिटल कारोबारी व्यवस्था के लिए सक्षम करेगा। केंद्र सरकार द्वारा कैशलेस ट्रांजेक्शन बढ़ाने के लिए यूपीआई, यूएसएसडी, एईपीएस एवं रूपये-कार्ड के प्रयोग को बढ़ावा दिया है। यह पारदर्शिता का कदम भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ओर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। देश में मनरेगा, निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति, वंचित वर्गों को सब्सिडी,

एससी/एसटी एवं ओबीसी को दिए जानेवाली लाभकारी योजना में सरकार द्वारा डिजिटल प्रयोग से गरीबों के लाभ में बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। अधिकार या विशेषाधिकार अब अतीत की बात है।

निजीकरण और विनिवेश

सरकार ने निधि जुटाने एवं बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने के उपाय शुरू किए हैं। इसके तहत 24 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू) के उद्यमों में नीतिगत विनिवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें एअर इण्डिया का नीतिगत निजीकरण शामिल है। सरकार ने 14,500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फण्ड भारत-22 शुरू की है जो देश के सभी भागों में ओवर सब्सक्राइब थी। 2017-18 में विनिवेश का लक्ष्य 72,500 करोड़ रूपये था, वो सरकार ने सिर्फ पूरा नही किया, बल्कि 92,500 करोड़ रूपये हासिल किये। अब वित्त मंत्री ने 2018-19 के लिए विनिवेश का लक्ष्य भी 80,000 करोड़ रुपये रखा है। सरकार ने तेल सब्सिडी को समाप्त कर, सेवा शुल्क को तर्कसंगत बनाकर, बेहतर कर संग्रह, कोयला ब्लॉकों तथा स्पेक्ट्रम की नीलामी के माध्यम से अप्रत्याशित लाभ सुनिश्चित कर सार्वजनिक कोषों में भारी बचत की है, जिन्हें पिछली सरकार ने शून्य मूल्य संपत्ति बताया था।

बैंकिंग नेटवर्क का उपयोग

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक्स एनपीए की समस्या से झूझ रहे है। इस समस्या की जड़ो को यूपीए शासन के समय से जमानाव विस्तार करना शुरू कर दिया था। जिसने अब विकराल रूप धारण कर लिया है। 2009 से ही बैंकों मे कर्जदारों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई, खासकर बडे उद्योगपति जिन्होंने बैंक से बडी रकम लेना शुरू किया था। विजय माल्या और अब नीरव मोदी जैसे लोग यू.पी.ए. शासन द्वारा भ्रष्टतापूर्वक ऋण लाभार्थियों की सूचि में आते है। लेकिन हमारी

सरकार ने उन लोगों के खिलाफ सक्त कदम उठाये, बल्कि बैंकों को और मजबूत करने का फैसला लिया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी उधार देने का मार्ग प्रशस्त होगा। पिछले महीने सरकार ने एनपीए-प्रभावित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को मजबूत करने के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये के दो साल के रोड मैप का अनावरण किया, जिसमें पुनः पंजीकरण बांड, बजटीय समर्थन और इक्विटी डिलीजन शामिल हैं। पिछले साढ़े तीन सालों में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 51,000 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी दी है। वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों को अपने प्रदर्शन में सुधार कर पूंजी के लिए सरकार पर निर्भरता कम करने के लिए कहा है। जन धन योजना इसी तरह एक क्रांतिकारी कदम था। आजादी के बाद से पहली बार सबसे अधिक संख्या में 35 करोड़ लोग बैंक खाताधारक बने हैं। ये सभी लोग स्वतः ही जीवन बीमा के लिए पात्र हो गए हैं।

कृषि पर निरंतर जोर

प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। प्रयास यह है, कि केवल उत्पादन बढ़ाने की बजाय कृषि को लाभकारी बनाने हेतु नगर के भीतर और उसके आस-पास छोटे और बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन कार्य करना है। एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जा रही है, जिससे शहरों के भोजन की आपूर्ति 100 से 200 किलोमीटर की परिधि में हो सके। इसके द्वारा रोजगार का आकर्षक विकल्प प्राप्त होगा तथा शहरी क्षेत्रों के निकट कृषि भूमि को शहरों और कस्बों में परिवर्तित होने से भी रोका जा सकेगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरूआत हो चुकी है जिसके लिए 6 हजार करोड़ रुपये दिए गए है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन दिसंबर, 2014 में खासकर स्वदेशी नस्लों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु प्रारंभ किया गया

था। देशी गाय की उत्पादकता को दुगना करने हेतु इस मिशन के तहत 1,077 करोड़ रू की 27 राज्यों में परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इसके अंतर्गत 41 देशी गाय की नस्ल तथा 13 महिषवंशी नस्ल का संवर्द्धन एवं विकास किया जा रहा है। गोकुल ग्राम योजना के तहत 12 राज्यों में 18 गोकुल ग्राम हेतु 173 करोड़ रू स्वीकृत किये गए हैं। कृषि मंत्रालय मधुक्रांति पर भी काम कर रहा है। नेशनल बी बोर्ड को पिछले तीन साल में 205 फीसदी ज्यादा वित्तीय सहायता दी गई है। मधुमक्खी कॉलोनियों की संख्या 20 लाख से बढ़कर 30 लाख हो गई। शहद उत्पादन में 20.54 फीसदी की वृद्धि है। इसी के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और बिहार जैसे राज्यों ने कृषि क्षेत्र में दोहरे अंकों की विकास दर हासिल कर राष्ट्रीय कृषि विकास की दर को बढ़ाया है।

इस प्रकार देखें तो मोदी सरकार ने तीन वर्षों में जो हासिल किया है, वह विकास की दृष्टिकोण से संपूर्ण सोच में परिवर्तन है। यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। पिछले साल द इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने इंडिया ऑन लाइन शीर्षक से आवरण कथा प्रकाशित की थी। उसमें लिखा था, 'प्रति सेकेंड तीन भारतीय पहली बार इंटरनेट का अनुभव करते हैं। उनमें से एक बिलियन से अधिक 2030 तक ऑनलाइन होंगे। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और पृथ्वी पर सहस्त्राब्दि की सबसे अधिक आबादी होने का दावा करता है – और आप देख सकते हैं कि फेसबुक, उबर और गूगल जैसी कंपनियाँ यहाँ पर अपना आधार तैयार करने के लिए क्यों उत्सुक हैं।' क्या अचरज है, जब विश्व बैंक कहता है कि भारत – अंधेरे आकाश में एकमात्र सिल्वर लाइन है।

❍

15. महिलाओं के कानूनी अधिकार

हमारे समाज में महिलाएँ शिक्षित होने के बावजूद भी अपने कानूनी अधिकारों से अनजान हैं, सभी शिक्षित या अशिक्षित महिलाएँ नहीं पर हाँ भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं। आज महिलाएँ कामयाबी की बुलंदियों को छू रही हैं। हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। इन सबके बावजूद उन पर होने वाले अन्याय, बलात्कार, प्रताड़ना, शोषण आदि में कोई कमी नहीं आई है और कई बार तो उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी तक नहीं होती।

घरेलू हिंसा कानून

- शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियाँ अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं जिसमें वे रह रही हैं।
- यदि किसी महिला की इच्छा के विरूद्ध उसके पैसे, शेयर्स या बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो इस कानून का इस्तेमाल करके वह इसे रोक सकती है।
- इस कानून के अंतर्गत घर का बंटवारा कर महिला को उसी घर में रहने का अधिकार मिल जाता है और उसे प्रताड़ित करने वालों को उससे बात तक करने की इजाजत नहीं दी जाती।
- विवाहित होने की स्थिति में अपने बच्चे की कस्टडी और मानसिक/शारीरिक प्रताड़ना का मुआवजा माँगने का भी उसे अधिकार है।
- घरेलू हिंसा में महिलाएँ खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती है, इसके लिए वकील को

लेकर जाना जरुरी नहीं है। अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिला- वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को साथ ले जा सकती है और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष रख सकती है।

- भारतीय दंड संहिता 498 के तहत किसी भी शादीशुदा महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना कानूनन अपराध है। अब दोषी को सजा के लिए कोर्ट में लाने या सजा पाने की अवधि बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है।
- हिन्दू विवाह अधिनियम 1995 के तहत निम्न परिस्थितियों में कोई भी पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है-पहली पत्नी होने के वावजूद पति द्वारा दूसरी शादी करने पर, पति के सात साल तक लापता होने पर, परिणय संबंधों में संतुष्ट न कर पाने पर, मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने पर, धर्म परिवर्तन करने पर, पति को गंभीर या लाइलाज बीमारी होने पर, यदि पति ने पत्नी को त्याग दिया हो और उन्हें अलग रहते हुए एक वर्ष से अधिक समय हो चुका हो तो।
- यदि पति बच्चे की कस्टडी पाने के लिए कोर्ट में पत्नी से पहले याचिका दायर कर दे, तब भी महिला को बच्चे की कस्टडी प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है।
- तलाक के बाद महिला को गुजाराभत्ता, स्त्रीधन और बच्चों की कस्टडी पाने का अधिकार भी होता है, लेकिन इसका फैसला साक्ष्यों के आधार पर अदालत ही करती है
- पति की मृत्यु या तलाक होने की स्थिति में महिला अपने बच्चों की संरक्षक बनने का दावा कर सकती है।
- भारतीय कानून के अनुसार, गर्भपात कराना अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन गर्भ की वजह से यदि किसी महिला के

स्वास्थ्य को खतरा हो तो वह गर्भपात करा सकती है। ऐसी स्तिथि में उसका गर्भपात वैध माना जायेगा। साथ ही कोई व्यक्ति महिला की सहमति के बिना उसे गर्भपात के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो महिला कानूनी दावा कर सकती है।

- तलाक की याचिका पर शादीशुदा स्त्री हिन्दू मैरेज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत गुजाराभत्ता ले सकती है। तलाक लेने के निर्णय के बाद सेक्शन 25 के तहत परमानेंट एलिमनी लेने का भी प्रावधान है। विधवा महिलाएं यदि दूसरी शादी नहीं करती हैं तो वे अपने ससुर से मेंटेनेंस पाने का अधिकार रखती हैं। इतना ही नहीं, यदि पत्नी को दी गई रकम कम लगती है तो वह पति को अधिक खर्च देने के लिए बाध्य भी कर सकती है। गुजारे भत्ते का प्रावधान एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी है।
- सीआर. पी. सी. के सेक्शन 125 के अंतर्गत पत्नी को मेंटेनेंस, जो कि भरण-पोषण के लिए आवश्यक है, का अधिकार मिला है। यहाँ पर यह जान लेना जरुरी होगा कि जिस तरह से हिन्दू महिलाओं को ये तमाम अधिकार मिले हैं, उसी तरह या उसके समकक्ष या सामानांतर अधिकार अन्य महिलाओं (जो कि हिन्दू नहीं हैं) को भी उनके पर्सनल लॉ में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग वे कर सकती हैं। पत्नी को भी गुजाराभत्ता पाने का अधिकार है।

बच्चों से सम्बंधित अधिकार

- प्रसव से पूर्व गर्भस्थ शिशु का लिंग जांचने वाले डॉक्टर और गर्भपात कराने का दबाव बनाने वाले पति दोनों को ही अपराधी करार दिया जायेगा। लिंग की जाँच करने वाले डॉक्टर को 3 से 5 वर्ष का कारावास और 10 से 15 हजार रुपये का जुर्माना

हो सकता है। लिंग जांच का दबाव डालने वाले पति और रिश्तेदारों के लिए भी सजा का प्रावधान है।

- 1955 हिन्दू मैरेज एक्ट के सेक्शन 26 के अनुसार, पत्नी अपने बच्चे की सुरक्षा, भरण-पोषण और शिक्षा के लिए भी निवेदन कर सकती है।
- हिन्दू एडॉप्शन एंड सेक्शन एक्ट के तहत कोई भी वयस्क विवाहित या अविवाहित महिला बच्चे को गोद ले सकती है।
- यदि महिला विवाहित है तो पति की सहमति के बाद ही बच्चा गोद ले सकती है।
- दाखिले के लिए स्कूल के फॉर्म में पिता का नाम लिखना अब अनिवार्य नहीं है। बच्चे की माँ या पिता में से किसी भी एक अभिभावक का नाम लिखना ही पर्याप्त है।

जमीन जायदाद से जुड़े अधिकार

- विवाहित या अविवाहित, महिलाओं को अपने पिता की सम्पत्ति में बराबर का हिस्सा पाने का हक है। इसके अलावा विधवा बहू अपने ससुर से गुजराभत्ता व संपत्ति में हिस्सा पाने की भी हकदार है।
- हिन्दू मैरेज एक्ट 1955 के सेक्शन 27 के तहत पति और पत्नी दोनों की जितनी भी संपत्ति है, उसके बंटवारे की भी मांग पत्नी कर सकती है। इसके अलावा पत्नी के अपने 'स्त्री-धन' पर भी उसका पूरा अधिकार रहता है।
- 1954 के हिन्दू मैरेज एक्ट में महिलायें संपत्ति में बंटवारे की मांग नहीं कर सकती थीं, लेकिन अब कोपार्सेनरी राइट के तहत उन्हें अपने दादाजी या अपने पुरखों द्वारा अर्जित संपत्ति में से भी अपना हिस्सा पाने का पूरा अधिकार है। यह कानून सभी राज्यों में लागू हो चुका है।

कामकाजी महिलाओं के अधिकार

- इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट रूल- 5, शेडड्यूल-5 के तहत यौन संपर्क के प्रस्ताव को न मानने के कारण कर्मचारी को काम से निकालने व एनी लाभों से वंचित करने पर कार्रवाई का प्रावधान है।
- समान काम के लिए महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन पाने का अधिकार है।
- धारा 66 के अनुसार, सूर्योदय से पहले (सुबह 6 बजे) और सूर्यास्त के बाद (शाम 7 बजे के बाद) काम करने के लिए महिलाओं को बाध्य नहीं किया जा सकता।
- भले ही उन्हें ओवरटाइम दिया जाए, लेकिन कोई महिला यदि शाम 7 बजे के बाद ऑफिस में न रुकना चाहे तो उसे रुकने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
- ऑफिस में होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ महिलायें शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
- प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 के तहत, प्रसव के बाद महिलाओं को तीन माह की वैतनिक (सैलरी के साथ) मेटर्निटीलीव दी जाती है। इसके बाद भी वे चाहें तो तीन माह तक अवैतनिक (बिना सैलरी लिए) मेटर्निटी लीव ले सकती हैं।
- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत, विधवा अपने मृत पति की संपत्ति में अपने हिस्से की पूर्ण मालकिन होती है। पुनः विवाह कर लेने के बाद भी उसका यह अधिकार बना रहता है।
- यदि पत्नी पति के साथ न रहे तो भी उसका दाम्पत्य अधिकार कायम रहता है। यदि पति-पत्नी साथ नहीं भी रहते हैं या विवाहोत्तर सेक्स नहीं हुआ है तो दाम्पत्य अधिकार के प्रत्यास्थापन

(रेस्टीटडूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स) की डिक्री पास की जा सकती है।

- यदि पत्नी एचआईवी ग्रस्त है तो उसे अधिकार है कि पति उसकी देखभाल करे।
- बलात्कार की शिकार महिला अपने सेक्सुअल बिहेवियर में प्रोसिंक्टअस [Procinctus] है, तो भी उसे यह अधिकार है कि वह किसी के साथ और सबके साथ सेक्स सम्बन्ध से इनकार कर सकती है, क्योंकि वह किसी के या सबके द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट के लिए असुरक्षित चीज या शिकार नहीं है।
- अन्य समुदायों की महिलाओं की तरह मुस्लिम महिला भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुजाराभत्ता पाने की हकदार है। मुस्लिम महिला अपने तलाकशुदा पति से तब तक गुजाराभत्ता पाने की हकदार है जब तक कि वह दूसरी शादी नहीं कर लेती है। (शाह बानो केस)
- हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा एक केस में एक महत्त्वपूर्ण फैसला लिया गया कि दूसरी पत्नी को उसके पति द्वारा दोबारा विवाह के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह बात नहीं कल्पित की जा सकती कि उसे अपने पति के पहले विवाह के बारे में जानकारी थी।

अधिकार से जुड़े कुछ मुद्दे

- मासूम बच्चियों के साथ बढ़ते बलात्कार के मामले को गंभीरता से लेते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर महत्त्वपूर्ण निर्देश दिया है। अब बच्चियों से सेक्स करने वाले या उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेलने वाले लोगों के खिलाफ बलात्कार के आरोप में मुकदमें दर्ज होंगे, क्योंकि चाइल्ड प्रोस्टीटूयशन बलात्कार के बराबर अपराध है।

- कई बार बलात्कार की शिकार महिलायें पुलिस जाँच और मुकदमें के दौरान जलालत व अपमान से बचने के लिए चुप रह जाती है। अत: हाल ही में सरकार ने सीआर. पी. सी. में बहुप्रतीक्षित संशोधनों का नोटिफिकेशन कर दिया है, जो इस प्रकार है-
- बलात्कार से सम्बंधित मुकदमों की सुनवाई महिला जज ही करेगी।
- ऐसे मामलों की सुनवाई दो महीनों में पूरी करने के प्रयास होंगे।
- बलात्कार पीडिता के बयान महिला पुलिस अधिकारी दर्ज करेगी।
- बयान पीडिता के घर में उसके परिजनों की मौजूदगी में लिखे जायेंगे।
- रुचिका-राठौड़ मामले से सबक लेते हुए कानून मंत्रालय अब छेड़छाड़ को सेक्सुअल क्राइम्स (स्पेशल कोटर्स) बिल 2010 नाम से एक विधेयक का एक मसौदा तैयार किया। इसके तहत छेडछाड को गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध माना जायेगा। यदि ऐसा हुआ तो छेड़खानी करने वालों को सिर्फ एक शिकायत पर गिरफ्तार किया जा सकेगा और उन्हें थाने से जमानत भी नहीं मिलेगी।
- यदि कोई व्यक्ति सक्षम होने के बावजूद अपनी माँ, जो स्वत: अपना पोषण नहीं कर सकती, का भरण-पोषण करने की जिम्मेदारी नहीं लेता तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 125 के तहत कोर्ट उसे माँ के पोषण के लिए पर्याप्त रकम देने का आदेश देता है।
- हाल में सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार अकेली रहने वाली महिला को खुद के नाम पर राशन कार्ड बनवाने का अधिकार है।

- लड़कियों को ग्रेजुएशन तक फ्री-एजुकेशन पाने का अधिकार है।
- यदि अभिभावक अपनी नाबालिग बेटी की शादी कर देते हैं तो वह लड़की बालिग होने पर दोबारा शादी कर सकती है,क्योंकि कानूनी तौर पर नाबालिग विवाह मान्य नहीं होता है।

पुलिस स्टेशन से जुड़े विशेष अधिकार

- आपके साथ हुआ अपराध या आपकी शिकायत गंभीर प्रकृति की है तो पुलिस एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट दर्ज करती है।
- यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तो एफआईआर की कॉपी देना पुलिस का कर्तव्य है।
- सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी भी तरह की पूछताछ के लिए किसी भी महिला को पुलिस स्टेशन में नहीं रोका जा सकता।
- पुलिस स्टेशन में किसी भी महिला से पूछताछ करने या उसकी तलाशी के दौरान महिला कॉन्सटेबल का होना जरुरी है।
- महिला अपराधी की डॉक्टरी जाँच महिला डॉक्टर करेगी या महिला डॉक्टर की उपस्थिति के दौरान कोई पुरुष डॉक्टर।
- किसी भी महिला गवाह को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जरुरत पड़ने पर उससे पूछताछ के लिए पुलिस को ही उसके घर जाना होगा।

इसके अलावा कुछ कानूनों की हमें अवश्य ही जानकारी होनी चाहिए।

I- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005: शारीरिक दुर्व्यवहार अर्थात् शारीरिक पीड़ा, अपहानि या जीवन या अंग या

स्वास्थ्य को खतरा या लैगिंग दुर्व्यवहार अर्थात् महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान या तिरस्कार करना या अतिक्रमण करना या मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार अर्थात् अपमान, उपहास, गाली देना या आर्थिक दुर्व्यवहार अर्थात् आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिसकी वह हकदार है, से वंचित करना, मानसिक रूप से परेशान करना ये सभी घरेलू हिंसा कहलाते हैं।

- पीड़ित इस कानून के तहत किसी भी राहत के लिए आवेदन कर सकती है जैसे कि – संरक्षण आदेश, आर्थिक राहत, बच्चों के अस्थाई संरक्षण (कस्टडी) का आदेश, निवास आदेश या मुआवजे का आदेश
- पीड़ित आधिकारिक सेवा प्रदाताओं की सहायता ले सकती है।
- पीड़ित संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकती है।
- पीड़ित नि:शुल्क कानूनी सहायता की मांग कर सकती है।
- पीड़ित भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत क्रिमिनल याचिका भी दाखिल कर सकती है, इसके तहत प्रतिवादी को तीन साल तक की जेल हो सकती है, इसके तहत पीड़ित को गंभीर शोषण सिद्ध करने की आवश्यकता है।

II- महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्यस्थल पर सुरक्षा कानून, 2013: ये अधिनियम, 9 दिसम्बर, 2013, में प्रभाव में आया। जैसा कि इसका नाम ही इसके उद्देश्य रोकथाम, निषेध और निवारण को स्पष्ट करता है और उल्लंघन के मामले में, पीड़ित को निवारण प्रदान करने के लिये भी ये कार्य करता है। जिन संस्थाओं में दस से अधिक लोग काम करते हैं, उन पर यह अधिनियम लागू होता है।

- यह कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को अवैध करार देता है।

- यह कानून यौन उत्पीड़न के विभिन्न प्रकारों को चिह्नित करता है और यह बताता है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की स्थिति में शिकायत किस प्रकार की जा सकती है।
- यह कानून हर उस महिला के लिए बना है जिसका किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ हो।
- इस कानून में यह जरूरी नहीं है कि जिस कार्यस्थल पर महिला का उत्पीड़न हुआ है, वह वहाँ नौकरी करती हो।
- कार्यस्थल कोई भी कार्यालय/दफ्तर हो सकता है, चाहे वह निजी संस्थान हो या सरकारी।

III. **समान वेतन अधिनियम, 1976:** इस अधिनियम में एक ही तरीके काम के लिए समान वेतन का प्रावधान है। अगर कोई महिला किसी पुरूष के बराबर ही काम कर रही है, तो उसे पुरूष से कम वेतन नहीं दिया जा सकता।

IV. **मातृत्व लाभ अधिानियम, 1961:** इस अधिनियम के तहत मैटरनिटी बेनिफिटस हर कामकाजी महिलाओं का अधिकार है। इस के तहत एक प्रेग्रनेंट महिला को 26 सप्ताह तक मैटरनिटी लीव मिल सकती है। इस दौरान महिला के सैलरी से कोई कटौती नहीं की जाती है।

V. **यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 :** अठारह साल से कम आयु के व्यक्तियों, जिनको बालक के रूप में समझा जाता है, के विरूद्ध यौन अपराधों से निपटता है। इस अधिनियम में पहली बार 'यौन प्रहार' एवं 'यौन हमला' को परिभाषित किया है। यह अधिनियम यौन हमला, यौन उत्पीड़न एवं अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों की रक्षा का प्रावधान करने के लिए एक व्यापक कानून है, जबकि लोक अभियोजकों तथा नामोंद्दिष्ट विशेष न्यायालयों की नियुक्ति के माध्यम से अपराधों की

रिपोर्टिंग, साक्ष्य की रिकार्डिंग, अन्वेषण एवं त्वरित सुनवाई के लिए बालोनुकूल तंत्रों को शामिल करके हर चरण पर न्यायिक प्रक्रिया में बच्चों के हितों की रक्षा की गई है। अधिनियम में अपराधों की रिपोर्टिंग, रिकार्डिंग, अन्वेषण एवं सुनवाई के लिए बालोनुकूल प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं। अधिनियम में ऐसे अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है जिन्हें अपराध की गंभीरता के अनुसार श्रेणीबद्द किया गया है।

VI. **दहेज निषेध अधिनियम, 1961:** दहेज का अर्थ है प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर दी गयी कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति सुरक्षा या उसे देने की सहमति:-

- विवाह के एक पक्ष के द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को या।
- विवाह के किसी पक्ष के अभिभावकों द्वारा या।
- विवाह के किसी पक्ष के किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को।
- शादी के वक्त, या उससे पहले या उसके बाद कभी भी जो कि उपरोक्त पक्षों से संबंधित हो जिसमें मेहर की रकम सम्मिलित नहीं की जाती, अगर व्यक्ति पर मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) लागू होता हो।
- दहेज लेने और देने या दहेज लेने और देने के लिए उकसाने पर या तो 6 महीने का अधिकतम कारावास है या 5000 रूपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ता है. वधू के माता-पिता या अभिभावकों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करने पर भी यही सजा दी जाती है। बाद में संशोधन अधिनियम के द्वारा इन सजाओं को भी बढ़ाकर न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम दस साल की कैद की सजा तय कर दी गयी है। वहाँ जुर्माने की रकम को बढ़ाकर 10,000 रूपये ली गयी, या दी गयी या मांगी

गयी दहेज की रकम, दोनों में से जो भी अधिक हो, के बराबर कर दिया गया है। हालाँकि अदालत ने न्यूनतम सजा को कम करने का फैसला किया है लेकिन ऐसा करने के लिए अदालत को जरूरी और विशेष कारणों की आवश्यकता होती है।

VII. बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006: ये 1 नवम्बर 2007 से लागू हुआ। इस अधिनियम के अनुसार, बाल विवाह वह है जिसमें लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम या लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम हो। ऐसे विवाह को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।

VIII. आईपीसी (इंडियन पैनल कोड) की धारा 354: 1860 से चले आ रहे कानून भारतीय दंड संहिता अथवा इंडियन पैनल कोड (Indian Penal Code, IPC) की धारा 354 में स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना जैसी वारदातें आती थीं। इसके तहत आरोपी को एक वर्ष के लिए कारावास, जो पाँच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने की सजा का प्रावधान था। साथ ही यह जमानतीय धारा भी थी। जिसमें आरोपी जमानत पर बाहर आ सकता था। निर्भया केस के बाद सरकार द्वारा बलात्कार विरोधी कानून लाया गया जिसे एंटी रेप लॉ कहा गया और इसके तहत कानून में व्यापक बदलाव किए गए। इस बदलाव के बाद अब 354 के तहत छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 5 साल कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही कम से कम एक साल कैद की सजा का प्रावधान किया गया है और इसे गैर-जमानती अपराध माना गया है।

IX. आईपीसी (इंडियन पैनल कोड) 354A: इसके तहत अवांछनीय शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं या लैंगिक संबंधों की स्वीकृति बनाने की मांग या अनुरोध, अश्लील साहित्य दिखाना जैसी वारदातें

आती हैं। वैसे तो यह बेलेबल है लेकिन इसमें कम से कम कारावास तीन वर्ष तक, जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान किया गया। इसी के तहत लैंगिक आभासी टिप्पणियों की प्रकृति का लैंगिक उत्पीडन भी जोड़ा गया। जिसमें आरोपी को एक वर्ष तक का कारावास हो सकेगा या जुर्माना या फिर दोनों।

X. **आईपीसी (इंडियन पैनल कोड) 354B:** इसके तहत किसी महिला को विवस्त्र निवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल कर प्रयोग किया जाना। जिसमें आरोपी को कम से कम पाँच वर्ष का कारावास, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना भी नियत किया गया। साथ ही यह धारा नॉनबेलेबल है।

XI. **आईपीसी (इंडियन पैनल कोड) 354C:** दृश्यरतिकता यानि किसी को घूरकर देखना। इसके तहत अगर किसी लड़की को कोई पंद्रह सेकंड घूरकर देख ले तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। जिसमें कानून के तहत प्रथम दोष सिद्ध के लिए कम से कम एक वर्ष का कारावास, किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना। इसमें जमानत हो सकती है। अगर यही व्यक्ति दुबारा ऐसी ही घटना के लिए दोषी पाया जाता है तो इसके लिए कम से कम तीन वर्ष का कारावास जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना भी। इसमें आरोपी की जमानत भी नहीं हो सकती।

XII. **आईपीसी (इंडियन पैनल कोड) 354D:** इसके तहत किसी लड़की या महिला का पीछा करना जैसी वारदातें शामिल हैं। जिसमें पहली बार अगर आरोपी पर दोष सिद्ध होता है तो उसको तीन वर्ष का कारावास और जुर्माना हो सकता है। वहीं अगर यही आरोपी दुबारा ऐसा करता है और उस पर दोष सिद्ध होता है तो इसके लिए पाँच वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है और वहीं आरोपी की जमानत भी नहीं हो सकती। ❍

भारतीय जनता पार्टी

6 ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110002

फोन : 011-23500000, फैक्स : 011-23500190